खण्ड-302, अंक-3
सोमवार, 21 फाल्गुन, शक संवत् 1894
(12 मार्च, 1973 ई0)

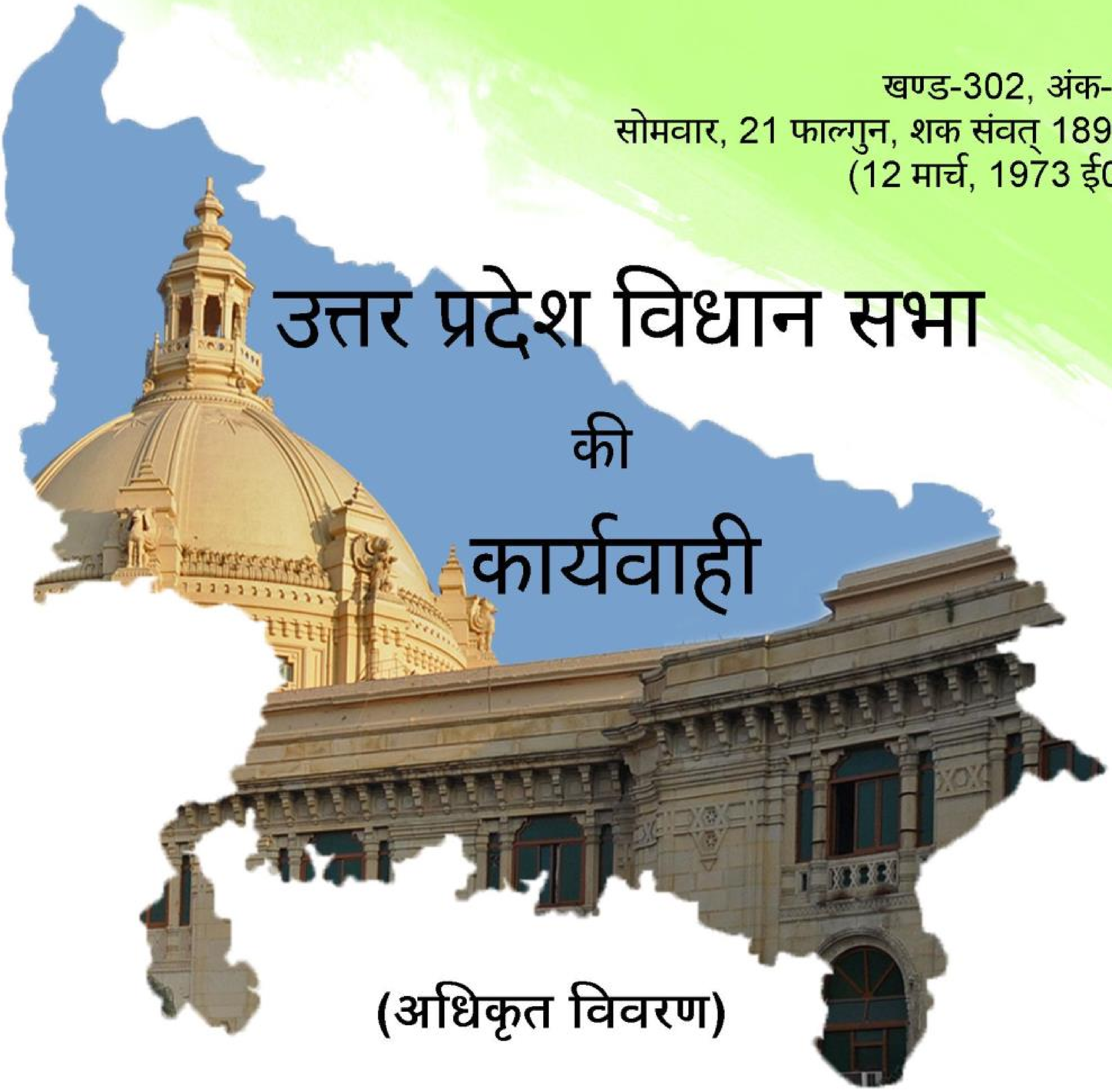

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 302 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 26--नियोजन और समन्वय (स्वीकृत) ..	409
अनुदान संख्या 29--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां (स्वीकृत) ..	409
अनुदान संख्या 30--समाज कल्याण (स्वीकृत)	410
अनुदान संख्या 32--सिंचाई अधिष्ठान (स्वीकृत)	410
अनुदान संख्या 33--सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं (स्वीकृत)	410
अनुदान संख्या 37--परिवहन (स्वीकृत)	410–411
अनुदान संख्या 38--दुर्भिक्ष सहायता (स्वीकृत)	411
अनुदान संख्या 39--अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें (स्वीकृत) ..	411
अनुदान संख्या 40--राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते (स्वीकृत) ..	411
अनुदान संख्या 41--लेखन सामग्री और मुद्रण (स्वीकृत) ..	411–412
अनुदान संख्या 42--वन (स्वीकृत)	412
अनुदान संख्या 43--प्रकीर्ण व्यय (स्वीकृत)	412
अनुदान संख्या 44--नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन (स्वीकृत) ..	412
अनुदान संख्या 46--औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	412–413
अनुदान संख्या 47--बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	413
अनुदान संख्या 48--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) ..	413
अनुदान संख्या 49--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	413
अनुदान संख्या 50--सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	414
अनुदान संख्या 53--ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	414
उत्तर प्रदेश विनियोग (1972–73 का अनुपूरक) विधेयक, 1973 विचारोपरान्त (पारित)	414–420
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	420–421
नस्थियां	422–435

उत्तर प्रदेश सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 12 मार्च, 1973

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—359

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अवधश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इम्तियाज हुसन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उपेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह श्री
उमा शंकर, श्री
उमा शंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्ण कान्त अवस्थी, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशव राम श्री, (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गोपाल दत्त ओझा, श्री

गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद , श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तज भान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीप नारायण बन, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भन्डारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहालासिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नन सिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
पारस नाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द , श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रिय दर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला बारागसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी यादव, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री,
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजितराम पांडय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
राम गोपाल संड, श्री
राम चरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री

रामबचन, श्री (जिला-आजमगढ़ रानीकी सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम विलास पाण्डेय, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकरप्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल कनौजिया, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टाम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री

सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट :—सामुदायिक विकास मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 12 मार्च, 1973

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

गेहूं के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण

** 1—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित), श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल) तथा श्री करन सिंह (जिला खीरी)—

द्वितीय सत्र 1972 के दिनांक 22 जनवरी, 1973 की बैठक में अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के सदर्भ में क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने रबी 1973 से गेहूं के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने की योजना तयार की है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या होगी ?

खाद्य तथा रसद राज्य मन्त्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

रबी 1973–74 से राज्य सरकार ने गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया है और योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

क्या मन्त्री जी इस योजना में यह भी विचार कर रहे हैं कि जिस भाव पर गल्ला खरीदा जायेगा उसी भाव पर विक्रेताओं को दिया जायगा और गवनमेंट उसके हैंडलिंग चार्जेज सब्सीडाइज करेगी ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

जिस भाव खरीदा जायेगा उसी भाव पर तो नहीं दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष---

उनका मतलब है कि ट्रान्सपोर्ट का खर्चा आप बर्दाश्त करेंगे। इसको स्पष्ट कीजिये।

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)---

जितने हैंडलिंग चार्जेज हमारे पड़ते हैं उनमें बहुत कुछ गवर्नमेंट आफ इंडिया सब्सीडाइज करती है। हम 76 रु0 पर खरीदते हैं और 84 पर बेचते हैं। दो रुपया रिटेलर का लाभांश होता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

आप खाद्यान्न का व्यापार अपने हाथ में ले लेंगे तो इसके वितरण की व्यवस्था क्या सरकारी गल्ले की दुकानों से होगी या और भी दुकानदारों को लाइसेंस देकर इस काम को करायेंगे?

श्री यादवेन्द्र सिंह---

हम केवल मार्केटेबुल सरप्लस के लिये बाजार में आ रहे हैं और जो भी खरीदारी हम करेंगे, हमारे अलावा रिटेलर्स भी खरीदारी करेंगे। इसलिये वितरण व्यवस्था में उनका हाथ हमारे साथ होगा।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)---

क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि एफ0 सी0 आई0 के अलावा व्यापारियों या प्राइवेट लोगों को भी खरीदने की सुविधा दी जायगी? अगर हां, तो वह क्या है?

श्री बेनी सिंह---

एफ0 सी0 आई0, पी0 सी0 एफ0, वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के जरिये खरीददारी होगी। रिटेलर्स को थोड़ा बहुत खरीदने की इजाजत देंगे।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि उनकी स्कीम में यह भी शामिल है कि जितना भी गल्ला खरीदेंगे उसका कुछ प्रतिशत अपने सूबे में रिजर्व स्टाक में रखेंगे या सब का सब सेन्ट्रल गवर्नमेंट को देंगे।

श्री बेनी सिंह---

यह सारी खरीददारी एफ0 सी0 आई0 के पेड एकाउन्ट पर होगी। इसलिये सारा गल्ला उनके पास जायगा।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)---

मंत्री जी ने कहा कि थोड़ा बहुत। थोड़ा कितना और बहुत कितना यह तो बतला दीजिये।

श्री यादवेन्द्र सिंह---

रिटेलर को हम लाइसेंस कर रहे हैं और वह एक समय में दस कुन्टल तक गल्ले की खरीदारी कर सकेगा लेकिन उसके रखने की क्षमता पचास कुन्टल से ज्यादा नहीं होगी। उसके अलावा परचूनी दो कुन्टल तक की खरीदारी और बिक्री कर सकेगा।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी---

यह जो रिटेलर के लिये आपने रखा है कि दस कुन्तल तक गल्ले की खरीदारी कर सकेगा और पचास कुन्टल तक रख सकेगा तो यह भी उसी भाव पर खरीदेंगे और बेचेंगे जिसपर आप खरीदेंगे और बेचेंगे?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

निश्चित रूप स बिक्री के दाम पर नियंत्रण रखेंगे ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

यह 76 रुपया का भाव पिछले वर्ष का था। इस वर्ष सारी आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ गयी है तो क्या आप यह सिफारिश करेंगे कि 76 रुपये से दाम बढ़ाये जायं ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछिये ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मैं यह पूछ रहा हूं कि मंत्री जी केन्द्रीय सरकार से गेंहूं के दाम 76 रु0 से बढ़ा कर अधिक करने की सिफारिश करेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

हमारी संस्तुति तो यही है कि गेहूं के दाम कुछ ऊंचे किये जायं लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया हमारी संस्तुति को मानने के लिये राजी नहीं है ।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

थोक व्यापार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर ली है। क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार से कार्य संचालन हो रहा था उसमें क्या दिक्कतें महसूस हुई ?

श्री बेनी सिंह—

सवाल साफ नहीं हुआ ।

श्री राम कुमार शास्त्री—

सवाल बिल्कुल साफ है। पिछले वर्ष सरकार को कौन-कौन सी कठिनाइयां हुई थीं जिसके कारण इस साल परिवर्तन कर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

आप तो पिछले वर्ष के विषय में प्रश्न कर रहे हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

खाद्य मंत्री ने कहा कि देश के कन्टेक्स्ट में गेंहूं का दाम बढ़ाना ठीक नहीं है ।

श्री बेनी सिंह—

मैंने यह नहीं कहा बल्कि यह कहा कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने ओवरआल पिक्चर को देख कर यह तय किया ।

श्री बंशीधर पांडेय—

ओवरआल क्या मैं आपसे पूछता हूं कि जब भारत में रुपये की कीमत विदिन थ्री ईयर्स 39.2 हो गयी है तो क्या मंत्री जी यह महसूस नहीं करते हैं कि गेहूं के दाम अधिक बढ़ने चाहियें क्योंकि खेती के उपकरण जैसे, पानी, खाद, ट्रक्टर, बिजली महंगे हो गये हैं ?

श्री बेनी सिंह—

अगर हम यह ठीक न समझते तो सिफारिश क्यों करते ?

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या मंत्री जी की यह जानकारी में है कि रिटेलर्स देहात में 110 रु0 प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीद कर रहे हैं और किसानों को पैसा दे रहे हैं ? क्या मंत्रीजी 76 रु0 की दर से गेहूं पा सके हैं या नहीं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

अभी तक गेहूं की फसल मार्केट में नहीं आयी है।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या मंत्रीजी यह बतलायेंगे कि इस वर्ष के लिये गेहूं की खरीद के क्या दाम निश्चित करके भारत सरकार के पास भेजे थे ? गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने 76 रु0 माना मगर आपने क्या सिफारिश की थी ?

श्री बेनी सिंह—

हमने क्या सिफारिश की थी वह इस वक्त मुझे याद नहीं है।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री जी को याद नहीं है। श्रीमन्, अवस्थी जी यादवेन्द्र सिंह जी से जवाब देने के लिये कहते हैं और यादवेन्द्र सिंह अवस्थी जी को जवाब देने के लिये कहते हैं कि आप जवाब दीजिये। दोनों की हालत खस्ता है। आप कृपया आधे घन्टे की चर्चा करवा दीजिए।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

इन्हें याद ही नहीं है।

श्री बेनी सिंह—

मान्यवर, मैक्सिकन और सफेद गेहूं.....85 रु0 लाल गेहूं.....80 रु0, गेहूं चना....75 रु0 और गुजई का रेट 70 रु0 रक्खा था।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी यह देखते हुये कि गल्ला पैदा करने पर व्यय बहुत बढ़ गया है और केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकार की बात मान नहीं रही है, सरकार अपनी ओर से किसानों को कुछ ज्यादा कीमत देगी ?

श्री बेनी सिंह—

सारे देश की गेहूं की कीमत एक ही होगी। अलग-अलग प्रदेशों की अलग-अलग नहीं होगी।

श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या खाद्य मंत्रीजी बतलायेंगे कि पिछली साल जो खरीद हुई वह एफ0सी0आई0 के द्वारा हुई और उनसे अब गल्ला काफी मात्रा में मिल नहीं पा रहा है, तो क्या सरकार इस बार कम से कम 25 प्रतिशत गल्ले की खरीदारी खुद करेगी ?

श्री बेनी सिंह—

25 प्रतिशत कटौती की बात तो हम नहीं करेंगे। सारे देश की खाद्य समस्या का हल करना है और इसके लिये हमारा कर्तव्य है कि केन्द्रीय सरकार की हम सहायता करें। लेकिन हमने उनसे बात की है और उन्होंने कहा है कि वह हमारी मांग पर उचित व्यवहार करेंगे।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

गेहूं के व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है तो उस कारण प्रदेश में सारे व्यापारियों ने गल्ले का व्यापार बंद कर दिया है, तो आपकी योजना कब लागू होगी कि जनता को छोटे व्यापारियों से गल्ला मिल सके ?

श्री बेनी सिंह---

यह सही नहीं है कि गेहूं बेचने वालों न बाजार में गेहूं बेचना बन्द कर दिया है।

श्री राम गोपाल संड---

मैं चुनौती देता हूं कि इलाहाबाद में गेहूं मिल नहीं रहा है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रदेश में टोटल राशनिंग की व्यवस्था बना रहे हैं ?

श्री बेनी सिंह---

जी नहीं।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)---

जो अब तक व्यवस्था चल रही थी उसमें कौन सी दिक्कत थी जिसके कारण अपने थोक व्यापार का फैसला लिया है ?

श्री बेनी सिंह---

श्रीमन्, इस पर तो बहुत बहस हो चुकी है। यह भारत सरकार की नीति है। थोक व्यापार का एक कारण यह था कि किसी न किसी जगह पर मूल्य वृद्धि को रोकना है। (व्यवधान) अब आप जो मैं कहूं उसको सुन लीजिये.....

श्री नित्यानन्द स्वामी---

किसान से मूल्य वृद्धि को रोका जावेगा।

श्री अध्यक्ष---

गेहूं बेचा भी नहीं गया और खाने वाले आ गये हैं।

श्री बेनी सिंह---

अन्न की कीमत बढ़ती है तो तनख्वाहें बढ़ानी पड़ती है और दूसरी चीजों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, तो इस विशश सर्किल को कहीं न कहीं तो रोकना ही है। अगर अन्न की कीमत स्थिर हो जावेगी तो दूसरी चीजों की कीमतें भी स्थिर हो जावेंगी।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)---

आप मैक्सिकन और लाल गेहूं को खरीद रहे हैं, तो क्या रबी से मोटे अनाज भी खरीदेंगे ?

श्री बेनी सिंह---

मोटे अनाजों में गेहूं, चना और गुजई के लिये हमने बतला दिया है। हम जौ और चना भी खरीदेंग लकिन अभी इस पर फैसला नहीं लिया है।

यू० पी० सेल्स टैक्स मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसियेशन तथा सरकार में समझौता

**2—श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित), श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, (जिला बस्ती) (अनुपस्थित), श्री नित्यानन्द स्वामी, श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ), श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़) तथा श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

क्या सरकार को मालूम है कि यू० पी० सेल्स टैक्स मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसियेशन तथा सरकार के मध्य 2 अगस्त, 1972 को कोई समझौता हुआ था जिसके फलस्वरूप उस समय की हड़-ताल टल गई थी और उस समझौते के कार्यबद्ध न होने के कारण 15 हजार बिक्री-कर कर्मचारियों ने 23 व 24 जनवरी, 1973 को सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला किया यदि हां, तो वह समझौता क्या था और उसके कार्यबद्ध न होने के क्या कारण हैं ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

जी हां। लिपिक वर्ग कर्मचारियों की एसोशियेशन तथा शासन के मध्य वार्ता के फलस्वरूप 2 अगस्त, 1972 को शासन ने निम्नलिखित आश्वासन दिये थे :—

1—1 मई, 1972 के पश्चात् जारी किये गये विभागीय कर्मचारियों की सेवा-मुक्ति के आदेश और समस्त कर्मचारियों की सेवा में उनके पुराने पदों पर बहाल करने के प्रश्न पर सरकार एक सप्ताह के अन्दर पुनर्विचार करेगी।

2—एसोशियेशन के अध्यक्ष तथा अन्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण के आदेश को वापिस लेने के मामले पर भी एक सप्ताह में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायगा।

3—1 दिसम्बर, 1972 तक कर्मचारियों की सेवा नियमावली तैयार करली जायेगी तथा आज तक तीन वर्ष या अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुकूल स्थाई कर दिया जायगा।

4—हड़ताल के कारण किसी भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार से दंडित नही किया जायेगा तथा हड़ताल की अवधि के लिये उन्हें सवेतन विशेष अवकाश प्रदान किया जायगा।

उपरोक्त सभी आश्वासनों की करीब-करीब पूर्ति की जाचु की है। केवल कर्मचारियों के स्थायीकरण के मामले में कुछ आवश्यक कार्यवाही और होनी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इसमें आप नियम 49 में बहस दे दें। मान्यवर, आश्वासन 2 के अन्दर तो जिन कर्म-चारियों के स्थानान्तरण के आदेश हो गये थे उनको आश्वासन दिया गया था कि एक सप्ताह के अन्दर उनको वापस ले लिया जायगा और आश्वासन 3 में यह था कि 3 वर्ष से अधिक सेवा वालों को स्थायी कर दिया जायगा। दोनों आश्वासनों की पूर्ति नहीं की गयी, यह बात सही है ? अगर सही है तो दोनों आश्वासन कब तक पूरे कर दिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें लिखा है कि तमाम कर्मचारियों को.....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

दूसरे में नहीं लिखा है और इसमें भी समय निर्धारण करवाना चाहता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

आश्वासन संख्या 2 जो कि स्थानान्तरण के आदेश रद्द करने के संबंध में था उसके संबंध में श्री बी० पी० दीक्षित, अध्यक्ष की ओर से कार्यकर्ताओं को जो सूची दी गई थी, उसमें एक भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जिसका स्थानान्तरण 1 मई, 1972 के बाद किया गया हो।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं जानना चाहता हूं कि यदि कोई कारण नहीं था तो यह आश्वासन किस कारण दिया गया था ? यदि यह मांग थी तो स्पष्टरूप से उदाहरण दिये गये थे और उसी आधार पर आश्वासन था तो आप यह शुद्धि करें, इससे पूर्व कि हम कोई विशेषाधिकार का प्रश्न खड़ा कर दें । और दूसरे स्थायीकरण में क्या हो रहा है और अब तक स्थायी कर देंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

मान्यवर, 20 जनवरी, 1972 को इन कर्मचारियों की बिक्रीकर आयुक्त से बात हुई थी, उसमें आश्वासन दिया गया था कि 21 मार्च, 1973 तक स्थायीकरण किया जायगा ।

श्री मोहन लाल कपूर—

जब एक बार आश्वास दिया है कि पुराने पदों पर बहाल कर दिये जायेंगे तो ऐसे कितने कर्मचारी थे जिनको निकाल दिया गया था और पुराने पद पर फिर से लगा दिया गया ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

मान्यवर, ऐसे 3 कर्मचारी थे स्थायी, जिनको की सेवायें समाप्त कर दी गयी थीं और आश्वासन के आदेशानुसार उन्हें सेवा में बहाल कर दिया गया ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

जो आश्वासन दिया था कि 1 दिसम्बर, 1972 तक कर्मचारियों की सेवा नियमावली तैयार कर ली जायगी, क्या वह तैयार हो गयी ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

जी हां । 16 फरवरी, 1973 को सेवा नियम जारी भी हो चुके हैं ।

श्री रामगोपाल संड—

माननीय मंत्री जी ने एक गलत बयानी कर दी । मैं उनके सामने दो नाम प्रस्तुत कर रहा हूं । उन्होंने कहा कि सभी हड़ताली कर्मचारियों को हड़ताल के समय का अवकाश दिया जायगा और वेतन दिया जायगा लेकिन श्री बी0 डी0 मिश्रा सेल्स टैक्स असोसियेशन के उपाध्यक्ष और श्री आर0 एस0 मिश्र, सेल्स टैक्स असोसियेशन के अध्यक्ष, को क्या अवकाश भी दिया गया और वेतन मिल गया अथवा उनका हड़ताल के समय का वेतन काट लिया गया है ? यदि हां, तो यह गलत बयानी क्यों की गयी ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

जहां तक हमारी सूचना है हमने सही सूचना ही आपको दी है ।

श्री रामगोपाल संड—

मैं विशेषाधिकार की सूचना देता हूं । इन दोनों व्यक्तियों को हड़ताल के समय का, जो लगभग एक महीने तक चली, न वेतन दिया गया है और न छुट्टी दी गयी है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

स्थानान्तरण के मामले में जिसमें आप कहते हैं कि कोई केस नहीं है और वापस लेने का प्रश्न नहीं है, इसकी दोबारा जांच माननीय मंत्री जी करायेंगे और यदि असोसियेशन आपके सामने ऐसे केसेज रखे तो आप उस पर इस भावना से विचार करने को तैयार हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री रामगोपाल संड—

यह हड़ताल केवल एक प्रश्न को ले कर हुई थी। बी0 डी0 मिश्रा की 16 वर्ष की सर्विस है और आर0 एस0 मिश्रा की 12 वर्ष की। इन कर्मचारियों ने केवल एक मांग की थी कि सेवा के नियम बनाये जांय और मुख्य मंत्री जी की पूर्व घोषणा के अनुसार यदि इन 16 हजार कर्मचारियों की चरित्र पंजिका में त्रुटियां न हों तो इन्हें स्थायी किया जाय। तो मंत्री जी के कहने के अनुसार जो सेवा नियम बनाये गये तो इन 16 हजार में से कितने कर्मचारी स्थायी किये गये और यदि नहीं तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

कुल कर्मचारियों की संख्या 2 हजार 2 सौ के लगभग है। 12 सौ के करीब स्थायी हो चुके हैं। शेष 700 के स्थायीकरण का प्रस्ताव 72–73 के बजट में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार शीघ्र ही कार्यवाही की जा रही है।

वेतन आयोग की रिपोर्ट

**3—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं), श्री सुरेन्द्र विक्रम श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री मोहन लाल कपूर, श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद) तथा श्री चन्द्र भान शर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री वेतन आयोग की रिपोर्ट जिसे अभी हाल में सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

वेतन आयोग की रिपोर्ट जो शासन को प्रस्तुत की गई है वह अंग्रेजी में है।

रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद कराया जा रहा है और आशा की जाती है कि उसे छपवा कर सदन के पटल पर अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक रखना सम्भव होगा।

फिलहाल वेतन आयोग की मुख्य संस्तुतियों का सारांश हिन्दी में तैयार करा कर विधान मंडल के सदस्यों के सूचनार्थ बजट भाषण के समय सदन में प्रस्तुत कर दिया गया है।

श्री रामगोपाल संड—

मंत्री जी ने कहा कि अंग्रेजी में यह रिपोर्ट लिखी गयी। तो मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि जब इस सदन और प्रदेश की भाषा हिन्दी है तो वह कौन से कारण थे कि वेतन आयोग के अध्यक्ष और कई सम्मानित विधायकों ने, जो उसके सदस्य थे, अपनी रिपोर्ट हिन्दी में लिख कर अंग्रेजी में लिखी ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

प्रश्न तो मेरा है। मैं खड़ा हुआ हूं। क्या मैं प्रश्न करूं ही न ?

श्री अध्यक्ष—

आप करेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

आयोग एक स्वायत्त संस्था थी। उस पर भाषा संबंधी कोई प्रतिबन्ध शासन नहीं लगा सकता था।

श्री राम गोपाल संड—

भाषा संबंधी प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया गया ? मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाऊंगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

जब इस आयोग के सभी सदस्य रूलिंग कांग्रेस के सदस्य थे तो यह प्रतिबन्ध लगाने में क्या कठिनाई थी कि हिन्दी में रिपोर्ट दी जाय ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

हिन्दी में और लिख दिया होता तो अच्छा होता और हमारा भी काफी श्रम बच गया होता। लेकिन अंग्रेजी में अगर लिखा है तो कोई बहुत बड़ा जुम नहीं कर दिया। अब अनुवाद उसका हो रहा है। अब आप भी कुछ सहानुभूति प्रकट कीजिये।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

जब आपके यह आदेश हैं कि जो कर्मचारी हिन्दी में काम नहीं करेगा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी, तो क्या यह उनका नैतिक कर्त्तव्य नहीं था कि वे हिन्दी में ही रिपोर्ट को लिखते और क्या यह इस में ढिलाई की मनोवृत्ति का प्रदर्शन नहीं हो रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

इस में नैतिकता का प्रश्न नहीं है। अंग्रेजी में रिपोर्ट तैयार कर देना कोई अनैतिक कार्य नहीं है। वे कोई प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं थे। फिर देश की स्थिति अभी ऐसी है कि बहुत से लोगों को अंग्रेजी ही लिखने में और बोलने में सुविधा होती है। उनको अंग्रेजी में अधिक सुविधा थी इसलिये अंग्रेजी में लिख दी। अब उसका अनुवाद तो हो रहा है। इसमें कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं हो गया।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

इस में नीति संबंधी प्रश्न मान्यवर जरूर है क्योंकि प्रदेश की भाषा हिन्दी है और यह प्रदेश भर से संबंधित रिपोर्ट है। तो क्या यह नीति के विरुद्ध नहीं हुआ ? आपकी ही इस पर अपनी व्यवस्था दे दें ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो वे कहते हैं कि हिन्दी में होती तो अच्छा होता। अब गलती अगर हो गयी तो हो गयी।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

आयोग ने ही साथ-साथ हिन्दी में भी रिपोर्ट तैयार क्यों नहीं की ? फिर रिपोर्ट दिये हुये भी इतना समय हो गया, अब तक क्यों नहीं हिन्दी में अनुवाद हुआ ? कब तक वह तैयार हो जायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

वित्तमंत्री जी उसकी घोषणा कर चुके हैं कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में तैयार हो जायेगी। रह गया नीति का प्रश्न, इसमें न कोई नीति संबंधी प्रश्न है न ही कोई गलती है, हां, हिन्दी में अगर होती तो हमारा इतना श्रम बच गया होता। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

हम इतना जानना चाहते हैं कि सरकार ने वेतन आयोग की सामान्य रूप के सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं या कुछ को स्वीकार किया है, केवल इतना बता दें ? और मान्यवर, इस पर चर्चा का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष---

चर्चा का समय मिलेगा बजट के ऊपर।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आयोग में कुछ माननीय सदस्य ऐसे थे जो अंग्रेजी नहीं जानते थे ? यदि हां, तो फिर उनको उस रिपोर्ट की जानकारी ठीक से कैसे हो पायी ? इसमें केवल श्रम का सवाल ही है, तो ऐसे लोगों के लिये विशेषकर दिक्कत हो गई । यह तो एक प्रकार से सरकारी रिपोर्ट हो गई । गैर-सरकारी 3—4 सदस्य अंग्रेजी नहीं जानते थे तो उन्होंने इस रिपोर्ट को कैसे जाना ? इन बातों को सरकार स्पष्ट करे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

हमारी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कोई सदस्य उसमें बहुभाषी नहीं था ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, इस पर आप नियम 49 की चर्चा दे दें ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

आप इसमें यह देख लें कि किन लोगों ने उसमें हिन्दी में दस्तखत किये हैं और किन लोगों ने अंग्रेजी में किये हैं ? इससे पता चल जायगा कि यह अंग्रेजी जानने वालों की रिपार्ट है या हिन्दी जानने वालों की रिपोर्ट है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं रोज हिन्दी में कार्य करता हूं, बोलता हूं, लेकिन अंग्रेजी भी जानता हूं । बस अब इस पर और प्रश्नों की इजाजत मैं नहीं देता हूं ।

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा विद्युत् की कटौती

**4—श्री राम गोपाल सण्ड तथा श्री सुरेंद्र विक्रम—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि राज्य विद्युत् परिषद् ने दिनांक 8 फरवरी, 1973 से प्रदेश में 1 बजे दिन से शाम को 6 1/2 बजे तक नगरों में बिजली देना बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? इस बिजली की बन्दी के कारण कितने मजदूर निकाल दिये जायेंगे तथा प्रदेश की मिलों में उत्पादन कितना घट जाने का अनुमान है ? यह कटौती के कब समाप्त होने की संभावना है ?

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)

जी हां । ऐसा बिजली के उत्पादन में कमी होने के कारण किया गया है ।

लगाये गये प्रतिबन्ध के कारण उत्पादन तथा मजदूरों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

कटौती फिलहाल 30 जून, 1973 तक लागू है इसके पश्चात् परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए कटौती को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार संभव होगा ।

श्री राम गोपाल संड—

मंत्री जी का यह कहना है कि 30 जून तक यह कटौती लागू रहेगी, दूसरी तरफ मंत्री जी यह भी अनभिज्ञता प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई मजदूर नहीं निकाल गये हैं । उनको मालूम होना चाहिये कि सिर्फ इलाहाबाद के नैनी औद्योगिक संस्थान क्षेत्र में 50 से 70 प्रतिशत तक कर्मचारियों की बैठकी करा दी गई है और इसी तरह से कानपुर आदि नगरों में भी हुआ है, तो क्या इस विषय में मंत्री जी ने कोई जांच कराई है ! यदि नहीं तो कब तक करायेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

बिजली की कमी के कारण उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है, उसमें बैठकी की भी आशंकायें हैं और हुई हैं, इसस कोई इंकार नहीं करता । लेकिन यह बिजली की कटौती चूंकि कुछ ऐसी अनिवार्य क्लेमिटी थी इसलिये करनी पड़ी, उस पर किसी का वश नहीं चल पाया ।

श्री बलवीर सिंह--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो कटौती बिजली के उत्पादन में कमी होने की वजह से हुई है, तो हड़ताल की वजह से बिजली के उत्पादन में कितनी कमी हुई है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

हड़ताल के कारण नहीं हुई । रिहन्द में पानी न होने के कारण, पर्याप्त वर्षा न होने के कारण वैगन्स अवेलेबुल न होने आदि के कारण यह हुआ है। हड़ताल भी एक फैक्टर बन गया ।

श्री बलवीर सिंह--

उत्पादन कितना कम हुआ, यह मैं जानना चाहता हूं !

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, प्रारम्भ में हायडिल पूरा बन्द हो गया था, लेकिन धीरे-धीरे रिस्टोर कर दिये है । वर्तमान समय में शार्टेज 650 मेगावाट की है ।

श्री रामगोपाल संड--

पहले यहां सेशन के दिनों में प्रदेश में बिजली की कटौती 1 बजे दिन से साढ़े 6 बजे दिन तक के लिये की गई थी, तो बाद में क्या कारण हुआ कि यह 10 बजे से साढ़े 6 बजे तक की गई ? गर्मी आ रही है, तो क्या नागरिकों और कार्यलयों के कर्मचारियों की कठिनाई को देखते हुए पूरी बिजली देने की व्यवस्था पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

रबी की फसल की सुरक्षा और उसको पानी देने के लिए दिन में बिजली बन्द की गई थी और नलकूपों व लिफ्ट इर्रीगेशन को बिजली देने का प्रयास किया गया । अब शनैः शनैः जैसे-जैसे हमें बिजली उपलब्ध होती जा रही है, हम सुविधायें देते जा रहे हैं ।

दूकानदारों और बाजारों को भी एक घंटा की छूट देने का निश्चय लिया जा रहा है । इसके अलावा जैसे-जैसे पोजीशन ठीक होगी, हम सुविधायें देते जायेंग ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

मंत्री जी ने कहा कि कटौती जून में समाप्त हो जायगी, यह वह किस आधार पर कहते हैं कि जून में समाप्त हो जाने की आशा है, जून में पानी कहां से आ जायगा ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

15 जून के बाद मानसून की संभावनायें हो जाती हैं । साथ-साथ में हम दूसरी भी जब रबी की फसल पूरी हो जायगी तो उनसे भी बिजली प्राप्त करने का प्रयास करेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आपने जो बयान दिया है, आपके बयान में और जो स्टेट एलक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके बयान म विरोधाभास हो गया है, उन्होंन

बयान दिया है कि 16 तारीख से फर्दर रिलक्सेशन कर रहे हैं और आपने कहा कि केवल जून में जा कर रिलक्सेशन होगा ? मैं यह जानना चाहता हूं कि विरोधाभास क्यों है, पहले जो बयान आया था वह सही है या गलत है ? दूसरे क्या यह संभव नहीं है कि शहर और दूसरे उपभोक्ताओं को आप दिन भर बिजली दें और इंडस्ट्रीज और खेती को रात भर बिजली दें ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय सदस्य का सुझाव अपनी जगह पर है । सोचने की बात यह है कि किसानों को रात में बिजली देने से उनको असुविधा होती है । उनको सुविधा केवल दिन में बिजली देने से है। जहां तक शहर के उपभोक्ताओं को बिजली देने का प्रश्न है उनके लिये रात में सुरक्षा और अन्य दृष्टिकोण से बिजली ज्यादा आवश्यक है । दिन भर किसी तरह से काम चल सकता है । लेकिन हम बाजारों, दूकानदारों को और सुविधा देने के लिए प्रयत्नशील हैं और संभवतः दिये जाने का निश्चय भी हो गया है, जैसे कह रहे हैं 16 तारीख से, जैसे-जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं हमें सुविधायें होती जा रही हैं । बिजली उपलब्ध होती जा रही है, इसके लिए कोई तारीख निश्चित नहीं है, जैसे-जैसे परिस्थितियां अनुमति देंगी उसके आधार पर रिलेक्सेशन करते जायेंगे।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

मैं जानना चाहता हूं कि अगर 15 जून को मानसून नहीं आया, इस वर्ष भी मानसून में कमी हो गयी तो कोई प्रबन्ध कर रखा है बिजली देने का ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

प्रयास तो जारी हैं । मई-जून में ओबरा में 100 मेगावाट कमीशन करेंगे, हरदुआगंज में 50 मेगावाट कमीशन करेंगे, डेढ़ सौ मेगावाट इस तरह से कर लेंगे । इसके अलावा सीमावर्ती प्रदेशों से, उनकी विद्युत् परिषदों से सम्पर्क चल रहा है कि वह अपनी सरप्लस बिजली और विशेष सुविधायें देने का प्रयास करें । इन आशाओं पर भी हम निर्भर करते हैं ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—श्री राम प्रसाद देशमुख, श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री चन्द्रभान शर्मा तथा श्री राम किंकर—

[5वें सोमवार के लिये स्थगित ।]

दोहरी घाट लिफ्ट कैनाल तथा सुरहाताल लिफ्ट कैनाल में बिजली की कटौती

*2—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दोहरी घाट लिफ्ट कैनाल और सुरहाताल लिफ्ट कैनाल के बिजली में 6 घंटे की कटौती कर दी गई है जिससे बलिया जनपद के किसानों की भूमि सिंचित नहीं हो पाई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस समय प्रदेश में बिजली की अति कमी होने के कारण 1-12-72 से नियमित रूप से कटौती की जा रही और इस कटौती में दोहरी घाट लिफ्ट कैनाल और सुरहाताल लिफ्ट कैनाल भी शामिल हैं ।

दोहरी घाट लिफ्ट कैनाल की बिजली की कटौती दिनांक 1-12-72 से 13-12-72 तक 14-00 बजे से 20-00 बजे तक की गई परन्तु बाद में किसानों को सिंचाई में असुविधा होने की वजह से 14-12-72 से दोहरी घाट लिफ्ट कैनाल को दी जाने वाली विद्युत् में कटौती बन्द कर दी गई है और तब से चौबीसों घंटे यह बिजली मिलती है ।

सुरहाताल लिफ्ट कैनाल की बिजली की कटौती 1-12-72 से 15-12-72 तक 08-00 बजे से 14-00 बजे तक एवं 16-12-72 से 26-12-72 तक 14-00 बज से 20-00 तक की गई । परन्तु बाद में किसानों को सिंचाई की असुविधा होने की वजह से 27-12-72 से सुरहाताल लिफ्ट कैनाल को दी जाने वाली विद्युत् में भी कटौती बन्द कर दी गई है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी को याद है कि प्रथम बार जब बिजली में कटौती हुई तो सदन में विद्युत् मंत्री ने घोषणा की थी कि खेती को प्रधानता देते हुए कटौती की गयी है तो नलकूपों तथा लिफ्ट इर्रीगेशन आदि में इस घोषणा के बावजूद बिजली की कटौती क्यों की गयी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

घोषणा यह थी कि किसानों को विशेष सुविधा दी जायगी न कि यह कि नलकूपों तथा लिफ्ट इर्रीगेशन वगैरह में कटौती नहीं की जायगी ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

जब सरकार यह जानती थी कि रबी के लिये सिंचाई फरवरी में होती है तो 8 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक सुविधा क्यों नहीं दी गयी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

बिजली की कमी के कारण कटौती सब में लागू की गयी। धीरे-धीरे उद्योगों से बिजली निकाल कर सिंचाई की तरफ डाइवर्ट की गयी और इस स्थिति में यह संभव हो सका कि कैनाल्स, लिफ्ट इर्रीगेशन तथा ट्यूबवेल्स को अधिक बिजली दी गयी ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मेरा सवाल यह था कि 8 फरवरी से ले कर 26 फरवरी तक क्यों यह बिजली की सुविधा नहीं दी गयी जब कि वह पीक सीजन रबी की सिंचाई के लिये था ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय सदस्य ही केवल खेती करते हैं और दूसरा कोई नहीं करता ऐसी बात नहीं है और इसे वह स्वयं ही समझ सकते हैं । लेकिन छोटे-मोटे किसान होने के नाते यह मैं बतला दूं कि पहले बिजली की कमी होने के कारण प्रायः सब जगह कटौती की गयी लेकिन प्रायरिटी किसानों को दी गयी और इसी लिये बिजली दूसरे जगह से खींचकर कैनाल्स तथा ट्यूबवेल्स को दी गयी और अन्त में 24 घंटे उनको बिजली की सप्लाई दी गयी ।

श्री राम वचन (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)—

निजी ट्यूबवेल्स में बिजली की कटौती दिन प्रति दिन की जा रही है जिससे किसान परेशान है तो क्या सरचार्ज में कटौती करने की कृपा की जायगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

हम उनको भी अधिक से अधिक सुविधा देने के प्रयास में हैं और दे भी रहे हैं इस-लिये सरचार्ज में कटौती करने का विचार संभव नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कृषकों को जो अतिरिक्त बिजली 27 फरवरी से प्रदान की गयी तो क्या वह मार्च तक कंटिन्यु रहेगी ताकि गन्ने की बुवाई का काम सम्पन्न हो सके ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

अभी तो उसमें कमी करने के बारे में कोई आशंका नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

कटौती के कारण हजारों एकड़ रबी की बुवाई बलिया जिले में नहीं हो सकी है और कुछ बुवाई की गयी थी, वह झुलस गयी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इसकी निश्चित सूचना मुझे नहीं है। लेकिन यह निश्चित है कि पानी की कमी के कारण और बिजली की सप्लाई न होने के कारण जब उचित मात्रा में पानी नहीं मिल सका होगा तो नुकसान जरूर हुआ होगा।

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि प्रदेश में बिजली की कमी का एक कारण यह भी है कि कई वर्षों से बहुत सी मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं और उनकी मरम्मत आदि नहीं हो पा रही है ? इस बात को देखते हुए क्या मंत्री जी इस बात की सर्वे करायेंगे और जो इस प्रकार की मशीनें प्रदेश में बेकार पड़ी ह उनको ठीक करा कर उन्हें चालू करवान का प्रयास करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, यह प्रयास तो हमेशा से चलता ही रहता है। जैसा ओबरा में एक मशीन का एक पुर्जा टूट जाने के कारण वह बेकार पड़ी हुई थी। उसको ठीक करा लिया गया है और कमीशन करा दिया गया है। इसी प्रकार पिनकी और हरदुआगंज में खराब पड़ी मशीनें ठीक कराकर कमीशन करा दिया गया है।

*3—श्री रामगोपाल संड—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

मेरठ नगर में सस्ते गल्ले की दुकानों पर गल्ले व चीनी का अभाव

*4—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ नगर में स्थित सस्ते गल्ले की दुकानों पर गल्ला व चीनी उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो इस अभाव के क्या कारण हैं ? तथा सरकारी दुकानों पर गल्ला व चीनी की अविलम्ब व्यवस्था के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

मान्यवर, संबंधित प्रश्न का उत्तर तो मैंने लिखित दे दिया है कि इसके बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है लेकिन मैं स्वयं इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हूं। इसलिये मैंने इस प्रश्न से संबंधित जितने जिम्मेदार व्यक्ति ह उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये कहा है।

श्री मोहनलाल कपूर—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि यह प्रश्न मैं 10-1-73 को दिया था और आज दो महीने बीत गये हैं और अभी सूचना एकत्र की जा रही है तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं, दोषी व्यक्तियों को पकड़ा गया ? उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

श्रीमन्, जो सप्लिमेंटरी किया गया उसके पहले ही हमने मान लिया कि उत्तर से हम खुश संतुष्ट नहीं हैं और उसके संबंध में कार्यवाही की जा रही है कि क्यों ठीक उत्तर नहीं दिया गया। अब इसके बाद सप्लिमेंटरी की जरूरत नहीं होनी चाहिये।

श्री बलबीर सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि मेरठ नगर में गल्ला और चीनी बहुत कम आता है जैसा कि कपूर साहब न कहा, लेकिन जो आता भी है वह कम तौला जाता है और पसा ज्यादा लिया जाता है। इसकी मुझे खुद जानकारी है। इसकी सूचना मैंने डी0 एस0 ओ0 मेरठ, को दी। क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है ? यदि है, तो उन्होंने अब तक उस संबंध में क्या कायवाही की है ? अगर नहीं की है तो क्या मंत्री जी तैयार हैं कि वे इसकी ताकीद करें ताकि मेरठ में इस तरह की हरकतें न हों ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, सूचना मुझे दी जाय, अवश्य इस बात की ताकीद करूंगा।

श्री बलबीर सिंह—

मैंने सूचना सदन में दे दी है अब आप कार्यवाही करें।

श्री बेनी सिंह—

यदि आप डिटेल में सूचना दें, तो आपको भी और हमको भी सहूलियत हो जायेगी अन्यथा यह तो जनरल बात हो जायेगी।

श्री बलबीर सिंह—

मैंने तो अपना केस दिया है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मैं यह जानना चाहता हूं कि सचिवालय से जिला स्तर पर किस तारीख को सूचना भेजी गई ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

सबसे पहले यह प्रश्न अल्पसूचित तारांकित प्रश्न की शक्ल में दिनांक 11-1-73 को आया था। उस वक्त विभाग ने यह निवेदन किया कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में उसका उत्तर देना संभव नहीं है जो कि 15-1-73 को आया। उसके बाद यह प्रश्न शार्ट नोटिस क्वेश्चन के रूप में 21-1-73 को फिर आया जिससे हम संतुष्ट नहीं हुये और पुनः दिनांक 23-1-73 को साधारण तारांकित प्रश्न के रूप में टेबुल हुआ और 24-2-73 को जिलाधीश से सूचना मांगी गई जिसका कि अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इसीलिये हमने खेद प्रकट किया और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिय कहा गया है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

यह प्रश्न एक महीने तक सचिवालय में पड़ा रहा। जिला स्तर पर क्यों नहीं तुरन्त भेजा गया। मेरा कहना है कि 23 जनवरी के बाद 23 फरवरी भी तो चला गया, आपके यहां पड़ा रहा। इसका क्या कारण है ?

(श्री जेटली के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

पहले उनके सवाल का उत्तर आ जाय.....

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

23 जनवरी के बाद 23 फरवरी को जिलाधिकारी से सूचना मांगी गयी, तो माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एक महीने से इस सचिवालय में खामोशी क्यों अख्तियार की गयी ?

श्री बेनी सिंह—

मैंने स्पष्ट किया कि यही सब कारण हैं जिनके लिये मैं खेद प्रकट कर रहा हूं और जांच कर रहा हूं और उनके खिलाफ कार्यवाही करने की बात कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

उनका सीधा प्रश्न है कि आपके यहां एक महीने तक चुप रहने के बाद सूचना मांगी गयी तो इसकी भी आप जांच करावेंगे कि इतनी देर क्यों हुई ?

श्री बेनी सिंह—

उसका भी पता लगायेंगे कि क्यों देर हुई।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि जिलाधीश ने जितनी भी सस्ते गल्ले की दुकानें फिलहाल चल रही हैं उनमें कमी करने का आदेश दिया है और क्या ऐसा आदेश शासन की तरफ से जिलाधीशों को गया है कि सस्ते गल्ले की दुकानें कम कर दी जायं क्योंकि हमारे पास चीनी और गेहूं नहीं है ?

श्री बेनी सिंह—

श्रीमन्, इस सवाल से यह सवाल कहां उठता है ?

श्री मोहन लाल कपूर—

क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि अब तक इतना बिलम्ब हो गया, पर अब एक सप्ताह के अन्दर इसकी सूचना दिलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

बहुत जल्दी कर रहा हूं । अभी जो बयान मैंने दिया है इसके बाद जितनी जल्दी हो सकता है इसमें जल्दी करने की कोशिश करूंगा ।

द्वाराहाट क्षेत्र (अल्मोड़ा) में मिट्टी के तेल एवं चीनी का वितरण

*5—श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा श्री हरीदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सरकार को पता है कि जिला अल्मोड़ा की तहसील, रानीखेत के क्षेत्र द्वाराहाट में अक्तूबर, 1972 से आज तक एक बूंद भी मिट्टी का तेल तथा चीनी किसी नागरिक को उपलब्ध नहीं हुई है जिससे जनता में रोष व्याप्त है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन तुरन्त क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

यह कहना सही नहीं है कि द्वाराहाट क्षत्र में अक्तूबर, 1972 से आज तक किसी नागरिक जो मिट्टी का तेल व चीनी उपलब्ध नहीं हुई है। माह अक्तूबर, 1972 से जनवरी, 1973 तक 17,217 लीटर मिट्टी का तेल व 44,700 किलो चीनी वितरित की गई। माह फरवरी, 1973 से इस क्षेत्र में मिट्टी का तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जनवरी, 1973 से लेवी चीनी का थोक ब्यापार भारतीय खाद्य निगम को दे दिया गया जिसके प्रथम मास में व्यवस्था पूर्ण न होने के कारण जिले में चीनी का कोटा नहीं पहुंचा अतः वितरण न हो सका। शासन वर्तमान व्यवस्था जो सुदृढ़ करने पर विचार कर रहा है।

श्री हरिदत्त कांडपाल—

श्रीमन्, यह सवाल जनवरी, 11 को पूछा गया था और मेरा आशय यह था कि क्षेत्र द्वारा हाट में चलने वाला जो गल्ला गोदाम है उससे वहां की जनता को गल्ला तथा मिट्टी का तेल नहीं मिला है। सरकार का जो जवाब आया है, अगरचे कि सरकार ने इसको असेम्बली कांस्टीट्यूएंसी के आधार पर उस क्षेत्र को दिया है तब तो जवाब सही हो सकता है लेकिन जहां तक चीनी वगैरह बांटने का सवाल है उस हिसाब से मैं चैलेंज देकर कह सकता हूं कि उनका यह कहना सही नहीं है, बिलकुल गलत है। द्वाराहाट गोदाम से अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर में एक बूंद भी मिट्टी का तेल नहीं दिया गया। चीनी थोड़ी बहुत बांटी हो तो बटी हो। दूसरी बात है कि जहां तक चीनी के डिस्ट्रिब्यूशन का सवाल है, बतलाया गया कि भारतीय खाद्य निगम से इसके देने की व्यवस्था है। हलद्वानी में जो गोदाम है वह पहाड़ के कुछ स्थानों से 3–4 सौ किलोमीटर दूर पड़ता है। तो क्या आप ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि जैसे पहले गोदाम था जहां से होलसेलर लेकर रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता था उसी तरह से भारतीय खाद्य निगम से सब सामान मिल जाया करे ?

श्री बेनी सिंह—

श्रीमन्, कांडपाल जी ने एक लम्बी भूमिका के बाद दो सवाल किये। एक तो यह कि वह कह रहे ह कि क्या हम जांच करायेंगे। अगर वह लिख कर दे देंगे तो हम अवश्य जांच करायेंगे। दूसरे यह कि फ़ूड कारपोरेशन द्वारा तय पाया है कि हल्द्वानी और टनकपुर से लेकर राशन शाप तक जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा वह खाद्य निगम देगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसकी व्यवस्था करेंगे। यह अभी तय हुआ है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी मेरी सूचना को सही मान कर कि नैनीताल जिले में ही नहीं बल्कि तमाम पहाड़ी जिलों में चीनी और मिट्टी का तेल नहीं पहुंच रहा है और अभी हाल में ही हाई स्कूल और इंटर के एक्जामिनेशन होने वाले हैं, इसलिये वे मिट्टी का तेल वहां पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे और पहाड़ी इलाके में चाय ज्यादा पी जाती है इसलिये चीनी की मात्रा बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

जहां तक चीनी की मात्रा बढ़ाने का सवाल है तो मैदानी इलाके में जितना राशन मिलता है उससे ड्योढ़ी चीनी पहाड़ी इलाके में दी जाती है। 9 तारीख को डी0 एस0 ओ0 और कमिश्नरों को बुलाया था और उनसे यह कहा गया कि 8/10 दिन में सारी चीजें वहां पहुंच जानी चाहिये। हमने यह भी कहा है कि वे स्टोर कर लें ताकि बरसात तक काम आये।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि फूड कारपोरेशन द्वारा जो चीनी का वितरण शुरू किया गया है तो जैसा कि कांडपाल जी ने कहा कि चमोली में चीनी उठाने के लिये करीब 150

मील आना पड़ेगा । इसमें काफी खर्चा होगा । इसलिये इस दिक्कत को दूर करने के लिये इसकी और शाखायें खोलने की कृपा करेंगे ताकि छोटे-छोटे दुकानदारों को सामान उठाने में आसानी रहे और लोगों को चीनी आसानी से प्राप्त हो सके ?

श्री बेनी सिंह—

श्रीमन्, मैं उनकी जानकारी के लिये बता दूं कि फूड कारपोरेशन से तय हुआ है और उनको जगह बता दी हैं जहां वह स्टोर करेंगे । 3/4 जगह और स्टोर करेंगे । लेकिन इसके बावजूद यहां से लेकर चमोली तक जो गांव हैं वहां चीनी ले जाने के लिय सारा खर्चा ट्रांसपोर्ट का खाद्य निगम देने को तैयार है । अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी । फूड कारपोरेशन ने यह नया काम अपने हाथ में लिया तो थोड़ी सी दिक्कत शुरू में हुई । लेकिन अब स्थिति 10/15 दिन में ठीक हो जायेगी ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को जानकारी है कि जो चीनी और मिट्टी का तेल वहां भेजा जाता है वह बार्डर पार करके बाहर चला जाता है ?

श्री बेनी सिंह—

ऐसी जानकारी हमें नहीं है । लेकिन हम सतर्क हैं और हम चैक कर रहे हैं कि माल बाहर न जाने पाये ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जेल के अन्दर की दुकानों से बिक्रय होने वाले सामानों का भाव

*1—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की जेलों के अन्दर जो सामान खरीदने की दुकान है उससे बंदियों, हवालातियों तथा कर्मचारियों को कंट्रोल भाव से शक्कर दी जाती है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

नहीं । खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा इस हेतु कोटा देने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

गोंडा तथा बस्ती जिले में कोयले का वितरण

*2—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1971 से अक्तूबर, 1972 तक कितने टन कोयला गोंडा तथा बस्ती जिलों को दिया गया है उसमें से कितने-कितन भट्ठे वालों को उक्त कोयले में से अब तक कितना-कितना टन कोयला दिया गया ? और व्यापारियों ने कितना सेल्स टैक्स दिया है ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री बेनी सिंह—

माह अक्तूबर, 1971 से अक्तूबर, 1972 तक गोंडा तथा बस्ती जिलों में क्रमशः 6,552.3 टन तथा 17,114·4 टन कोयला आयात किया गया तथा जिन-जिन भट्ठे वालों को दिया गया और जितना-जितना सेल्स टैक्स उन भट्ठे वालों ने दिया उस सबका† विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

बहराइच जिले में शक्कर, गल्ला एवं मिट्टी के तेल के कोटेदार

*3—श्री बासुदेव सिंह वैद्य (जिला बहराइच)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले में किन-किन न्याय पंचायतों में ऐसे कोटेदारों को शक्कर गल्ला, एवं मिट्टी के तेल का कोटा दिया गया है जो कि उस न्याय पंचायत क्षेत्र के निवासी नहीं हैं ?

श्री बेनी सिंह—

शक्कर व गल्ला कोटेदारों के संबंध में वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी है । मिट्टी के तेल के सभी कोटेदार न्याय पंचायत क्षेत्र के ही निवासी हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 422 पर) ।

*4—श्री बासुदेव सिंह वैद्य—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले में कितने ऐसे कोटेदार हैं जो कि एक ही व्यक्ति के नाम पर एवं एक ही व्यक्ति के परिवार के नाम पर कई कोटे दिये गये हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बेनी सिंह—

144 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम एक से अधिक थोक व फुटकर कारोबार के कोटे हैं । 33 ऐसे कोटेदार हैं जिनके परिवार में अन्य व्यक्तियों के नाम भी कोटे हैं । चूंकि इसमें कोई अनियमितता नहीं है अतः शासन द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

[12 मार्च, 1973 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

राज्य विद्युत् परिषद् का एक सदस्यीय जांच आयोग

*1—श्री रामगोपाल संड—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् ने अपने कर्मचारियों के लिये कोई वेतन आयोग गठित किया है ? यदि हां, तो उसके कितने सदस्य हैं ? यह आयोग किन बातों पर विचार करेगा तथा अपना प्रतिवेदन कब देगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने अपने अधीनस्थ अभियंताओं के वेतन-क्रमों, अन्य उपलब्धियां तथा अन्य सुविधाओं संबंधी विषयों की जांच के लिये उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, के न्यायाधीश, श्री हरिश्चन्द्र पति त्रिपाठी को एक सदस्यीय जांच आयोग नियुक्त किया था, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और राज्य विद्युत् परिषद् ने आवश्यक आदेश निर्गत कर दिये हैं ।

---

†छापा नहीं गया ।

जीवन मूल्य सूचकांक के अनुसार कर्मचारियों की अन्तरिम सहायता में वृद्धि

*2—श्री रामगोपाल संड—

क्या राज्य सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को जीवन मूल्य सूचकांक के 10 प्वाइंट बढ़ जाने के कारण जो 128 से 138 हो गया प्रथम अगस्त, 1972 से केन्द्रीय सरकार के समान अन्तरिम सहायता में वृद्धि करने जा रही है ? यदि हां, तो किस दर से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

राज्य सरकार ने उन समस्त राज्य कर्मचारियों की, जिनका वेतन नियमित अधिष्ठान मद से भुगतान किया जाता है, 1 अगस्त, 1972 से अन्तरिम सहायता में वृद्धि स्वीकृत कर दी है। इसके फलस्वरूप उक्त तिथि से विभिन्न वेतन वर्गों में अन्तरिम सहायता उसी दर से देय होगी जिस दर से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलेगी।

*3—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*4—श्री शम्भनाथ चौधरी—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

भिक्षा वृत्ति निरोधक कानून बनाने वाली समिति

*5—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसमें भिक्षा वृत्ति निरोधक कानून बनाने के लिये एक समिति बनाई है ? यदि हां, तो कब और क्या उस समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (बेगम हमीदा हबीबुल्ला)—

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

हरिजन विद्यालय शिक्षक संघ का ज्ञापन

*6—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार को हरिजन विद्यालय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश की मांगों का ज्ञापन पिछले वित्तीय वर्ष 1970–71 में मिला ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

हरिजन सहायक मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

प्रश्नगत संस्था से शासन के हरिजन सहायक विभाग में एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 1–4–70 को प्राप्त हुआ था जिसमें जुलाई, 68 व जनवरी, 69 से वेतन पुनरीक्षित करने के लिये प्रार्थना की गई थी।

इसके अतिरिक्त निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त संस्था से उनको वर्ष 1970–71 में मांग-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उपर्युक्त मांग के अतिरिक्त निम्नलिखित मांगें की गई थीं :—

(1) तीन वर्ष से अधिक जो योग्य अध्यापक एवं अध्यापिकायें हरिजन विद्यालय में काम कर रहे हैं उन्हें सरकार द्वारा सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाय।

(2) प्राविडेन्ट फन्ड, बोनस, जीवन बीमा, पेंशन आदि की व्यवस्था की जाय।

(3) उत्तर प्रदेश के समस्त हरिजन विद्यालयों के अध्यापक, अध्यापिकाओं को राजकीय कर्मचारी घोषित किया जाय।

उपरोक्त चारों मांगों के संबंध में वस्तु स्थिति संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 423 पर।)

पालीटेक्निक विद्यालय, आर्य नगर सेटलमेंट, लखनऊ में विद्यार्थियों के स्थानों का आरक्षण एवं आवास सुविधा

*7—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1970–71 तथा 1971–72 में पालीटेक्निक विद्यालय, आर्य नगर सेटलमेंट, लखनऊ में, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति तथा अन्य जाति के छात्रों के लिये कितने प्रतिशत स्थान अलग-अलग सुरक्षित हैं और इन दो वर्षों में इन छात्रों का अलग-अलग प्रथम वर्ष में भर्ती करने का प्रतिशत क्रमशः क्या है और इनको निःशुल्क आवास की सुविधा न देने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—

प्रश्नगत पालीटेक्निक में निम्नलिखित आरक्षण रखा गया है :—

(1) अनुसूचित जाति 70 प्रतिशत

(2) पिछड़ी जाति 15 प्रतिशत

(3) अन्य जाति 15 प्रतिशत

वर्ष 1970–71 एवं 1971–72 में भरती किये गये छात्रों को मदवार विवरण निम्न प्रकार है :—

				1970–71	1971–72
अनुसूचित जाति	..	..	लगभग	64 प्रतिशत	65 प्रतिशत
पिछड़ी जाति	..	..	,,	18 प्रतिशत	20 प्रतिशत
अन्य जाति	..	..	,,	18 प्रतिशत	15 प्रतिशत

इस संस्था से संबंधित छात्रावास में अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क आवास सुविधा उपलब्ध है परन्तु पिछड़ी जाति तथा अन्य जाति के छात्रों को निःशुल्क आवास की सुविधा नहीं है।

नगरपालिका, इलाहाबाद के मेहतरों के गृह निर्माणार्थ कथित स्वीकृत अनुदान

*8—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि वर्ष 1971–72 में नगरपालिका, इलाहाबाद में रहने वाले मेहतरों के गृह निर्माण हेतु कितना अनुदान दिया गया और कुल कितने भवन मेहतरों को रियायती किराये पर आवंटित किये जाने के लिये निर्मित किये गये और कितने परिवार उससे लाभान्वित हो रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम--

वर्ष 1971-72 में नगर महापालिका, इलाहाबाद को उसकी सेवा में रत मेहतरों के गृह निर्माण हेतु कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया ।

अतः अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

मेसर्स मोहन गोल्ड वाटर ब्रिवरी, लखनऊ का लाइसेंस

*9--चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

क्या सरकार को जानकारी है कि मोहन गोल्ड वाटर बि0लि0, लखनऊ को केवल बियर बनाने का ही लाइसेंस प्राप्त है, परन्तु बाजारों में इसके द्वारा निर्मित की गई व्हिस्की व ब्रान्डी बेची जा रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मेसर्स मोहन गोल्ड वाटर ब्रिवरी, लखनऊ को केवल बियर बनाने का लाइसेंस दिया गया है। वे नियमानुसार व्हिस्की व ब्रांडी नहीं बना सकते। इसके द्वारा व्हिस्की या ब्रांडी बनाने अथवा बाजार में बेचने की कोई सूचना शासन को प्राप्त नहीं हुई है।

कानपुर जिले में विद्युतीकरण

*10--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि रजत जयन्ती वर्ष 15 अगस्त, 1972 से 14 अगस्त, 1973 तक कानपुर जिले में निजी नलकूपों, पंपिंग सेटों, तथा ग्रामों और हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की कुल संख्या तहसीलवार अलग अलग क्या है ? और हरिजन बस्तियों तथा ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये निश्चित किये गये ग्रामों के नाम तहसीलवार क्या हैं ? क्या यह सही है कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील विद्युतीकरण के मामले में सब से पीछे है इसलिये क्या यहां के विद्युतीकरण पर विशेष ध्यान दिया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

रजत जयन्ती वर्ष 15-8-72 से 14-8-1973 के लिये कानपुर जनपद में निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :--

(1)	निजी नलकूप, पंपिंग सेटों का उर्जन ..	1320
(2)	ग्रामों का केन्द्रीय जल एवं विद्युत् आयोग की परिभाषानुसार विद्युतीकरण	50
(3)	ग्रामों का एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण ..	12
(4)	हरिजन बस्तियों में सार्वजनिक प्रकाश के लिये विद्युतीकरण ..	42

रजत जयन्ती वर्ष के लक्ष्य जिलेवार निर्धारित किये गये हैं और इनका तहसीलवार ब्योरा नहीं बनाया गया है। कुल ग्राम, जिनका विद्युतीकरण इस लक्ष्य में सम्मिलित है, के नाम निश्चित नहीं किये गये हैं ।

यह सही है कि कानपुर जनपद में डेरापुर तहसील कुछ तहसीलों की अपेक्षा विद्युतीकरण के क्षेत्र में पिछड़ी हुई है। इसको ध्यान में रखकर एक योजना डेरापुर तहसील के लिये हिन्दुस्तान कामर्शियल बैंक के सहयोग से बनाई गई है जिसमें 191 ग्रामों का विद्युतीकरण सम्मिलित है। हिन्दुस्तान कामर्शियल बैंक द्वारा यह योजना स्वीकृति कर ली गई है। यह योजना लगभग 2 वर्ष में पूर्ण होगी ।

*11--श्री सर्व सुख सिंह--

[वेतन आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के कारण निरस्त]

*12--श्रीमती मसाली देवी--

[3रे गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 74 के अन्तर्गत उत्तरित ।]

सांखर पौड़ी-गढ़वाल का गल्ला गोदाम तथा गेहूं वितरण

*13--श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

क्या खाद्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सांखर पौड़ी-गढ़वाल से गल्ला गोदाम हटा दिया गया है ? क्या यह भी सही है कि उक्त गोदाम में बहुत बड़ी मात्रा में सड़ा हुआ गेहूं था जिसे जिलाधिकारी ने उपभोक्ताओं को न दिये जाने के आदेश कर दिये थे और उस गेहूं को पुनः जिला-पूर्ति अधिकारी द्वारा सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा वितरित करने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बेनी सिंह--

सांखर जिला, पौड़ी-गढ़वाल का गल्ला गोदाम अप्रल, 1971 से बन्द कर दिया गया है किन्तु यह सही नहीं है कि उक्त गोदाम में सड़ा गल्ला था और जिलाधिकारी ने उसे उपभोक्ताओं को न दिये जाने के आदेश दिये थे । सस्ते गल्ले के दुकानदारों द्वारा मांग किये जाने पर उसको सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा वितरित किया गया था ।

धीगरपुर बिजली स्टेशन (बिजनौर) के फीडर्स

*14--कुंवर शिव महेन्द्र सिंह (जिला बिजनौर)--

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बिजनौर के उपभोक्ताओं को धीगरपुर स्टेशन (नहटोर) से बिजली सप्लाई करने के लिये कितने फीडर्स हैं तथा 15 अक्तूबर, से 15 नवम्बर के दिनों में बिजली सप्लाई के विभिन्न फीडरों पर कितने-कितने घंटे बिजली उपलब्ध रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 424 पर)

रबी क्रय योजनान्तर्गत नियुक्त सहायक लेखाधिकारी

*15--श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि रबी क्रय योजना 1972 के अन्तर्गत भुगतान कार्यालयों के लखनऊ क्षेत्र में 11 सहायक लेखाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी ? यदि हां, तो इनमें से कितने लखनऊ के बाहर भुगतान कार्यालयों पर रहे तथा शेष जो लखनऊ में थे उनको मुख्यालय में रोकने का क्या कारण था ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जी हां । सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी के इन 11 पदों में से 3 पद मुख्यालय तथा बाकी 8 पद भुगतान कार्यालयों के लिये स्वीकृत किए गए थे । किन्तु वास्तव में 8 अधिकारी लखनऊ के बाहर भुगतान कार्यालयों में, दो अधिकारी लखनऊ में स्थित दो भुगतान कार्यालयों में तथा एक अधिकारी मुख्यालय पर नियुक्त किया गया । यह व्यवस्था शासकीय कार्य की सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई थी।

खाद्य क्षेत्र, बरेली में कार्यरत अधिकारी

*16—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

क्या खाद्य मंत्री को ज्ञात है कि क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ के अधीन भुगतान कार्यालय, बरेली में कितने अधिकारी कार्यरत हैं तथा उनमें कार्य का विवरण किस आधार तथा मापदन्ड से किया गया है ? और कब से यह प्रणाली अपनाई गई है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

बरेली भुगतान कार्यालय अब नहीं है । 1 मार्च, 1973 से एक प्रथक बरेली खाद्य क्षेत्र बना दिया गया है, जिसके लिये लखा संगठन के अन्तर्गत एक क्षेत्रीय लेखाधिकारी एवं दो लेखाधिकारी एवं दो सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी के राजपत्रित पद स्वीकृत किये गये हैं । कार्य-वितरण का आधार अधिकारियों की ज्येष्ठता तथा कार्य क्षमता है ।

पूर्ति अधिकारी, बुलन्दशहर के कार्यालय में उपलब्ध राशन कार्ड

*17—श्री शमीम आलम (जिला बुलन्दशहर)—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्ति अधिकारी, बुलन्दशहर के कार्यालय में राशन कार्ड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो कब से और क्यों तथा यह कब तक उपलब्ध हो जायेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय में राशन कार्ड समुचित मात्रा में उपलब्ध हैं ।

प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

*18—श्री विश्वनाथ कपूर—

[अल्पसूचित में उत्तरित]

आर० एफ० सी०, मेरठ रीजन में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की भर्ती

*19—श्री मंजूर अहमद तथा श्री आशा राम (जिला मेरठ)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 एफ0 सी0, मेरठ के द्वारा सन, 1970 से आज तक वर्गवार कितने कर्मचारियों की भर्ती की गई है और उसमें से हरिजन या अनुसूचित जाति के कितने हैं और क्या यह सही है कि आर0 एफ0 सी0, मेरठ के रीजन में अनुसूचित व पिछड़ी जाति का कोटा पूरा नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बेनी सिंह—

क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, मेरठ क्षेत्र द्वारा वर्ष 1970 से 25 नवम्बर 1972 तक वर्गवार भर्ती किये गये कुल कर्मचारियों तथा उनमें से अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या जैसा कि संलग्नक में दी गई है, सदन के पटल पर प्रस्तुत है। यह बात सही है कि मेरठ क्षेत्र में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा नहीं है जिसका मुख्य कारण यह है कि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी सेवा-योजन कार्यालय के माध्यम से प्रचुर संख्या में उपलब्ध नहीं हो सके और जिनकी नियुक्ति के आदेश दिये गये उनमें से भी कई अभ्यर्थियों ने कार्य भार नहीं संभाला ।

(देखिय नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 425 पर)

*20—श्री जगदीश प्रसाद—

[अल्पसूचित में उत्तरित ।]

सर्राफा बाजार, मेरठ का हड़ताल सम्बन्धी प्रतिनिधि मंडल एवं स्क्रेप माडर्न एग्रीकल्चरल ऐन्ड सर्जिकल एप्लीयांसेज, मुरादाबाद का बिक्री-कर

*21—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या वित मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर व अक्तूबर, 1972 में सर्राफा बाजार, मेरठ की हड़ताल से संबंधित मेरठ नगर का प्रतिनिधि मंडल उनसे दिनांक 5 अक्तूबर, 1972 को मिला था ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं और उनको पूरी करने के संबंध में शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां। प्रतिनिधि मंडल की मुख्य मांग यह थी कि संबंधित बिक्री-कर अधिकारियों और सहायक बिक्री-कर अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया जाये तथा उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच की जाये और पुलिस में लिखाई गई रिपोर्ट वापस ली जावे। अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच के फलस्वरूप आरोपों को तथ्यहीन पाया गया।

*22—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अधिशासी अभियंता प्रथम केन्द्रीय भंडार खंड, रामगंगा परियोजना, कालागढ़ ने अप्रैल, 1971 में स्क्रेप मार्डन एग्रीकल्चर ऐन्ड सर्जिकल एपलीयांसेज, मुरादाबाद को 15,93,303 में बेचा ? यदि हां, तो इस स्क्रेप के बेचने पर कितना बिक्री-कर पार्टी से प्राप्त किया गया ? क्या यह रुपया बिक्री-कर विभाग म जमाकर दिया गया है या नहीं, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वांछित सूचाना एकत्रित की जा रही है।

आगरा जिले के नलकूपों को बिजली का अभाव

*23—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आगरा बिजली के द्वारा संचालित नलकूपों को बिजली न मिलने की शिकायत गत मास में सरकार को मिली है ? यदि हां, तो इस संबंध में तुरन्त क्या कायवाही की गई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां। ऐसी कुछ शिकायतें पिनहट से प्राप्त हुई थीं। इस संबंध में तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करके जो फीडर पिनहट विद्युत् उपग्रह पर डाले गये थे उनको फतेहाबाद विद्युत् उपग्रह से जोड़कर उपभोक्ताओं की शिकायत को दूर कर दिया गया।

उप निबन्धकों की पदोन्नति के आधार

*24—श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

क्या वित्त मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने मुख्य निबन्धक लिपिक या निबन्धन लिपिक पिछले पांच वर्षों में उप निबन्धक बनाये गये अथवा उनके पदोन्नति का आधार क्या है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

पिछले पांच वर्षों में (दिसम्बर 1967 से दिसम्बर 1972 तक) 7 मुख्य निबंधन लिपिकों तथा 9 निबन्धन लिपिकों की प्रोन्नति उप निबन्धक के पद पर स्थानापन्न रूप से की गयी।

यह प्रोन्नतियां जिला निबन्धकों की संस्तुति एवं लिपिकों के कार्य, आचरण, सत्यनिष्ठा और योग्यता के आधार पर की गयी है ।

*25-26—श्रीमती मसाली देवी—

[4थे मंगलवार में तारांकित प्र० सं० 32-33 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*27—श्री चन्द्रभान शर्मा, श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी तथा श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

बदायूं जिले में हरिजनों व पिछड़ी जाति को दी गई सहायता

*28—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि बदायूं में वित्तीय वर्ष 1969-70 और 1970-71 में क्या-क्या सहायता हरिजन व पिछड़ी जाति को दी गई ?

डाक्टर सीताराम—

प्रश्नगत वर्षों में बदायूं जिले में हरिजन सहायक विभाग के बजट से जो सहायता दी गई उसका विवरण †संलग्न सूची "1" में दिया हुआ है ।

*29—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सलाहकार समिति, बदायूं की सिफारिश पर वित्तीय वर्ष 1971-72 में कितनी सहायता किस किस मद पर और किन-किन व्यक्तियों को दी गई तथा देने की स्वीकृति प्रदान की गई और उसमें कितनी-कितनी दी गई और कितना देना शेष है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

वांछित सूचना †संलग्न सूची 2 एवं 3 में दी हुई है ।

केवल शैक्षिक सहायता से लाभान्वित व्यक्तियों के नाम नहीं दिये जा रहे हैं क्योंकि उनकी संख्या 1061 है ।

बिक्री-कर अधिकारियों के पदों पर भेजे गये सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक

*30—श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय सचिवालय के सहायकों को जिन्हें तदर्थ रूप में सहायक वृत्ति/बिक्री-कर अधिकारी के पदों पर भेजा गया था और जिनके विषय में शासन की उच्च स्तरीय समिति ने सभी पहलुओं पर विचार करने का निर्णय लिया था, अब पुनः बिक्री-कर विभाग में रखे रहने हेतु सेवा आयोग को लिखा गया है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

राजकीय सचिवालय से तदर्थ रूप में सहायक वृत्ति/बिक्री-कर अधिकारियों के पदों पर भेजे गये प्रवर वर्ग सहायकों के संबंध में विचार करने के लिये किसी उच्चस्तरीय समिति का गठन नहीं हुआ था । इनको बिक्री-कर विभाग में खपाने के लिये लोक सेवा आयोग को लिखा गया था ।

---

†छापी नहीं गयी ।

*31—श्री चरण सिंह—

क्या वित्त मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि बिक्री-कर विभाग के नियमित सहायक बिक्री-कर अधिकारियों की वरिष्ठता सूची में इन सहायकों को कौन-कौन स्थान दिया जायेगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मामला अभी शासन के विचाराधीन है ।

ढकौली (बुलन्दशहर) के निवासियों का प्रार्थना-पत्र

*32—श्री हिम्मत सिंह—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में ग्राम ढकौली, परगना अगौता के निवासियों का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 10 अक्तूबर, 1972 को प्राप्त हुआ जिसमें ग्राम के ऊपर से 11,000 वोल्ट की लाइन हटाने की मांग की गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? और नहीं तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

एक प्रार्थना पत्र लाइन को हटाने के लिये अधिशासी अभियंता विद्युत् अनुरक्षण खंड बुलन्दशहर (उत्तर) के कार्यालय में प्राप्त हुआ है ।

इस लाइन के नीचे गार्डिंग करके इसे सुरक्षित कर दिया गया है । लाइन को हटाने का खर्चा उन लोगों के द्वारा देय है जिन्होंने लाइन के नीचे मकान बना लिये हैं । खर्चा वसूल होने पर लाइन हटा दी जायेगी ।

मेरठ जिले में कोयले का आबंटन

*33—श्री बलबीर सिंह तथा श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में वर्ष 1971–72 में भट्ठों के लिये कोयले के वितरण का आधार क्या रहा है ? क्या यह सही है कि भट्ठे वाले संघों के आधार पर कोयला दिया जाता है ? यदि हां, तो संघों का नाम तथा उनकी सदस्य संख्या क्या है तथा किस-किस को कितना कितना कोयला मिला है ?

श्री बेनी सिंह—

वर्ष 1971–72 में जनपद मेरठ में स्लैक कोयले का वितरण भट्ठा संघों के माध्यम से उन भट्ठा संघों के अध्यक्षों द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के आधार पर भट्ठों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी द्वारा किया गया है । मेरठ जिले में ईंट भट्ठा संघों के नाम तथा उनमें से प्रत्येक संघ को सदस्य संख्या और उन्हें दिये गये कोयले की मात्रा का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 426 पर)

*34—श्री बलबीर सिंह तथा श्री त्रिलोक चन्द्र—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह फरवरी, 1972 में कोयले का एक रेक हाइडिल विभाग, मेरठ को आबंटित किया गया था ? यदि हां, तो वह किस-किस को दिया गया और आबंटित करने का आधार क्या था ?

श्री बेनी सिंह—

जी हां । माह फरवरी, 1972 में एक रेक हाइडिल विभाग, मेरठ को आबंटित किया गया था । आबंटित रेक का कोयला दो भट्ठे संघों में वितरित किया गया जिन्होंने विभिन्न

[श्री बनी सिंह]

भट्ठे वालों में बांटा जिसका वर्णन तालिका में दिया हुआ है जो सदन के पटल पर रख दी गयी है। कोयला भट्ठे वालों को इस आधार पर दिया गया कि वे उसको अपने सदस्यों में आवंटित करें और हाइडिल विभाग की मांग पर जिला पूर्ति कार्यालय से जारी किये गये परमिटों पर ईंटों की पूर्ति निर्धारित मूल्य पर करे।

(देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ 427 पर)

*35—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

[4थे गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 72 के अन्तर्गत उत्तरित]

केन्द्र से स्वीकृत विद्युत् परियोजनायें

*36—श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य क एसे कौन कौन सी विद्युत् परियोजनायें हैं जिन्हें केन्द्र से स्वीकृति मिल चुकी है लेकिन उस पर कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ या निर्माण-कार्य सिड्यूल से पीछे चल रहा है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जितनी परियोजनायें केन्द्र से स्वीकृत हुई हैं उन सभी पर कार्य चल रहा है। निम्नलिखित परियोजनाओं का निर्माण-कार्य सिड्यूल से पीछे रहा है :—

1—रामगंगा जल-विद्युत् गृह (3×66 मेगावाट)

2—ओबरा तापीय विद्युत् गृह विस्तार प्रथम चरण (3×100 मेगावाट)

3—यमुना जल विद्युत् परियोजना द्वितीय चरण भाग एक (4×60 मेगावाट)

4—यमुना जल विद्युत् परियोजना द्वितीय चरण भाग दो (4×30 मेगावाट)।

बरेली सिनथेटिक्स और केमिकल्स लिमिटेड द्वारा ली गई विशेष विकृत स्प्रिट पर बैण्ड फीस

*37—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली सिनथेटिक्स और केमिकल्स लि0 द्वारा ली गई अल्कोहल की वस्तुओं पर 1.10 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से बैण्ड फी लगाया गया था ? यदि हां, तो इसे कब लगाया गया और लगाने की तिथि से अब तक इस कम्पनी से सरकार को कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? क्या यह सच है कि सरकार इस बण्ड फी को हटाने जा रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

बरेली सिनथेटिक्स ऐन्ड केमिकल्स लि0 द्वारा ली गयी विशेष विकृत स्प्रिट (एलकोहल) पर 3 नवम्बर, 1972 से एक रुपया 10 पैसे प्रति बल्क लीटर की दर से बण्ड फीस लगा दी गयी है। बैण्ड फीस लगाने की तिथि से अब तक सरकार को इस कम्पनी से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है चूंकि इस फैक्ट्री ने अलकोहल उठाना बन्द कर दिया था।

सर्वश्री सिनथेटिक्स एन्ड केमिकल्स लि0 ने बैण्ड फीस लगाने के आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर दी है तथा यह मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

बिक्री-कर का बकाया

*38—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं) तथा श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 दिसम्बर, 1972 तक बिक्री-कर का प्रदेश भर में कितना बकाया है एवं एक लाख से अधिक किन-किन फर्मों पर बकाया है और उसके वसूल न होने के क्या कारण हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

1 दिसम्बर, 1972 को प्रदेश भर में 36.76 करोड़ रुपये बिक्री-कर का बकाया था। एक लाख रुपये से अधिक 149 फर्मों पर बिक्री-कर का बकाया है। इन फर्मों का नाम व उनसे बकाया की वसूली न होने के कारण संलग्न † सूची में है।

*39—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

गोरखपुर जिले के ग्रामों में बिजली की लाइन

*40—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विकास खंड बरहलगंज, जिला गोरखपुर के अन्तर्गत ग्राम खुटभार, दादरी, बैरिया, डीह सेमरा खुर्द, मिश्रौली, मठिया एवं कोटली खाल में बिजली की लाइन ले जाने का कोई आदेश अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दिया गया था जो अब हाल ही में रद्द कर दिया गया है ? यदि हां तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या इन गांवों में बिजली की लाइन भेजी जावेगी ताकि हरिजन बस्तियों में भी बिजली जा सके और 31 मार्च, 1973 तक कार्य पूरा हो जाय ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रश्नगत गांवों में बिजली ले जाने के कोई आदेश अधीक्षण अभियंता द्वारा नहीं दिये गये और न रद्द ही किये गये। अतएव इन ग्रामों की हरिजन बस्तियों में बिजली ले जाने का संप्रति कोई प्रश्न नहीं उठता।

चमोली के ग्रामों का विद्युतीकरण

*41—श्री शेरसिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र प्रयाग जनपद चमोली के विकास क्षेत्र थराली नारायण बगड़, गैरसेण के ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य रुका पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों तथा विद्युतीकरण का कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

कोषागार के खजांची

*42—श्री बंशीधर पाण्डेय—

क्या सरकार को पता है कि कोषागार के खजांची सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकारी कर्मचारी मान गये हैं ? यदि हां, तो उनको क्या ग्रेड मिलेगा और आज तक क्या ग्रेड मिल रहा है तथा उनके पेंशन की कोई व्यवस्था है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†छापी नहीं गयी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

कोषागार के खजांची प्रारम्भ से ही सरकारी कर्मचारी माने जाते रहे हैं। उनको जमानत के आधार पर रु0 350 से लेकर रु0 650 तक प्रतिमास की दर से नियत वेतन मिलता है। दिनांक 10 जुलाई, 1941 से कोषागार के खजांचियों को अस्थायी तथा अंशकालिक कर्मचारी घोषित कर दिया गया है। नियमों के अन्तर्गत अस्थायी तथा अंशकालिक सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देय नहीं है। अतः खजांचियों को पेंशन नहीं मिलती।

*43--श्री मनोहर लाल--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*44--श्री मनोहर लाल--

[छठे गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बहराइच जिले में विमुक्त जाति के परिवारों को बसाने का प्रबन्ध

*45--श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जनपद के विकास खंड मेहीपुरवा में 100 हरिजन परिवारों को मझाव तथा बोझिया में बसाने के लिए सन् 1965 ई0 में 792 एकड़ भूमि स्वीकार की गई थी? यदि हां, तो उक्त दोनों स्थानों में कितनी-कितनी भूमि कितने हरिजन परिवारों को दिनांक 30-11-72 तक सीरदारी अधिकार के अन्तर्गत दी गई? उक्त योजना के तहत आवास, कृषि तथा अन्य साधनों के लिए स्वीकृति मुवलिग 3 लाख 27 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत विवरण के आधार पर मौके पर खर्च कर दी गई कि नहीं? यदि नहीं तो क्यों?

डाक्टर सीताराम--

वर्ष 1965 में हरिजन परिवारों को बहराइच जनपद में बसाने हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। तथापि वर्ष 1956-60 में प्रश्नगत ग्रामों में विमुक्त जाति के 100 परिवारों को बसाने के लिए 792 एकड़ भूमि ग्राम समाज की भूमि में से रिज्यूम की गई थी और 6 एकड़ प्रति परिवार की दर से 100 परिवारों को 600 एकड़ भूमि कृषि कार्य के लिए आबंटित की गई और शेष बस्ती चरागाह इत्यादि के लिए छोड़ी गई। प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक कुछ विधिक कठिनाइयों के कारण सीरदारी अधिकार नहीं दिये जा सके हैं।

उक्त योजना के अन्तर्गत आवास, कृषि तथा अन्य साधनों के लिए स्वीकृत 3,27,000 रु0 की धनराशि में से वर्ष 1966-57 तक 1,94,546 रु0 92 पैसे की धनराशि व्यय की गई तथा शेष 1,32,453 रु0 8 पैसे की धनराशि जो जिला परिषद् के वैयक्तिक खाते में अनुपयुक्त पड़ी थी 30-3-1967 को राजकोष में जमा कर दी गई, क्योंकि वर्ष 1966-67 के उपरान्त ऐसे वैयक्तिक खातों की प्रणाली समाप्त कर दी गई।

ग्राम सभा, निहालगढ़ (सुल्तानपुर) के प्रधान के विरुद्ध शिकायत

*46--श्री सियाराम (जिला एटा)--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के विकास क्षेत्र जगदीशपुर की ग्राम सभा निहालगढ़ में ठीक से चीनी वितरण न होने व प्रधान द्वारा 25 पैसे प्रति किलो स्वयं रख लेने के बाबत स्थानीय निवासियों के कितने शिकायती पत्र दिनांक 10-11-72 से 30-12-72 तक प्राप्त हुए तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी सिंह--

प्रश्नगत ग्राम सभा के प्रधान के विरुद्ध श्री भगौती प्रसाद तथा निहालगढ़ के अन्य निवासियों का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 16 नवम्बर, 1972 को पंचायत राज अधिकारी को प्राप्त हुआ था। जांच से ज्ञात हुआ कि उक्त प्रधान द्वारा 272 चीनी उपभोक्ताओं से 25 पैसे प्रति व्यक्ति की दर से लिंक रोड पर मिट्टी डालने हेतु दान स्वरूप लेकर ग्राम सभा कोष में जमा किया गया था। फिर भी शासन के इस प्रकार के कोई आदेश न होने के कारण उक्त प्रधान से चीनी हेतु परची जारी करने का अधिकार छीन लिया गया है।

जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर के क्रूड आयल बिक्रेता

*47--श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के विकास खंड जगदीशपुर के क्रूड आयल विक्रेता 15 व 16 रुपया प्रति दिन बेच रहे हैं? क्या सरकार प्रश्नकर्त्ता को इस सूचना को सही मानकर जांच करायेगी यदि हां, तो कब तक? क्या यह भी सच है कि वहां के व्यापारियों ने उक्त तेल को उपरोक्त विकास खंड से गायब कर दिया है?

श्री बेनी सिंह--

यह सच नहीं है कि जनपद सुल्तानपर के विकास खंड जगदीशपुर के क्रड आयल विक्रेता 15 व 16 रुपया प्रति टिन बेंच रहे हैं। यह भी सच नहीं है कि वहां के व्यापारियों ने उक्त तल को उपरोक्त विकास खंड से गायब कर दिया है। इसलिये किसी जांच का प्रश्न नहीं उठता।

एटा जिले की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

*48--श्री सिया राम--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता रजत जयन्ती के अवसर पर शासन से ऐसे आदेश जारी किये गये थे कि हरिजन बस्तियों में जैसे नगरपालिका, टाउन एरिया तथा ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण किया जाय? यदि हां, तो क्या यह सच है कि एटा जिले में किसी नगरपालिका, टाउन एरिया तथा ग्राम सभाओं में किन्हीं हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण नहीं किया गया? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

स्वतंत्रता रजत जयन्ती वर्ष में प्रदेश के कुल 37,00 ऐसी हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की योजना है जो विद्युतीकृत गांव में स्थित हैं, परन्तु बिजली से वंचित है। एटा जनपद में वर्ष 1971-72 में 7 हरिजन बस्तियों का तथा चालू वर्ष 1972-73 में दिसम्बर, 1972 तक 15 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। रजत जयन्ती वर्ष अर्थात् 15 अगस्त, 1972 से 14 अगस्त, 1973 तक इस जनपद में कुल 57 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है और इस संबंध में कार्यवाही हो रही है।

बलई उर्फ ऋतुकाला (फर्रुखाबाद) के खलिहानों में अग्निकांड

*49--श्री बिहारी लाल तथा श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बलई उर्फ ऋतु काला, तहसील कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद में बिजली कर्मचारियों के गलत तरीके से लाइन प्रारम्भ करके कनेक्शन

[श्री बिहारी लाल तथा श्री महराम सिंह]

देने के कारण खलिहानों में आग लग गई जिसके संबंध में ग्रामवासियों की तरफ से 13-4-1972 को कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को मिले हैं ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

केवल श्री देवीदयाल सिंह पुत्र परशुराम सिंह ग्राम बलई पुरवा रितु काला का इस संबंध में दिनांक 10-4-72 का पत्र अधिशासी अभियंता, फर्रुखाबाद को प्राप्त हुआ था जिस पर जांच करने के उपरान्त वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आग विद्युत् चिन्गारियों के कारण नहीं लगी अपितु किन्हीं अन्य कारणों से लगी थी । मामले में पुनः विभागीय जांच के आदेश दे दिये गये ।

मुरादाबाद जिले में आवंटित चीनी व राशन की दुकानें

*50—श्री जितेन्द्रपाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री बतलायेंगे कि जिला मुरादाबाद में कितनी दुकानें चीनी व राशन की हैं और उनमें से कितनी दुकानें हरिजनों को, कितनी राजनीतिक पीड़ितों को आवंटित की गई ह ? क्या नियमानुसार आवंटन हुआ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या इसी प्रकार सरकार चीनी की दुकान प्रत्येक ग्राम सभा में खोलने का भी विचार कर रही है ?

श्री बेनी सिंह—

मुरादाबाद जिले में इस समय नगर क्षेत्रों में 183 सरकारी दुकानें हैं जिन पर चीनी और गल्ला दोनों ही राशन कार्ड पर मिलता है । ग्रामीण क्षेत्रों में 151 दुकानें हैं जिनसे केवल चीनी का वितरण होता है। नगर क्षेत्रों की दुकानों में से 7 राजनैतिक पीड़ितों और 5 हरिजनों को दी गई हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में 7 दुकानें हरिजनों को दी गई हैं। दुकानों का आवंटन नियमानुसार किया गया है । अभी जिले में प्रत्येक ग्राम सभा में दुकानें खोलने पर कोई विचार नहीं हो रहा है । क्योंकि ऐसा करने से दुकानें अलाभकर हो जायेंगी।

गोरखपुर तथा कानपुर खाद्य क्षेत्रों में चावल का भाव

*51—कुंवर शिव महेन्द्र सिंह—

क्या विधान सभा के दिनांक 18-12-72 के तारांकित प्रश्न संख्या 41 के उत्तर के संदर्भ में खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर तथा कानपुर खाद्य क्षेत्र के (झांसी, जालौन व हमीरपुर) जिलों में चावल के सरकारी लेवी तथा खुले बाजार के बिकने वाले दिसम्बर, 1972 में भाव क्या है ? प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में क्या भाव है ? क्या सरकार की इस लवी वसूली से इन्हीं क्षेत्रों की व खाद्य निगम की चावल मिलों को अन्य क्षेत्रों की मिलों के मुकाबले में अधिक लाभ हो रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ?

श्री बेनी सिंह—

गोरखपुर तथा कानपुर खाद्य क्षेत्र के झांसी, जालौन व हमीरपुर जिलों में चावल की सरकारी लबी, खुल बाजार तथा अन्य खाद्य क्षेत्रों के दिसम्बर, 1972 के भावों को सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं ।

सरकार की लेबी वसूली से इन क्षेत्रों की व खाद्य निगम की चावल मिलों को अन्य क्षेत्रों की मिलों के मुकाबले में अधिक लाभ नहीं हो रहा है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 429 पर)

अनियमितताओं के कारण निरस्त दुकानें

*52—श्री दर्लसिंगार यादव (जिला आजमगढ़)—

विधान सभा में द्वितीय सत्र के 1ले सोमवार 19-12-72 के ता0 प्र0 सं0 60 के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि दुकानों को निरस्त करने में संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या आधार अपनाये गये ? क्या मंत्री जी इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

प्रश्नगत दुकानों को निरस्त करने का आधार उनके द्वारा की गई अनियमिततायें थीं उनकी जांच अधिकृत अधिकारियों द्वारा की गई थी । अन्य जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

एटा जिले की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

*53—श्री बदन सिंह यादव (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र सिढ़पुरा जिला एटा के अन्तर्गत कितनी हरिजन बस्तियों के लिये बिजली मंजूर हो चुकी है ? यदि हां, तो उस संबंध में और क्या प्रगति हुई है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य जनपदवार निर्धारित किया गया है । चालू वित्तीय वर्ष में एटा जनपद म कुल 57 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है जिसमें से दिसम्बर 1972 तक 15 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हो चुका है । विकास क्षेत्र सिढ़पुरा के अन्तर्गत अब तक किसी भी हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण नहीं हो सका है क्योंकि हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण करने की जो योजना बनी है उसके अनुसार केवल उन्हीं बस्तियों का विद्युतीकरण मार्ग प्रकाश अथवा सार्वजनिक प्रकाश हेतु किया जा रहा है जो विद्युतीकृत ग्रामों में स्थित हैं और जहां विद्युतीकरण पर व्यय 1,500/ रुपये प्रति बस्ती की सीमा के अन्दर आ रहा है । इस विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी ग्राम के विद्युतीकरण का प्रस्ताव इस व्यय सीमा के अन्तर्गत नहीं आया है ।

हरिजन कल्याण विभाग के नव-नियुक्त निरीक्षक एवं हरिजन कल्याण अधिकारी

*54—श्री निहाल सिंह (जिला वाराणसी)—

क्या हरिजन कल्याण विभाग में जनजाति इंस्पेक्टर की योग्यता बी0 एस0 सी0 (ए-जी0) रखा गया है ? यदि हां तो विभाग में कार्यरत उक्त योग्यता क कर्मचारियों को निरीक्षक पद हेतु क्यों नहीं लिया गया और बाहरी व्यक्तियों को जो मात्र बी0ए0 पास हैं, लिये जाने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं, जनजाति कल्याण इन्स्पेक्टर के पद के लिये निर्धारित शैक्षिक अर्हता 'स्नातक' मात्र है।

अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

*55—श्री निहाला सिंह—

क्या यह भी सत्य है कि उक्त नव नियुक्त निरीक्षकों को हरिजन कल्याण अधिकारी भी बना दिया गया। यदि हां, तो किस आधार एवं काबिलियत पर ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां।

कुछ अनुसूचित जाति/जनजाति के निरीक्षकों को पूर्णतया अस्थायी आधार पर जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त किया गया ताकि उक्त पद के संवर्ग (Cadre) में अनुसूचित वर्गों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि हो जाय।

आबकारी निरीक्षकों की पदोन्नति

*56—श्री सुखपाल पांडेय—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चयन वर्ष 1967–68 के समाप्त होने के पश्चात् जो आबकारी अधीक्षकों के पद रिक्त तथा सृजित हुए हैं उनके विरुद्ध बिना चयन किये 21 आबकारी निरीक्षकों की पदोन्नति कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों और किस परिस्थिति में ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

चूंकि वर्ष 1967–68 में लोक सेवा आयोग द्वारा बनाई गई चयन सूची में कुछ अभ्यर्थी शेष हैं अतः उन्हीं में से आबकारी अधीक्षक के पदों पर प्रोन्नतियां की गई हैं जो नियमानुकूल है।

*57—श्री सुखपाल पांडेय—

क्या यह सही है कि आबकारी अधीक्षकों के पदों की उन्नति के लिये चुनाव के नये नियम अक्तूबर, 1970 में सरकार ने बनाकर लागू कर दिया है ? यदि हां, तो अक्तूबर 1970 से जनवरी 1973 तक उक्त नियम के अनुसार चुनाव न करने का क्या कारण है और उक्त नियम के अनुसार दिसम्बर 1971 में सहायक आबकारी आयुक्तों का चयन नहीं हुआ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह सही है कि अक्तूबर सन् 1970 में यू0पी0 लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970, बनी थी परन्तु जो चयन सूची लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1967–68 में बनी थी उसी के आधार पर प्रोन्नत करके उपलब्ध स्थानों पर नियुक्तियां की गईं। उक्त नियमावली के अनुसार वर्ष 1971 में सहायक आबकारी आयुक्तों के पदों पर प्रोन्नति के लिये लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किया गया था और उनकी संस्तुति के आधार पर ही प्रोन्नतियां की गईं तथा इस समय इस चयन सूची में कोई शेष अभ्यर्थी नहीं रह गया है।

*58—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[7वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

रेणुसागर पावर हाउस, मिर्जापुर, आगरा एलेक्ट्रिक सप्लाई तथा हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि०, कानपुर में ब्वायलर एक्सप्लोजन

*59—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रेणुसागर पावर हाउस, मिर्जापुर पावर हाउस, अगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी और हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि0 कानपुर में वर्ष 1970 से 31

दिसम्बर, 1972 तक अलग-अलग कब-कब और किन कारणों से ब्वायलर एक्सप्लोजन की कितनी वारदातें हुई और अलग उनसे हुई जन एवं धन की क्षति के विवरण क्या हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*60—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[14वें मंगलवार में तारांकित प्र0 सं0 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मऊरानीपुर (झांसी) के ग्रामों में बिजली देने की व्यवस्था

*61—श्री प्रेमनारायण अहेरवार (जिला झांसी)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस वर्ष मऊरानीपुर तहसील, जिला झांसी के कितने गांवों में बिजली देने की व्यवस्था कर रही है तथा कब तक ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*62—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

[5वें सोमवार के लिये स्थगित]

*63-64—श्री सुखपाल पांडेय—

[छ शुक्रवार में ता0 प्र0 सं0 50-51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*65—श्री जगदीश गांधी—

[5वें सोमवार के लिये स्थगित]

जोतदम्मन (प्रतापगढ़) के श्री अब्दुल सत्तार के विरुद्ध शिकायत

*66—श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि नवम्बर, 1972 से 24 जनवरी, 1973 तक स्थानीय जनता एवं प्रश्नकर्ता ने श्री अब्दुल सत्तार, ग्राम जोतदम्मन, परगना मानिकपुर, जिला प्रतापगढ़ के द्वारा भट्ठे को अवैध रूप से लगाने तथा आग लगाकर ईंट पकाने के संबंध में कितने प्रार्थना-पत्र जिला अधिकारी एवं संबंधित मंत्री को मिले और उनके संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बेनी सिंह—

इस संबंध में प्रश्नकर्ता के प्रार्थना-पत्र के अतिरिक्त चार प्रार्थना-पत्र स्थानीय जनता से जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुए । प्रश्नकर्ता से एक प्रार्थना-पत्र खाद्य मंत्री को भी प्राप्त हुआ । श्री अब्दुल सत्तार के नाम ग्राम जोतदम्मन में कोई ईंट भट्ठा नहीं है, अतः उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

सुल्तानपुर जिले के चोरी गये ट्रान्सफार्मर

1—श्री रामगोपाल संड—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जनपद में वर्ष 1971-72 में नलकूपों के कितने ट्रांसफार्मर चोरी कर लिये गये ? उसमें क्या कायवाहियां की गई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सुल्तानपुर जनपद में वर्ष 1971–72 में 7 नलकूपों के ट्रांसफार्मर चोरी गये जिनमें से 4 ट्रांसफार्मर निजी नलकूपों के तथा 3 ट्रांसफार्मर राजकीय नलकूपों के थे। प्रत्येक नलकूपों के ट्रांसफार्मर की चोरी की रिपोर्ट संबंधित थानों में लिखा दी गई थी परन्तु पुलिस को चोरियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। विभागीय अधिकारियों द्वारा विभागीय जांच-पड़ताल भी की गई जिसके फलस्वरूप कोई भी विभागीय कर्मचारी इन चोरियों में लिक नहीं पाया गया। समस्त चोरी गये ट्रांसफार्मर बदले जा चुके ह।

आजमगढ़ ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति

2—श्री श्यामलाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतलायेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आजमगढ़ के अन्तर्गत सन 1970–71 और 1971–72 में कुल कितने कर्मचारी विभिन्न पदों पर रक्खे गये उनमें अनुसूचित वग के कितन ह ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वर्ष 1970–71 तथा 1971–72 में क्रमशः 22 तथा 95 कर्मचारी भरती किये गये। वर्ष 1971–72 में 1 अनुसूचित वर्ग क अभ्यर्थी की भरती की गई।

न्याय पंचायत केन्द्र दादों, जिला अलीगढ़ के चीनी बिक्रेता लाइसेंसधारी के विरुद्ध शिकायत

3—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि न्याय पंचायत केंद्र दादों, तहसील अतरौली, जिला अलीगढ़ में सरकारी कोटा स चीनी के वितरण के लाइसेंसधारी के विरुद्ध उपरोक्त न्याय पंचायत केंद्र को ग्राम सभाओं के प्रधानों, सदस्यों एव अन्य नागरिकों का कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 26–7–72 जो मा0 मुख्य मंत्री जी को संबोधित है सरकार को प्राप्त हुआ है जिसम चीनी वितरण की भारी अनियमितताओं के संबंध में उक्त लाइसेंसधारी के विरुद्ध गम्भीर आरोपों का उल्लेख है ? यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कायवाही की है?

श्री बेनी सिंह—

दिनांक 26–7–72 का ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ है, किन्तु दिनांक 25–7–72 को ऐसा एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है।

शिकायती पत्र में वर्णित आरोपों की जांच कराई गई जो कि अन्त में निराधार पाये गये।

विदेशी शराब की दुकानों की नीलामी

4—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 1 अप्रैल, 1972 से विदेशी शराबों की दुकानों की नीलामी किये जाने की सरकारी घोषणा के बावजूद उक्त दुकानों की नीलामी न किये जाने के क्या कारण हैं। क्या यह सच है कि अब सरकार ने उपरोक्त इरादा बदल दिया है। यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

शासन ने तो विदेशी शराबों की दुकनों की नीलामी के संबंध में समस्त वांछित कार्यवाही कर ली थी परन्तु उच्च न्यायालय में समादेश याचिका पर स्थगन आदेश तथा उसके

उपरान्त विपरीत निर्णय होने के कारण नीलाम संभव नहीं है । निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय म प्रार्थना-पत्र सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल अपील दायर करने को दिया है। अतः और कोई कार्यवाही फिलहाल संभव नहीं है।

गोरखपुर जिले की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

5—श्रीमती मसाली देवी—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत तहसील बांसगांव में कितने गांवों की हरिजन बस्ती में बिजली 1 अप्रैल, 1972 से 24 नवम्बर, 1972 के बीच में लगाई गई है? कितने गांवों में बिजली के लाइन का सर्वे हुआ है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

गोरखपुर जनपद के अन्तर्गत तहसील बांसगांव में 1-4-72 से 24-11-72 तक 31 ग्रामों की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण तथा 10 का सर्वेक्षण हुआ है।

6—श्री कल्याण सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

अलीगढ़ अनुरक्षण एवम् ग्राम्य विद्युतीकरण मंडल के कर्मचारियों के विरुद्ध जांच

7—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माह जनवरी, 1970 से 15 मार्च, 1972 तक की अवधि में ग्राम्य विद्युतीकरण एवं निर्माण मंडल (गंगा सर्किल), हाइडिल विभाग, अलीगढ़ के किस-किस कर्मचारी तथा (राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध) हाइडिल विभाग, अलीगढ़ की विजीलेंस यूनिट द्वारा जांच की गई ? उनके विरुद्ध क्या आरोप थे और जांच का परिणाम क्या रहा तथा सरकार ने उस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जनवरी, 1970 से मार्च, 1972 तक कुल मिलाकर अलीगढ़ अनुरक्षण एवं ग्राम्य विद्युतीकरण मंडल के पचीस कर्मचारियों एवं अधिकारियों केविरुद्ध परिषद् की सतर्कता इकाई द्वारा जांच की गई । इनमें से 6 को निलम्बित करके उनके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की जा रही है। दो की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं । 12 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही राज्य विद्युत परिषद् के विचराधीन हैं । 2 का स्थानान्तरण किया गया है । शेष के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुए । विस्तृत सूचना प्रस्तुत करना जनहित में नहीं होगा ।

विद्युत का उत्पादन एवं वितरण

8—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कितना धन विद्युत उत्पादन के लिये खर्च किया गया और प्रत्यक योजना में कितने विद्युत का उत्पादन हुआ तथा इन चारों योजनाओं के अन्तर्गत जो विद्युत् उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित थे क्या वे प्राप्त किये गये ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 431 पर)

9—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या विद्युत मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय हाइडिल और थर्मल से कितना विद्युत का उत्पादन होता है, उसमें से कितना बिरला बन्धुओं को दे दिया जाता है और शेष में कितना प्रदेश के अन्य उद्योगों को सिंचाई के कार्यों को तथा कुल कितना लाइट और फैन पर खर्च होता है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 432 पर)

मोहनलालगंज, जिला लखनऊ में हरिजन सहायक विभाग द्वारा वितरित अनुदान

10—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के तहसील मोहनलालगंज में वर्ष 1972 में समाज कल्याण विभाग की ओर से कितना अनुदान बंटा ? क्या यह सच है कि उपरोक्त तहसील की ग्राम मीरकनगर में 50 प्रतिशत हरिजनों के निवास करने पर वहां कोई अनुदान नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

प्रश्नगत तहसील में वर्ष 1972—73 में हरिजन सहायक विभाग के बजट से विमुक्त एवं अनुसूचित जातियों के कल्याण संबंधी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 19,750 रु० के अनुदान स्वीकृत किये गये ।

जी नहीं ।

ग्राम मीरकनगर में अनुसूचित समिति के 3 व्यक्तियों से कूप निर्माण हेतु अनुदान के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से एक व्यक्ति को 1,000 रु0 का अनुदान स्वीकृत किया गया । उक्त ग्राम से किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अनुदान हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

मोहनलालगंज, जिला लखनऊ के ग्रामों में दी गई बिजली

11—श्री जगन्नाथ राव—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज में जुलाई, 72 से नवम्बर, 1972 तक ग्रामीण विद्युतीकरध योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामों में बिजली दी गई ? क्या यह सच है कि उपरोक्त तहसील में ग्राम मीरकनगर में बिजली नहीं दी गई है ? यदि हां तो ऐसा क्यों ? यदि दी जायगी तो कब तक ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

लखनऊ जनपद की तहसील मोहनलालगंज में जुलाई, 72 से नवम्बर, 72 तक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत दो ग्रामों में बिजली दी जा चुकी है । ग्राम मीरकनगर से विद्युत कनेक्शन के प्रार्थना-पत्र प्राप्त न होने के कारण इसका विद्युतीकरण नहीं किया जा सका । भविष्य में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने व आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर ही इसके विद्युतीकरण की ओर आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी ।

मीरकनगर, जिला लखनऊ के हरिजनों का कुयें के निर्माणार्थ प्रार्थना-पत्र

12—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद लखनऊ, तहसील मोहनलालगंज, ग्राम मीरकनगर के हरिजनों के प्रार्थना-पत्र कुएं के निर्माण के बावत दिसम्बर, 1972 में प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उस पर अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही किया ? यदि नहीं तो क्यों?

डाक्टर सीताराम—

प्रश्नगत ग्राम मीरकनगर में निवास करने वाले तीन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से कूप निर्माण हेतु अनुदान के लिये प्रार्थना-पत्र जिला स्तर पर दिसम्बर 1972 तक प्राप्त हुए थे, इनमें से एक व्यक्ति (श्री मुल्हे) को स्थानीय जिला हरिजन समाज कल्याण समिति द्वारा 1,000 रु0 स्वीकृत किया गया ।

टिहरी नगर में कनेक्शन की मांग

13—श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या बिजली मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी नगर में अक्तूबर, 1972 से 15 दिसम्बर, 1972 तक कितने लोगों ने कनेक्शन के लिये मांग की उनमें से कितन लोगों को अब तक कनेक्शन मिले। जिनको नहीं मिले उसका कारण क्या है ?

श्री नारायणदत्त निवारी—

18 व्यक्तियों ने कनेक्शन के लिये मांग की थी जिनमें से 13 को कनेक्शन दे दिया गया है । शेष को बी0 एंड एल0 फार्म जमा न करने की वजह से अभी विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया।

चीटा उद्योग हेतु चीनी मिलों द्वारा दिया गया शीरा

14—श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया) तथा श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी मार्च, 1972 से नवम्बर, 1972 तक उत्तर प्रदेश की किस चीनी मिल से कितना शीरा उद्योग विभाग की सिफारिश से चीटा उद्योग के लिये किस-किस व्यक्ति को दिया गया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मार्च, 1972 से नवम्बर, 1972 तक की अवधि में उद्योग विभाग की सिफारिश पर चीटा उद्योग के लिये उत्तर प्रदेश की चीनी मिल से जिन-जिन व्यक्तियों को जितना शीरा दिया गया उसका ब्योरा इस प्रकार है:—

चीनी मिल	व्यक्ति	शीरे की मात्रा कुंतल में
1	2	3
कप्तानगंज	सर्वश्री मोलैसेज शीरा मैन्युफैक्चरर्स चौरी चौरा, गोरखपुर	2450
पल्लीजी	,, ,,	6401
प्रतापपुर ..	,, ,,	12100
स्टमी ..	,, ,,	450

1	2	3
खतौली	.. सर्वश्री गोरखपुर सप्लाई कम्पनी [पुरुषोत्तम निवास, अलीगंज, गोरखपुर	2000
देवरिया	.. ,,	595
शाहगंज	.. ,,	1260
रामकोला (के)	.. सर्वश्री भोलानाथ तिवारी, चीटा मैन्युफैक्चरर्स बरहज, देवरिया	2000
देवबन्द	.. सर्वश्रीशिव चीटा वर्क्स, बहुआरा रोड, ताराचन्द भवन, खतौली	3000

बहराइच जिले में निजी नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र

15—श्री बासुदेव सिंह वैद्य—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि बहराइच जिले के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1972 से 10 दिसम्बर, 1972 तक कितने किसानों के निजी नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र एवं बी0एल0 फाम व एग्रीमेंट जिला विद्युत कार्यालय, बहराइच को प्राप्त हुये हैं इनमें से कितने किसानों को 10 अक्टूबर, 72 तक निजी नलकूपों को कनेक्शन दिया गया है जिन नलकपों को कनेक्शन अब तक नहीं दिया गया, तो उसका क्या कारण है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

226 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, 174 अनुबन्ध हुए तथा 128 व्यक्तियों ने बी0 एण्ड एल0 फार्म जमा किये । इनमें से 10 दिसम्बर, 1972 तक 75 को कनेक्शन दिया गया। अनुबन्ध न होने तथा बी0 ऐंड एल0 फार्म न प्रस्तुत करने या गलत प्रस्तुत करने के कारण शष व्यक्तियों को कनेक्शन नहीं दिया जा सका ।

बुलन्दशहर में चीनी तथा गल्ले के कोटे

16—श्री शमीम आलम—

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर में चीनी और गल्ले के कोटे के आवंटन का आधार क्या है ?

श्री बेनी सिंह—

प्रदेश के जिलों को चीनी का मासिक आबंटन उपलब्धता तथा जिलों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। किन्तु गल्ले की उपलब्धता तथा उसका आफ टेक व जिले की खाद्य स्थिति देखते हुए भी कोटे का आवंटन किया जाता है ।

17—श्री चन्द्रभान शर्मा—

[छठें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्रामों का विद्युतीकरण

18—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या विद्युत् मंत्री बतावेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1971–72 में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ ? कृपया प्रत्येक जिले के हिसाब से ग्रामों की संख्या बताते हुए यह भी स्पष्ट करें कि विभिन्न जिलों के ग्रामों में विद्युतीकरण का अनुपात क्या समान है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वर्ष 1971–72 में पूरे प्रदेश में कुल 3,036 ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ। जिलेवार ग्रामों की संख्या तथा विभिन्न जिलों में जितने ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ उनकी संख्या एवं उनका अनुपात संलग्न सूची में दिया है। अनुपात समान न होने का मुख्य कारण यह है कि विभिन्न जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूपों और पम्पसेट समान रूप से नहीं लग रहे हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 433 पर)

19—श्री श्याम लाल कनौजिया—

[छठें मंगलवार में प्र0 सं0 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

विकास खण्ड जसपुरा, जिला बांदा के ग्रामों की विद्युतीकरण योजना

20—श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खंड जसपुरा, जिला बांदा के किन-किन गांवों का विद्युतीकरण किये जाने की योजना बनाई गई है ? और कब तक उन गांवों का विद्युतीकरण हो जायगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

विविध विषय

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

श्रीमन्, बहराइच में कलेक्टरेट में आग लग गई है। रेवेन्यू, क्रिमिनल तथा खजाने के सब रिकार्ड जल गये हैं। स्थानीय अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। जनता में उनके प्रति विश्वास नहीं है क्योंकि रेवेन्यू रिकार्ड जलने की यह तीसरी घटना हो चुकी है। आग समय पर बुझाई नहीं गयी। अधिकारियों की लापरवाही से दो दिन तक आग बराबर जलती रही। पूरा कलेक्टरेट ऐसा मालूम पड़ता है मानों बमबार्ड कर दिया गया हो। सारी छतें गिर गई हैं। सी0 बी0 आई0 द्वारा जांच कराई जाये। जनता में अपनी जमीन के बारे में यह विश्वास नहीं रह गया है कि उनकी जमीन रह सकेगी या नहीं। यह तीसरी घटना है, पहले नाथ द्वारे की जल गई, कलेक्टरी की जल गई। वहां पर बड़ी मुसीबत है, मालूम होता है कि वहां बम्बार्डमेंट किया गया है, सारी छतें तक इमारत की गिर गई हैं और भारी क्षति हुई है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

इसमें जांच का आदेश किया जाय.....

श्री पारसनाथ सिंह—

इसमें सी0 बी0 आई0 की जांच करायी जाय।

मेरठ में कोयले के वितरण में धांधली

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

मेरा क्वेश्चन्स के विषय में व्यवस्था का प्रश्न है कि आज नत्थी 'घ' का जो प्रश्न सं0 33–34 है वह मेरठ में कोयले के वितरण के संबंध में है, उसमें वहां बड़ी धांधली चल रही है। यह आज नहीं आ सका, इसका उत्तर बहुत सूक्ष्म है, आप इसकी हमें नियम 49 में आज्ञा दें.....

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर दे दें।

श्री बलवीर सिंह—

वह मैं दे दूंगा।

वेतन आयोग की सरकार द्वारा मानी गयी संस्तुतियों के संबंध में जानकारी

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले को न उठाता यदि बजट के साथ वेतन आयोग की सिफारिश भी प्रकाशित कर दी जाती। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान वेतन आयोग की सिफारिशों की तरफ दिलाना चाहता हूं क्योंकि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों से सम्बन्धित यह मसला है और जिनके मस्तिष्क में बजट आने के बाद बड़ा भारी भ्रम पैदा हो गया है और भारी संदेह हो गया है क्योंकि अभी सरकार ने केवल वेतन आयोग की रिपोर्ट का सारांश ही पब्लिश किया है और कहा है कि मोटे तौर से हमने उसकी सिफारिशों को मान लिया है लेकिन साफ तौर से यह नहीं मालूम हो सका है कि सरकार ने कौन सी संस्तुतियां किस हद तक मानी हैं। कर्मचारी इससे आमतौर से संतुष्ट नहीं ह। यदि माननीय मुख्य मंत्री जी केवल इतना कर सकें कि वह जितनी हद में उनको देना चाहते हैं वह सब जो कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं और जो विरोधी दलों के नेतागण हैं उनको भी एक बार इस मामले में कानफीडेंस में ले लें। इससे पहले कि आप घोषणा करें कि किस हद तक आप रिपोर्ट को स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि आप बाद में उसको प्रकाशित और स्वीकार करेंगे उससे पहले ही आप कृपाकर जो थोड़ी बहुत रफ बात या मनमुटाव आ गया है वह आपकी थोड़ी बात करने से और स्पष्ट करने से वह समाप्त हो जायगा।

आप उसे स्वीकार कर लें या जैसे भी आप करना चाहते हैं वह बता दें ताकि यह जो हर जगह हड़ताल वगैरा का क्रम जारी है वह समाप्त हो जाय, वर्ना वह चलता रहेगा और वह प्रदेश के हित में न होगा। आप उन्हें कुछ तो दे ही रहे हैं और देना भी चाहते हैं तो कोई कारण नहीं कि ऐसी स्थिति में आप कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और विरोधी दलों के नेताओं को साथ बिठाकर कानफीडेंस में न ले सकें। यह एक ऐतिहासिक चीज है, सालों से उनकी मांग चल रही है, आप कृपया सबको बिठाकर उनके सुझाव लेकर अन्तिम रूप से स्वीकृति देकर उनको संतुष्ट करें तो बहुत अच्छी चीज होगी। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस तरफ विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहता हूं। ऐसा न हो कि आपने तो कह दिया कि मोटे तौर पर स्वीकार करते हैं और उस पर सारे प्रदेश में तरह तरह से चीमागोई हो रही है और उसको लेकर कर्मचारियों के दिमाग में कुछ गलत तस्वीर न बनें, इसको दूर करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी उनको विश्वास में लेकर बता दें कि वह क्या देना चाहते हैं और किस तरह से करना चाहते हैं। ऐसा करना जनहित में होगा, यह कोई किसी का व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, यह लाखों कर्मचारियों का सवाल है।

*श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट में मैं भी अपनी बात इसी में जोड़ दूं पूर्व इसके कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर प्रकाश डालें। प्रदेश के कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग जुलाई, 1971 में बिठाया गया था। उसकी रिपोर्ट के आने के बाद अब 2 प्रश्नों पर बड़ा असन्तोष है। जो यहां की सरकारी कर्मचारियों की ज्वाइन्ट कौंसिल है और जो इनका मिनिस्टीरियल असोसियेशन है उनकी एक तो यह मांग है कि चूंकि यह आयोग 8 जुलाई, 1971 से बैठा था,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस वास्ते उसकी संस्तुतियां 1 अगस्त, सन् 71 से लागू की जायं और दूसरी बात यह है कि वह चाहते हैं कि जो उनकी बकाया है वेतन की वह नकद दी जाय और वह जी0 पी0 एफ0 में न जोड़ी जाय ।

इसके अतिरिक्त उनकी एक लड़ाई बहुत दिन से जारी है कि उनको भी केन्द्रीय दर पर महंगाई भत्ता दिया जाय और जब भी कीमतें बढ़ें तो मूल्य सूचकांक के अनुसार महंगाई भत्ता शतप्रतिशत बढ़ाया जाय । गजेन्द्र गडकर कमीशन की रिपोर्ट में भी इस चीज की सिफारिश की गई है लेकिन सरकार ने जो 24 रुपया महंगाई भत्ता देने की सिफारिश की है उसका आधार नहीं बताया । बढ़ती हुई कीमतों का जो प्रभाव कर्मचारियों की क्रय शक्ति पर पड़ता है उसको न्यूट्रेलाइज करने के सिद्धांत पर उनको महंगाई भत्ता मिलना चाहिए । कर्मचारियों को कम से कम जीवित रहनेवाला वेतन तो मिलना ही चाहिए ।

*वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य, देहरादून और सम्मानित सदस्य इलाहाबाद ने जो प्रश्न वेतन आयोग के संबंध में उठाये वे अवश्य ही महत्वपूर्ण हैं और उनके उत्तर मैंने अपनी बजट स्पीच में देने का प्रयास किया है । श्रीमन्, हमने वेतन आयोग की संस्तुतियों को सारतः स्वीकार कर लिया है । इसका मतलब यह है कि उसमें बहुत से निर्णय प्रगतिशील निर्णय थे और मुझे विश्वास है कि जब सदन के माननीय सदस्य उनका अध्ययन करेंगे तो सर्वसम्मति से स्वीकार करेंगे । वेतन आयोग ने न्यूनतम निर्वाह वेतन के आधार पर वेतनमानों की संस्तुतियां की हैं कि वे क्या रहेंगी । न्यूनतम निर्वाह वेतन का आधार हमारे प्रदेश के इतिहास में सबसे पहले किया गया है। इसके साथ ही साथ जो वेतनों के ढांचे में विषमतायें थीं, उनका अनुपात 1 : 8 ही रह गया है । साथ ही साथ जो वर्गीकरण की 108 श्रेणियां थीं, उनको कम करके 38 कर दिया गया है । इनके अतिरिक्त और बहुत सी अच्छी बातों को स्वीकार किया गया है । साथ ही साथ मेरा निवेदन यह है कि राज्य कर्मचारियों की यह मांग थी कि एक वेतन-वृद्धि (इन्क्रीमेंट) बढ़ाकर वेतन आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार किया जाय । इसलिये जब वेतन आयोग की सिफारिशें आयी थी तब उनके अनुसार 70 करोड़ 38 लाख रुपये व्यय का अनुमान था लेकिन अब 4 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय इसलिये हो रहा है कि जो संशोधन हमने स्वीकार किए हैं, उनकी सही मांग को देखते हुए किए हैं । हमने एक वेतन-वृद्धि बढ़ाकर उनके वेतन को निर्धारित (फिक्स) करने के आदेश दिए हैं ।

अब प्रश्न यह है कि 100 से अधिक वर्ग हैं, यह हो सकता है कि कुछ असंगतियां हों । उनके बारे में हम विचार कर सकते हैं और करेंगे भी और जो उस केडर के लोग हैं, उनके प्रतिनिधियों से बात करेंगे और अगर कोई असंगति रह गयी है तो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे । कोई असंगति होगी उसको दूर किया जाय यह प्रयास भविष्य में रहेगा और कर्मचारियों का पूरा विश्वास यह सरकार प्राप्त करेगी । मुझे आशा है कि किसी आन्दोलनात्मक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो मुख्य असंगतियां रहेंगी, उनको दूर किया जायगा ।

श्री रामगोपाल संड—

एरियर की धनराशि सरकारी कर्मचारियों को उनके फंड में जमा न करके उनको नकद दिया जाय, इसके बारे में मंत्री जी का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है ?

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये आपको अलग से समय दिया जायगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज मैंने कोई विशेषाधिकार का प्रश्न स्वीकार नहीं किया है। अब माननीय शिक्षा मंत्री का वक्तव्य होगा।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, इस वक्तव्य की प्रतिलिपि तो दिलवा दीजिये ?

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, यह तो इस सरकार की बड़ी दयनीय दशा है। कम से कम इस वक्तव्य की प्रतिलिपि तो हमें दिलवा दीजिये ?

श्री अध्यक्ष—

जिन लोगों ने यह प्रश्न उठाया था कम से कम उन लोगों को तो प्रतिलिपियां दे देनी चाहिए थीं। अगर आपके पास अतिरिक्त प्रतिलिपियां नहीं हैं तो इस वक्तव्य को कल के लिये पोस्ट-पोन कर दूंगा।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

क्या आपने विशेषाधिकार के प्रश्नों को खत्म कर दिया है ?

श्री अध्यक्ष—

वे तो मैंने अस्वीकार कर दिये हैं। और जिन लोगों ने उनको उठाया था उनके पास सूचना भेज दी है।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, हम लोगों को तो सूचना नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार के प्रश्नों पर अब मैं अपने कमरे में ही निर्णय कर देता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय—

आप उनको पढ़कर हमसे उनके बारे में सुन तो लें ?

श्री अध्यक्ष—

वे ऐसे प्रश्न नहीं हैं जिनके ऊपर चर्चा हो।

श्री बंशीधर पांडेय—

जब आप हमको सुन लेंगे तभी तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वे कैसे महत्वपूर्ण हैं ?

श्री अध्यक्ष—

उनमें कोई महत्वपूर्ण बात न होने के कारण मैंने उनको अस्वीकार कर दिया है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब एजेंडे पर एक प्रश्न है तो आप कैसे कमरे में निर्णय ले सकते हैं। एक तरफा कार्यवाही तो उचित प्रतीत नहीं होती है।

श्री बंशीधर पांडेय—

संसदीय परम्परा के अन्तर्गत कुछ दिनों से यह हाउस ऐसे जाप्ते में जा रहा कि सारी चीजें वहां से निर्णीत हों।

श्री अध्यक्ष---

उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता था....

श्री बंशीधर पांडेय---

लेकिन वह बात आपके कमरे में नहीं तय हो सकती.....

श्री अध्यक्ष---

वह तो तय होगी।

श्री बंशीधर पांडेय---

परम्परा नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

परम्परा है।

श्री बंशीधर पांडेय---

उस पर मुझको बोलना पड़ेगा। कमरे में नहीं तय हो सकता।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

माननीय पाण्डेय जी ने जो प्रश्न उठाया वह केवल पाण्डेय जी का प्रश्न नहीं है, सारे सदन की बात है। आप उसको, श्रीमन्, खुद अनुभव कर सकते हैं। जब तक आप उनकी बात सुनेंगे नहीं, तो उसे तय कैसे करेंगे?

श्री अध्यक्ष---

उसमें विशेषाधिकार की अवहेलना की बात नहीं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आप जब तक उनको सुनेंगे ही नहीं.....

श्री अध्यक्ष---

कोई जरूरत नहीं। यह नियम में दिया है, मैं कर सकता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आप तो सर्व-सत्ता-सम्पन्न हैं। लेकिन आप जब तक हमें सुनेंगे नहीं..

श्री अध्यक्ष---

जब है ही नहीं बिल्कुल.....

श्री बंशीधर पांडेय---

आपने होल्ड किया था कि किसी मेम्बर की अनर्हता के बारे में इस हाउस में नहीं पढ़ा जा सकता है, बाहर उठाया जा सकता है। उपाध्यक्ष ने होल्ड किया कि वह हो सकता है और गवर्नर को दे सकते हैं। आपकी रूलिंग वहां कट गई। आप इस प्रश्न पर पहले हमें समझ लें कि यह मामला कितना महत्वपूर्ण है। आगरा सर्किट हाउस में, मैंने पूछा कि आपने होटल या मोटल के भवन बनाने की स्वीकृति दी है? उन्होंने कहा, प्रश्न नहीं उठता। बाद में कह दिया कि दूसरी जगह के लिये दिया है।

श्री अध्यक्ष---

होटल और मोटल में बहुत फर्क है। उन्होंने होटल की स्वीकृति दी है।

श्री बंशीधर पांडेय---

मैंने पूछा था कि आगरा सर्किट हाउस की प्रिमिसेस में होटल या मोटल बनाने की आज्ञा क्या दी जा रही है ? उन्होंने कहा कि प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष---

मोटल आपने कहा था ।

श्री बंशीधर पांडेय---

होटल या मोटल कहा था.....

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मान्यवर, क्या जालरी आफ वर्ड्स में जाकर शब्द अर्थ का अनर्थ करेंगे । होटल या मोटल, दोनों का अर्थ एक ही होता है ।

श्री अध्यक्ष---

होटल जो होता है, वहां जाकर ठहरते हैं 2-4 दिन लेकिन होटल वह चीज है कि....

श्री बंशीधर पांडेय---

उसमें दोनों लिखा है ।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने मोटल के लिये नहीं दिया है । होटल के लिये दिया है । मैं पढ़कर सुना दूं:---

"क्या सरकार को पता है कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त जी के समय में सर्किट हाउस, आगरा में एक उद्योगपति ने (मोटल) बनाने की आज्ञा मांगी थी?" इसके लिये उन्होंने "नहीं" कहा । फिर उसमें आगे है "उस समय सुरक्षा की दृष्टि से वह आज्ञा नहीं दी गई । " इसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये कागजात नहीं मिले । फिर उसमें आगे है कि "20 दिसम्बर, 1972 को वर्तमान मुख्य मन्त्री जी ने श्री ओबराय फर्म को मोटल बनाने की आज्ञा प्रदान करने का निश्चय किया है ?" इसमें उन्होंने कह दिया 'नहीं' ।"

श्री बंशीधर पांडेय---

आप हमारे सारे प्रश्नों को सप्लीमेन्टरी उठा लें और तब देखें.....

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

उसमें कहा है कि आज्ञा देना सरकार के विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष---

मोटल के लिये नहीं है । यह होटल के लिये है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

सवाल तो वही था । यह बिल्कुल कहा है कि विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष---

मोटल बनाने के लिये प्रार्थना-पत्र नहीं आया....

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

काहे के लिये आया था, कहना चाहिये था ।

श्री बंशीधर पांडेय---

मैंने सप्लीमेन्टरी पूंछी थी कि होटल या किसी प्रकार की कोई चीज बनाने का प्रार्थना-पत्र मिला है?

श्री अध्यक्ष---

जब सप्लीमेन्टरी पूछी तो उस वक्त कहा कि होटल के लिये आया है।

श्री बंशीधर पांडेय---

प्रश्न यह है कि आगरा सर्किट हाउस के प्रिमिसेज में है कि नहीं.....

श्री अध्यक्ष---

विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि जो जवाब दिया गया है वह ठीक दिया गया है।

श्री रामगोपाल सन्ड---

मान्यवर, ...

श्री बंशीधर पांडेय---

मान्यवर, मैं फिर से विशेषाधिकार का प्रश्न अध्ययन करने के बाद उठाऊंगा।

माध्यमिक शिक्षक संघ तथा शिक्षा परिषद् के मध्य निर्णय को पूरा न करने से अध्यापकों द्वारा परीक्षाओं का वहिष्कार किये जाने के संबंध में वक्तव्य

(गृह राज्य मंत्री) श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, इस वक्त वक्तव्य तैयार है, आप सुनाने की आज्ञा दे दें।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेर)---

मान्यवर, अभी हमें उसकी प्रतियां नहीं मिली हैं। आप कल दिलवा दें।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मैं अभी दिलाये देता हूं.....

श्री अध्यक्ष---

अगर माननीय सदस्य वक्तव्य सुनने को तैयार हैं तो पढ़िये।

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण---

गत वर्ष 14 मार्च, 1972 को शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें शिक्षा निदेशक, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, संयुक्त सचिव शिक्षा, श्री हरिकृष्ण अवस्थी, अध्यक्ष परीक्षा समिति तथा माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष, श्री ओम प्रकाश वर्मा, उपाध्यक्ष, श्री आर० एन० ठकुराई तथा सदस्य, श्री सुरेश चन्द्र सक्सेना, प्रदेश कार्यकारिणी उपस्थित थे। इस बैठक में विचार विमर्श के पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये थे :---

(1) 1968 के बोर्ड के प्रस्तावों के अनुसार कार्यवाही इस परिवर्तन के साथ की जाय कि हर मीटिंग में निरीक्षक को 3 रु० प्रति मीटिंग प्रदान किया जाय।

(2) 1973 की परीक्षा के लिये प्रस्ताव आने पर पुनः पारिश्रमिक की दरों पर विचार किया जाय और उस पर निर्णय लेने के पूर्व शासन निम्न समिति से विचार कर ले :---

1---श्री ओम प्रकाश वर्मा, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

2—श्री हरि कृष्ण अवस्थी, अध्यक्ष परीक्षा समिति

3—शिक्षा निदेशक

4—सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्

5—शिक्षा सचिव

6—संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग

7—श्री आर0 एन0 ठकुराई, एम0 एल0 सी0, उपाध्यक्ष, मा0 वि0 संघ ।

2—इस सम्बन्ध में यह सूचित करना है कि शासन ने 1972 की परीक्षाओं से परिषद् के पारिश्रमिक कार्यों की दरों में परिषद् के प्रस्तावों के अनुसार वृद्धि की थी । यह अनुमान था कि इस पर व्यय भार लगभग 22 लाख रु0 होगा जो बाद में बढ़ कर 41 लाख रु0 हो गया । इन पारिश्रमिकों में हुई वृद्धि के अतिरिक्त कुछ ऐसी मदें छूट गयी थीं जिन पर इस वर्ष विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव है । परिषद् द्वारा यह भी अनुभव किया गया कि पिछले वर्ष की वृद्धि के अतिरिक्त कुछ मदों में इस वर्ष पुनः संशोधन की आवश्यकता है । बोर्ड के इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं । इन पर अनुमानतः व्ययभार 9 लाख रु0 होगा । शासन इन प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है । प्रारम्भिक जांच के पश्चात् पिछले वर्ष हुए निर्णय के अनुसार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि एवं अन्य अधिकारियों के साथ इस विषय पर यथाशीघ्र विचार किया जायगा ।

3—इस सम्बन्ध में यह भी सूच्य है कि माध्यमिक शिक्षक संघ के दूसरे दल के अध्यक्ष, श्री माहेश्वर पान्डेय, सदस्य विधान परिषद् भी शिक्षा सचिव से दिनांक 14-3-72 को मिले थे और उनसे भी उपर्युक्त विषय पर विचार-विमर्श हुआ था । जो निर्णय लिये गये वह वैसे ही थे जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । यह निश्चय किया गया कि 1973 की परीक्षा के लिये बोर्ड के प्रस्ताव आने पर उस पर निर्णय लेने के पूर्व शासन श्री माहेश्वर पाण्डेय के दल के साथ जिनमें श्री राम सिंह, एम0 एल0 सी0 व श्री टी0 पी0 मिश्र, एम0 एल0 सी0 हैं, से विचार-विमर्श करेंगे ।

अध्यक्ष—

आपको बार-बार सूचना देने के बाद भी वक्तव्य की प्रति मुझको नहीं मिली । इस वक्तव्य की कापी माननीय सदस्यों को नहीं मिली, यह तो अलग बात है, मुझे भी नहीं मिली अभी तक । अगर माननीय सदस्य प्रश्न पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा कि इर्रिलिवेंट है या रिलेवेन्ट । अभी आप मेरे पास इसकी कापी भिजवा दें ।

श्री मोहन लाल कपूर—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पारिश्रमिक बढ़ाने की बात कही गई है और जिस पर आप सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं तो क्या 22 तारीख से पूर्व जिस दिन से परीक्षा आरम्भ होने जा रही है, निर्णय ले लेंगे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जो आइटम्स जिन पर गत वर्ष विचार नहीं हुआ, इस बार उन पर विचार कर लिया गया है और यह प्रयास किया जायगा कि 22 तारीख के पूर्व सूचना दे दी जाय । लेकिन यह निश्चित है कि गत वर्ष जिन आइटम्स पर विचार नहीं हुआ था, जैसे टेबुलेशन का मामला है, पेपर सेटर का मसला है, क्लासफोर्थ एम्प्लाइज, के रेमूनरेशन का मसला है, सेन्टर के सुपरिन्टेन्डेंट के रेमूनरेशन का मसला है, आदि पर विचार कर लिया गया है और उनके प्रोपोजल्स आ गये हैं जिन पर 9 लाख रुपये व्यय होगा और शीघ्रातिशीघ्र उस पर निर्णय लेने की घोषणा होने वाली है ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, इस प्रश्न में आपने देखा होगा कि दो प्रश्न जुड़े थे। एक तो यह था कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक, कर्मचारी और लिपिक वगैरह कापी जांचने, निरीक्षण करने और टेबुलेशन आदि वर्क के लिये अधिक पारिश्रमिक चाहते थे जो बोर्ड दे सकता था। दूसरा प्रश्न यह था कि बोर्ड के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों ने पिछले दस दिन से कलम बन्द हड़ताल कर रखी थी क्योंकि उन्हें भी परीक्षा सम्बन्धी कुछ कार्य दिये जाते थे और वे भी अधिक पारिश्रमिक चाहते थे। क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि वह कलम बन्द हड़ताल समाप्त हुई या नहीं और उनके ए0 पी0 तिवारी अध्यक्ष और जे0 एन0 तिवारी मन्त्री ने जो मांग-पत्र दिया था वह क्या था और क्या मन्त्री जी ने उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया? दूसरे यह कि 22 तारीख के पहले कोई घोषणा मन्त्री जी कर देंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

बोर्ड के कर्मचारी शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक से मिले थे और माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उन्होंने जो कलमबन्द हड़ताल कर रखी थी, वह समाप्त हो गयी और काम प्रारम्भ हो गया है। जहां तक 22 तारीख से पहले किसी प्रकार की घोषणा करने का प्रश्न है तो वित्त तथा प्रशासनिक सम्बन्धी कार्यवाही करने के बाद शीघ्र ही कुछ घोषणा करेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मन्त्री जी ने जैसा कहा कि अध्यापकों की पारिश्रमिक बढ़ाने की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे तो जो गैर शिक्षक कर्मचारी हैं और जो समान रूप से इन परीक्षाओं में काम करते हैं उनके पारिश्रमिक बढ़ाने की मांग पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

फोर्थ क्लास एप्लाइज, चपरासी, पियून, रनर्स, और लिपिक आदि जिनके बारे में लास्ट ईयर विचार नहीं किया था इस साल विचार कर रहे हैं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

मन्त्री जी ने कहा है कि पारिश्रमिक बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से जानना चाहता हूं कि किस तारीख तक वह घोषणा कर देंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस वक्त तो यही आश्वासन दिया जा सकता है कि हम शीघ्रातिशीघ्र घोषणा कर देंगे।

श्री रामगोपाल संड—

इसमें लिखा है, यह वक्तव्य की कापी अभी मुझे मिली है कि 1973 की परीक्षा के लिये प्रस्ताव आने पर पुनः पारिश्रमिक की दरों पर विचार किया जाय और उसपर निर्णय लेने से पूर्व श्री माहेश्वर पांडेय और श्री रामसिंह एम0 एस0 सी0 और माध्यमिक शिक्षकों के दूसरे गुट जिसके अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा हैं उनसे 22 तारीख के पूर्व कोई मीटिंग बुलाकर हल निकालने की कोशिश करेंगे जिससे कि अध्यापक हड़ताल पर न जा सकें ? यदि हां, तो क्या सदन में उसका आश्वासन देंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय सदस्य तो स्वयं एक सफल अध्यापक रहे हैं। मैं यह आश्वासन बिल्कुल निश्चित रूप से दे रहा हूं कि समस्त वृद्धि के प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं जिसमें 9 लाख रुपये का

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

इनवाल्वमेन्ट पड़ रहा है। मुख्य मन्त्री जी के निर्देश हो गये हैं कि इसको देखिये और करीब-करीब यह निश्चत है कि यह वृद्धि हो जायगी।

श्री मोहन लाल कपूर—

मन्त्री जी के उत्तर से तो और भ्रम पैदा हो गया है। गत वर्ष की कुछ मदें देने के लिये रह गयी थीं और यह तय हुआ था कि सन् 1973 में समान नीति से दिया जाएगा। आप कृपा करके यह बताइये कि सन् 1973 में जो पारिश्रमिक बढ़ोत्तरी दे रहे हैं क्या वह सब को देंगे या कुछ को ही देने वाले हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

गत वर्ष जो वृद्धि हुई थी, जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा, उसका एनाउन्समेंट बाद में हुआ था। जो बाकी रह गये हैं उन पर इस समय निर्णय लेने की बात है। उन पर निर्णय लिया जा रहा है।

राज्य में सस्ते गल्ले की दूकानों पर खाद्यान्नों के अभाव से उपभोक्ताओं को कष्ट होने के संबंध में वक्तव्य

खाद्य तथा रसद राज्य मन्त्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

सर्वश्री शम्भूनाथ चौधरी, महावीर सिंह चौहान, मो0असरार अहमद, त्रिलोक चन्द्र तथा सच्चिदानन्द गुप्त ने जो राज्य सरकार का ध्यान राज्य की सस्ते गल्ले की दुकानों पर खाद्यान्नों के अभाव के कारण उपभोक्ताओं को कष्ट की ओर आकर्षित किया है, उसके लिये मैं उनका आभारी हूं। राज्य सरकार स्वयं इस समस्या के प्रति पूर्णतयः सजग है और इस सम्बन्ध में शासन ने समय-समय पर यथासम्भव आवश्यक कदम उठाए हैं।

2—इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश में वर्तमान खाद्यान्न की स्थिति को केवल प्रदेश के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सारे देश के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिय इसमें कोई शक नहीं है कि खाद्यान्नों की उपज प्रदेश के निवासियों की आवश्यकता के लिये पर्याप्त है किन्तु गत वर्ष इस प्रदेश में वर्षा कुछ देर से प्रारम्भ हुई तथा आरम्भ होने क बाद 3—4 सप्ताह कतई नहीं हुई जिसके कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई तथा बोई हुई खरीफ की फसल को क्षति हुई और कुछ जमीन में बोआई भी नहीं हो सकी। इस कारण खाद्यान्नों के मूल्यों में "स्पेकूटोरियल" वृद्धि होने लगी। इस वृद्धि को रोकने के लिये शासन ने अनौपचारिक राशनिंग क्षेत्रों में राशन कार्ड पर गेहूं की मात्रा प्रति यूनिट कोई सीमा न रखकर आवश्यकतानुसार कर दी और कुछ चुने हुए खपत तथा केन्द्रों पर पी0सी0एफ0 के माध्यम से 50 किलोग्राम तक बगैर राशन-कार्ड के गेहूं दिये जाने की व्यवस्था की। इस कदम से बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति में कुछ रुकावट हुई किन्तु देश के कुछ भागों जैसे आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र,गुजरात आदि में वर्षा की अत्यन्त कमी होने के कारण वहां की स्थिति खराब होने लगी और इन भागों को मदद किये जाने की आवश्यकता बढ़ गई। इसलिये भारत सरकार ने इस प्रदेश के लिये गेहूं के मासिक आबंटन की मात्रा में कमी कर दी। किन्तु उपर्युक्त उल्लिखित राज्यों में सूखा की स्थिति और विषम होती गई और जैसे-जैसे वहां की स्थिति बिगड़ती गई भारत सरकार को इस प्रदेश के गेहूं के आबंटन में कमी करनी पड़ी। तदनुसार हमको भी राशन में गेहूं की मात्रा को पहले प्रति यूनिट आवश्यकतानुसार मात्रा की जगह पर 6 किलोग्राम फिर 4 किलोग्राम और अन्त में 2 किलोग्राम गेहूं तथा 2 किलोग्राम आटा प्रति यूनिट प्रति मास करनी पड़ी

हैं । मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये गेहूं की गत कुछ मासों की प्रदेश की मां तथा उसके विरुद्ध गेहूं के आबंटन के आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं:—

मास		गेहूं की मांग (मीट्रिक टन)	भारत सरकार द्वारा आबंटन की मात्रा (मीट्रिक टन)	मात्रा जो वितरित हुई (मीट्रिक टन)
1		2	3	4
अगस्त, 1972	..	1,31,200	92,224	39,875.6
सितम्बर, 1972	..	1,60,280	60,000	49,785.9
अक्तूबर 1972	..	1,60,000	75,000	37,778.1
नवम्बर, 1972	..	1,60,000	60,000	33,131.2
दिसम्बर, 1972	..	1,07,000	35,000	24,231.0
जनवरी, 1973	..	87,000	35,000	15,796.1
फरवरी, 1973	..	87,000	35,000	अभी प्राप्त नहीं
मार्च, 1973	..	87,000	35,000	,,

3—इस राज्य में अनौपचारिक राशनिंग व्यवस्था के अन्तर्गत लगभग दो करोड़ यूनिट के लिये केवल 2 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति मास गेहूं की सम्पूर्ति के लिये भी 40,000 टन गेहूं की आवश्यकता है तथा आटा व अन्य गेहू उत्पादन जैसे मैदा, सूजी आदि की आवश्यकता की पूर्ति हेतु रोलर फ्लावर मिलों को केवल एक शिफ्ट कार्य करने के लिये 27,000 टन गेहूं की आवश्यकता है जो कुल मिलाकर 67,000 टन होती है । इस आवश्यकता के विरुद्ध इस प्रदेश को केवल 35,000 टन गेहूं का आबंटन दिसम्बर, 1972 से चालू महीने तक प्राप्त हुआ है जो स्पष्टतया कम है । एक और कारण प्रदेश में गेहूं तथा गेहूं उत्पादों की कमी का भी है । कि प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा आदि द्वारा उनके वहन पर कुछ समय पूर्व से प्रतिबन्ध लगा दिया है जिससे इन वस्तुओं का इस राज्य में आना बन्द हो गया है और उपलब्धता में कमी हुई है, जिसके फलस्वरूप सस्ते गल्ले की दुकानों पर भार बढ़ गया है ।

ऐसी परिस्थिति में यह हो सकता है कि सस्ते गल्ल की दुकानों पर गेहूं व आटा की कमी हुई हो किन्तु उससे हमें हताश होने की कोई बात नहीं है । इस कमी को दूर करने के लिये हमने खरीफ के मोटे अनाजों की खरीदारी भी की है और इस अनाजों को भी अलावा अपने यहां सस्ते गल्ले की दुकानों पर 65पैसे प्रति किलोग्राम की सहायित दर पर विशेषकर कमजोर वर्गों के हित में वितरण करने के लिये अन्य जरूरतमंद वाले राज्यों को भी दिये हैं।

4—जहां तक मैं समझता हूं माननीय सदस्यों को इस चर्चा को करने का तात्पर्य वितरण व्यवस्था की त्रुटियों को दूर करने तथा उसे सुदृढ़ बनाने का है । इसलिये मेरा उनसे नम्र निवेदन है इस विषय को इस तरह से प्रस्तुत किया जाये कि जनता में कोई भय अथवा अभाव की भावना पैदा करना न हो बल्कि शासन के हाथ मजबूत करने का हो जिससे इस परिस्थिति पर काबू पाया जा सके ।

[श्री यादवेन्द्र सिंह]

5—शासन को एसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि यत्र-तंत्र जिला पूर्ति कार्यालयों का जनता द्वारा घेराव किया गया है। फिर भी राज्य सरकार प्रयत्नशील है कि उपलब्ध खाद्यान्न तथा सम्भव उत्तम ढंग से वितरित किया जाये तथा स्थिति पर नियंत्रण रखा जाय। इसके लिये राज्य सरकार ने निम्नलिखित अन्य कदम उठाये हैं:—

(1) समस्त जिला अधिकारियों को यह आदेश दिये गये हैं कि वे सस्ते गल्ले की दुकानों की चेकिंग अपने जिला पूर्ति अधिकारी से करायें और यह सुनिश्चित करें कि खाद्यान्न इन दुकानों पर उपलब्ध है। विशेष कर होली के त्योहार के लिये मैदा व सूजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वे इस बात को भी सुनिश्चित करें कि बनस्पति आदि के दाम होली के अवसर पर न बढ़ जायें सहकारी संस्थाओं को भी वितरण का कार्य करने के लिये बढ़ावा दिया जा रहा है।

(2) राज्य सरकार भारत सरकार से निरन्तर उच्चतम स्तर पर गेहूं के आबंटन बढ़ाने के लिये प्रयास कर रही है लेकिन देश की खाद्यान्न की सामान्य स्थिति को देखते हुए भारत सरकार अधिक आबंटन नहीं दे सकी। आशा है कि अगले मास से विदेशों से खाद्यान्न के आयात तथा नयी रबी की फसल से खरीदारी के फलस्वरूप भारत सरकार से आवश्यकतानुसार आबंटन प्राप्त हो सकेगा तथा स्थिति में सुधार होगा।

(3) गेहूं तथा उसके उत्पादन के प्रदेश से बाहर निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है जिसके फलस्वरूप गेहूं की उपलब्धता भी बढ़ेगी। यह प्रतिबन्ध पिछली रात को 12 बजे से लगा दिया गया है तथा मूल्यों में गिरावट आने की भी आशा है।

(4) इस वर्ष राज्य सरकार ने चावल की लेवी की मात्रा बढ़ा दी है और यह राशन में निर्धारित मात्रा में उपलब्ध है। गेहूं की कमी को आंशिक रूप से पूरा करने के लिये राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों के खाने की आदत को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी व पूर्वी जिलों में चावल की मात्रा पहले एक किलो से बढ़ाकर 2 किलो कर दी। तत्पश्चात् पर्वतीय जिलों के निवासियों की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस मात्रा को बढ़ाकर 3 किलो प्रति यूनिट प्रतिमास कर दिया है यह भी सुविधा दी है कि यदि गेहूं/आटा उपलब्ध न हो तो कमी चावल से पूरी कर दी जाये। इस प्रकार गेहूं की कमी को चावल की मात्रा बढ़ाकर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त तीन क्विंटल तक चावल बिना प्रतिबन्ध के तराई की मंडियों से पहाड़ के अन्दरूनी क्षेत्रों में ले जाने की अनुज्ञा दे दी है।

(5) खरीफ के मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा व मक्का) की भी खरीदारी की जा रही है। हम सभी जानते हैं कि जनता के कमजोर वर्ग अधिकतर मोटे अनाज में रूची रखते हैं। इसलिये इन अनाजों को राज्य सरकार सहायता देकर 65 पैसे प्रति किलो की दर से सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा वितरण कर रही है।

(6) गेहूं/आटा की कमी को आंशिक रूप से पूरा करने के लिये 2 किलो मक्का, बाजरा अथवा ज्वार उपलब्धतानुसार प्रति यूनिट दिये जाने की सुविधा दी गयी है। इस प्रकार मैदानी अनौपचारिक राशनिंग क्षेत्र में 2 किलो गेहूं 2 किलो आटा तथा 2 किलो चावल (अथवा 2 किलो मोटा अनाज 6 किलो की सीमा के अन्दर) प्रति यूनिट प्रति मास दिये जाने का प्राविधान है तथा पर्वतीय जिलों में 3 किलो गेहूं/आटा

तथा 3 किलो चावल प्रति यूनिट प्रति मास दिया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में उपरोक्त 6 किलो के अतिरिक्त उपभोक्ताओं को 1 किलो बाजरा/मक्का प्रति यूनिट प्रति मास भी देय है।

6—उपरोक्त तुरन्त उपायों के अतिरिक्त, राज्य सरकार ने आगामी रबी की फसल से गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया है ताकि भविष्य में उपभोक्ताओं को एक उचित निर्धारित मूल्य पर ये मुख्य अनाज पूरे वर्ष उपलब्ध किया जा सके। इस निर्णय को शीघ्र ही कार्यान्वित किया जा रहा है।

7—इस समय जब कि प्रदेश खाद्यान्नों की कठिन स्थिति से गुजर रहा है हम आप सबके सक्रिय सहयोग की कामना करते हैं और विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि इस सदन में बैठे प्रत्येक माननीय सदस्य हमारी वितरण व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने में अपना पूर्ण योगदान दें तथा प्रदेश को आसन्न संकट से बचायें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि सूखा का असर खरीफ की फसल पर हुआ था, रबी पर नहीं था, गतवर्ष तो जब रबी पर नहीं हुआ था तो गेहूं की उगाही का लक्ष्य क्यों नहीं पूरा हुआ ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

पिछले वर्ष प्राइस सपोर्ट स्कीम के अन्दर खरीदारी का काम शुरू हुआ था और जो उसके लिये धन की व्यवस्था की गयी थी वह एफ0 सी0 आई0 के जरिये हुई थी। वह पैसा एक महीने लेट उपलब्ध हो सका। बाजार में उसके फलस्वरूप एक महीने लेट जा सके। हमारा लक्ष्य दामों को नीचे नहीं गिरने देना था जोकि निश्चित हुआ था। इसलिये जब हम बाजार में गये तब तक दामों में बढ़ोत्तरी हो गयी थी। इसलिये लक्ष्य तक पहुंचने में एक फाइनेन्स की रुकावट थी और एक कोआपरेटिव के माध्यम से जो खरीदारी करते थे सुपरवाइजर लोग उनकी हड़ताल चलती रही और हम इंटीरियर तक खरीदारी में नहीं घुस सके। इस तरह से खरीदारी का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। लेकिन जहां तक दामों को और न गिरने देने का लक्ष्य था उसको पूरा किया।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

आपने जो बयान दिया है उसको पृष्ठ 3 पर देखेंगे कि लिखा है कि "शासन को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि यत्र-तत्र जिला पूर्ति कार्यालयों का जनता द्वारा घेराव किया गया है"। मैं कहना चाहता हूं कि 9 दिसम्बर, 1972 को देहरादून के अन्दर बहुत बड़े जन-समूह के अन्दर जिला पूर्ति कार्यालय का घिराव किया गया। कारण यह है कि दो किलो गेहूं और दो किलो आटा आप उपभोक्ता को देना चाहते हैं यह केवल कागज के ऊपर है, यह उपलब्ध नहीं होता है। तो क्या इस बात की व्यवस्था करेंगे कि आपको जानकारी सही दी जाय और जो यह घोषणा करते हैं इसका कार्यान्वयन हो सके? इसके लिए भी आप कोई जांच करायेंगे ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

यह तो हमने कहा है कि हम प्रयत्नशील है, लेकिन इसके लिये माननीय सदस्यों के सक्रिय सहयोग की अपेक्षा करते हैं और अगर उनका सहयोग मिलेगा तो जो चीज कागज पर है उसको धरती पर उतारने का भी प्रयास करूंगा उनकी मंशा के मुताबिक।

श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

उन्होंने कहा है कि एक यूनिट के लिये प्रतिमास 2 किलो गेहूं, दो किलो आटा दिया जायगा, तो एक आदमी के लिये कुल 66 ग्राम खाना एक वक्त मिलगा तो क्या 66 ग्राम से वह एक आदमी

[श्री त्रिलोक चन्द्र]

का जीवन रख पायेंगे ? यदि नहीं, तो क्या इसकी मात्रा को 4 किलोग्राम से ज्यादा करेंगे जिससे जिन्दगी रह सके आदमी की ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनीसिंह)--

मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि यह जो राशनिंग है वह टोटल नहीं है, इनफार्मल और पार्शियल है जो कमजोर वर्ग के लोगों की सुविधा पहुंचाने के लिये, इमदाद करने के लिये इतना हम देते हैं। बाकी बाजार से वह सप्लीमेंट करते हैं। इस तरह से बाहर से जो सप्लीमेंट करते हैं उसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि राशनिंग के संबंध में गरीब के राशन कार्ड ज्यादा हैं और अमीर के कम, लेकिन अमीर भी राशन लेते हैं तो उनको रोकने की चेष्टा करेंगे ताकि गरीबों को ज्यादा मात्रा में चीज मिल सके ?

श्री बेनीसिंह--

ऐसा तय तो नहीं किया, लेकिन अगर यह सवाल उठेगा तो हम विचार कर लेंगे।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

मंत्री जी के जरिये से लोगों को जिन्दा रखने के लिये जाने क्या-क्या कहा जाता है तो क्या आपत्ति है सरकार को कि जिनकी आमदनी ज्यादा है उनके राशन-कार्ड खत्म कर दें और गरीबों को दे दें ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो बहस हुई, प्रश्न नहीं हुआ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

इस प्रदेश में कुल कितनी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं ? उनमें से कितनी शहर में हैं और कितनी गांवों में हैं ? और क्या हर दुकानदार गल्ला उठा रहा है और अगर नहीं उठा रहा है तो कितनी दुकानें गल्ला नहीं उठा रही हैं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह--

कुल 12,700 दुकानें प्रदेश भर में हैं जिसमें से 4,200 शहरों में हैं और बाकी देहातों में हैं। प्रायः किसी दुकान से यह शिकायत नहीं मिली कि वह गल्ला एकदम नहीं उठा रही है। कमोवेश वह अपनी हैसियत के मुताबिक उठा रहे हैं।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)--

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य के पृष्ठ 4 में कहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में अगर गेहूं नहीं मिल पा रहा है तो चावल कुछ अधिक देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि चावल कुछ दिन जरूर मिला लेकिन अब बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है इसकी जांच करा कर व्यवस्था करायेंगे ? क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र बहुत अभावग्रस्त क्षेत्र हैं ?

श्री बेनी सिंह--

मैं तो अपनी तरफ से जानकारी करवा ही रहा हूं और आदेश दे ही रहा हूं लेकिन आपसे निवेदन है कि अगर किसी क्षेत्र विशेष की जानकारी आप दें तो उसकी भी जांच करवा लूंगा। गल्ला रेगुलरली पहुंचाने का सतत् प्रयत्न है।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी--

मैंने आपको पत्र लिखा है और आपने ऐकनालेज भी किया है।

श्री बेनी सिंह--

ऐकनालेज किया है। उसकी जानकारी तो मैं कर ही रहा हूं।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या खाद्य मंत्री जी को जानकारी है कि देहात की जो सस्ते गल्ले की दुकानें हैं उनमें से बहुत सी दुकानों को तोड़ने के आदेश जिलाधील महोदय ने दे दिया है ?

श्री बेनी सिंह--

ऐसा कोई निर्देश हमारी तरफ से तो है नहीं लेकिन अगर कहीं किया है तो मुझे बतायें, मैं उसकी जानकारी कर लूंगा।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

इलाहाबाद के नगर और देहात क्षेत्र में दुकानदारों ने आटा नहीं लिया चूंकि वह सड़ गया था और कितनी ही दुकानों पर गल्ला था ही नहीं, क्या इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को है ? यदि जानकारी नहीं है तो क्या इसकी चांज करायेंगे ?

श्री बेनी सिंह--

कैसे जानकारी करूं कि किन में है और किन में नहीं है ? अगर कोई लिखित सूचना दें तो जानकारी करूं।

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)--

क्या माननीय मन्त्री जी को यह मालूम है कि बरेली जिले की देहातों में सस्ते गल्ले की दुकानें नहीं हैं और अगर कोई दुकान है तो वहां गल्ला बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है ? ऐसा क्यों?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा तो कि आप जगह का नाम बता दीजिये।

श्री शफीक अहमद खां--

जिला बरेली की देहातों में सस्ते गल्लें की दूकानों पर गेहूं, आटा या चावल क्यों नहीं पहुंच रहा है ?

श्री बेनी सिंह--

बरेली जिले का पूरा बताते हैं। मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूं कि कोई स्पेसिफिक क्षेत्र बता दें, कोई दुकान बता दें तो मैं उसकी जानकारी कर लूं। ऐसा तो नहीं है कि बरेली की देहात में कहीं भी गल्ला नहीं है। हो सकता है कि जहां माननीय सदस्य गये हों वहां न हो।

श्री शफीक अहमद खां--

मेरी इस सूचना को सही मान कर क्या मन्त्री जी बरेली जिले की जांच करायेंगे ?

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया।)

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

फरवरी, 1973 तक राज्य में मोटे अनाज की कितनी खरीदारी हुई और आपने कहा कि सहायता देकर 65 पैसे प्रति किलो की दर से सस्ते गल्ले की दुकानों पर बिकवाया जा रहा है, तो आप उपभोक्ता को कितनी सहायता दे रहे हैं ?

श्री बेनी सिंह—

यह सूचना इस समय नहीं है।.... (व्यवधान)

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

आपने जो लिखा है कि हम सस्ते दर पर वितरण कर रहे हैं और सहायता देकर, तो क्या सहायता आप देते हैं ?

श्री बेनी सिंह—

सहायता का मतलब सब्सीडी से है। यह हम दूकानदार को देते हैं अगर उसको घाटा होता है तब खरीदार को नहीं देते।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

गांव में चीनी आदि के वितरण का कार्य बड़ा गलत हो रहा है। मैं चाहता हूं सरकार जिलाधीश के माध्यम से सारी दुकानों की जांच करवाये। अब तक होता यह है कि अगर किसी दुकान की शिकायत की जाती है तो जिलाधीश तहसीलदार को और तहसीलदार, नायब तहसीलदार को जांच सुपुर्द कर देता है और नायब तहसीलदार 500 रु0 लेकर केस को खत्म कर देता है। मेरे क्षेत्र में एक दुकान की शिकायत की गयी, नायब तहसीलदार ने 500 रुपये दुकानदार से ले लिया और 400 रु0 एक और आदमी से ले लिये जिसको दुकान दिलवाने का वायदा किया..... (व्यवधान) मन्त्री जी ने सुझाव मांगा है, मैं सुझाव दे रहा हूं.....

श्री अध्यक्ष—

आप उनको अपने सुझाव लिख कर दे दें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या माननीय खाद्य मन्त्री जी इस समस्या के समाधान के लिये कोई सर्वदलीय समिति बुलाकर विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से परामर्श करेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

अवश्य करेंगे। 2/4/10 दिन बाद मैं डिवीजनल वार माननीय सदस्यों को बुलाकर उनसे परामर्श करूंगा। इसमें कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है और न होना चाहिये और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग भी राजनैतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठ कर इस मुसीबत के समय हमारी मदद करें। यह समस्या केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं है, बल्कि पूरे देश की है। अन्य भागों की मुसीबत को भी हमें देखना पड़ेगा। हम चाहते हैं आप सब हमारी इस मुसीबत के समय सहायता करें। हम आपके सहयोग से लाभ उठाना चाहते हैं। हम किसी प्रकार भी राजनीति का प्रश्न इसको नहीं बनाना चाहते। मुसीबत का जब वक्त होता है तो सब तरफ से मुसीबत आती है। इस समय आप इस समस्या के हल के लिये आप हमारी मदद कीजिये। यह आज देश का सवाल है। केवल प्रदेश का ही नहीं है।

18 दिसम्बर, 1972 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अनुपूरक प्रश्न के संबंध में कारागार मंत्री का शोधन वक्तव्य

कारागार उप-मन्त्री (श्री रामपूजन पटेल)—

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 18 दिसम्बर, 1972 को सर्वश्री शम्भूनाथ चौधरी, सच्चिदानन्द गुप्त तथा त्रिलोक चन्द्र द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के सम्बन्ध में श्री कल्पनाथ सिंह तथा श्री नित्यानन्द स्वामी ने अनुपूरक प्रश्नों में पूछा था कि चारों मतक बंदियों की लाशें उनके

घर वालों को नहीं दी गईं ? अधिकारियों द्वारा ही उनकी लाशें जलाई और दफनाई गईं और उनके घरवालों या संबंधियों को सूचना नहीं दी? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया, क्या उनके सम्बन्धी वगैरह उपलब्ध नहीं थे और इसकी जांच कर ली गई थी ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "कायदा तो यह है कि पोस्टमार्टम के बाद उनके संबंधियों को सूचना दी जाती है लेकिन हमारे पास जो सूचना इस समय है उसमें इस बारे में सूचना नहीं है । अगर आप (अध्यक्ष) आज्ञा देंगे तो बाद में सूचना दे दूंगा" ।——— लाशों को दफनाने व जलवाने के बारे में कहा गया था कि "वह मुसलमान था इसलिये लाश गाड़ दी गई और बाकी हिन्दू थे इसलिये जला दी गई । यह बात नहीं है कि उनके घर वालों को लाशें नहीं दी गयी । यह बिल्कुल असत्य है ।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला । सही उत्तर इस प्रकार है:—

मृतक चार बन्दियों में दो मुसलमान थे तथा दो हिन्दू थे । उनके नाम यह हैं—(1) मोहम्मद अली उर्फ मिच्छन, (2) मोहम्मद यासीन, (3) गुरुचरन, तथा (4) शम्भू सिंह । इन चारों मृतक बंदियों के घर वालों को 14-9-72 को सूचना भेजी गई थी । बंदी मोहम्मद अली उर्फ मिच्छन इलाहाबाद का रहने वाला था । उसके दो भाई अच्छन तथा सफदर रजा भी केन्द्रीय कारागार, नैनी में बन्द थे । उन्हें मिच्छन की लाश दिखा दी गयी और उनके बताये पते पर विशेष पत्रवाहक द्वारा दिनांक 14-9-72 को ही सूचना भेजी गयी थी किन्तु घर में कोई नहीं था और ताला बन्द था । तीन अन्य मृतक बन्दियों की मृत्यु हो जाने तथा शव लेने के लिये उनके घर वालों को सूचना देने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद, रायबरेली तथा बाराबंकी को 14-9-72 को तार भेजे गये थे । 15-9-72 को जब किसी भी मृतक बन्दी का रिश्तेदार नहीं पहुंचा और शवों को अधिक देर तक रखना उचित तथा सम्भव नहीं पाया गया तो केन्द्रीय कारागार, नैनी के अधीक्षक ने पुलिस की मौजूदगी में चारों शवों का अंतिम संस्कार उनके धर्मानुसार तथा जेल नियमों के अनुसार करा दिया ।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है ।

———

विधान सभा के द्वितीय सत्र (1972) के लिये श्री शंभूनाथ चौधरी, श्री सच्चिदानन्द गुप्त तथा श्री त्रिलोक चन्द्र द्वारा पूछा गया अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 304 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 14 सितम्बर, 1972 को नैनी जेल में गोली चलाये जाने के कारण 4 कैदियों की मृत्यु हो गई है ? यदि हां, तो पूर्ण तथ्य क्या हैं ?	गत 13/14 सितम्बर की रात्रि को केन्द्रीय कारागार, नैनी के बन्दीगण गुरुचरन, मिच्छन, शम्भू सिंह तथा मो० यासीन जब जेल से भाग रहे थे तो जेल कर्मचारियों द्वारा उन्हें रोकने के प्रयास में दोनों दलों में मुठभेड़ हुई, जिसमें बंदियों ने हथगोलों व तमंचों का और जेल कर्मचारियों ने अपने बचाव तथा उन्हें रोकने के लिये लाठियों का प्रयोग किया । कथित चारों बन्दी जख्मी हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई । मामले की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा हो रही है । अपराध अनुसंधान विभाग भी जांच कर रहा है ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास 3 कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं। एक सर्वश्री सुरेन्द्र विक्रम, वंशीधर पांडेय व राम बिलास पांडेय का दिनांक 10-3-73 को वाराणसी विश्वविद्यालय के 70 छात्र गिरफ्तार किये जाने से भयावह स्थिति के बारे में है, आज अनपूरक बजट पर चर्चा है, आप लोग इस विषय में उस में चर्चा कर सकते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

आप इस पर कार्य-स्थगन दें, तो कम से कम ढाई घंटे का विवाद इस पर करा दें। आप से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष—

तो फिर इसके लिये आप अलग से दें।

दूसरा सर्वश्री राम बिलास पांडेय व राम प्रसाद का, आजमगढ़ जिले के थाना घोसी के गांव, हमीरपुर में एक 10 वर्ष आयु की अबोध बालिका के साथ दो व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किये जाने के विषय पर था। सके बारे में जब मैं जानकारी हासिल कर लूंगा तब कुछ हो सकता है। इस तरह से अखबार के बेसेज पर नहीं। पहले आप सवाल कर लें, जिससे मालूम हो जाए कि यह ठीक है या नहीं।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, यह हमारे निर्वाचन क्षेत्र की ही बात है। इस प्रकार की यह तीसरी घटना है। लड़की को दो यवक इकबाल और मंझन अरहर के खेत में ले गये और उसके साथ दोनों ने बलात्कार किया। उसकी रिपोर्ट 6 तारीख को हुई। पी0 ए0 सी0 8-3-73 को मौके पर पहुंचती है तो 30-40 एकड़ खड़ी फसल बर्बाद कर दी जाती है पी0 ए0 सी0 की मौजूदगी में कलेक्टर यकायक पहुंचता है। कलेक्टर के पहुंचने के बाद वह डांटता है तब जाकर कटाई बन्द होती है। डाक्टरी जांच के लिये डाक्टर ने इनकार किया। 6 को रात भर लड़की अस्पताल में पड़ी र ी, 7 को 11 बजे जांच हुई और डाक्टर ने गलत रिपोर्ट की लड़की के आवेदन पत्र में है।

श्री अध्यक्ष—

आप बजट के डिस्कशन में कह सकते हैं। यह चीज गवर्नमेन्ट से सम्बन्धित नहीं है। जब तक गवर्नमेन्ट के ऊपर आक्षेप नहीं आता तब तक काम रोको प्रस्ताव नहीं हो सकता है।

श्री राम बिलास पांडेय—

इसको 51 में ले लें।

श्री अध्यक्ष—

काम रोको प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता है।

श्री शम्भनाथ चौधरी, श्री त्रिलोक चन्द्र तथा श्री सच्चिदानन्द गुप्त का है—ग्राम जैयतपुर टिकरी, जिला फैजाबाद के हरिजनों का उत्पड़ीन। यह निश्चित नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

उसमें लिखा गया है, 14 अगस्त को यहां उठा था, आपकी कृपा से मंजूर हुआ था, 51 में बयान हुआ। माननीय मुख्य मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि हरिजनों को संरक्षण मिलेगा। उसके बाद उनका उत्पीड़न और बढ़ गया है।

श्री अध्यक्ष—

आप कहते जाइये न जब बहस करेंगे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

ऐसा थोड़े ही है कि कह देंगे और उत्पीड़न खत्म हो जायगा। उनके विधायक लोग उत्पीड़न कर रहे हैं, सत्तारूढ़ कांग्रेस के। आप चर्चा करवा दें।

श्री अध्यक्ष—

अब वित्तीय वर्ष 1972–73 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद होगा।

(श्री जयराम वर्मा के खड़े होने पर) इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, क्या कामरोको प्रस्ताव आप प्रेस करते हैं?

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

वक्तव्य दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आप वक्तव्य के लिये दे दें। मैं उनको कह दूंगा।

श्री जयराम वर्मा—

पिछली बार प्रश्न आया था। सरकार ने यहां पर कुछ वादा किया था कि सी० आई० डी० अप्वांइट होगी जांच के लिये। उनकी शिकायत थी कि उन पर बहुत से मुकदमें चल रहे हैं, उसके बारे में कहा गया था कि सरकार कार्यवाही करेगी। लेकिन आज तक सी० आई० डी० की जांच सरकार के पास पहुंची नहीं और उनके ऊपर मुकदमें चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

कोई खास बात है? इन्होंने जिक्र किसी का किया नहीं है। कहा है कि हरिजनों के ऊपर।

श्री जयराम वर्मा—

एक मुरादाबाद और एक आगरा में चल रहा है।

श्री अध्यक्ष—

किसी इंसीडेंट का जिक्र नहीं है। हरिजनों के संरक्षण का आश्वासन दिया था। आगरा और मुरादाबाद से भी फर्जी मुकदमें कराये जा रहे हैं जिससे हरिजन विशेष उत्पीड़ित हो रहे हैं। इसके बारे में आप डिटेल में जिक्र कर दीजिये अनुपूरक बजट में। उसके ऊपर वह विचार कर लेंगे। लेकिन यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता। यह गोल ढंग से कहना कि आगरा और मुरादाबाद में भी हरिजनों का विशेष उत्पीड़न हो रहा है, कामरोको प्रस्ताव में नहीं आ सकता है, जब तक निश्चित नहीं होगा। निश्चित तो होना चाहिये।

श्री जयराम वर्मा—

आप बयान दिलवा दें।

1972–73 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष—

अब अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद होगा।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुदानों के लाने के सम्बन्ध में जो संविधान में व्यवस्था की गयी है सरकार द्वारा उसका बड़ा अनुचित लाभ उठाया जा रहा है और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है । इतनी बड़ी अनुपूरक मांग, 190 करोड़ 1 लाख 21 हजार 1 सौ, की यह तो उन अधिकारों का जो संविधान ने सरकार को अनुपूरक अनुदानों के सम्बन्ध में दे रखा है, दुरुपयोग किया जा रहा है ।

अनुपूरक अनुदानों को लाया जाना वैधानिक है और तीन तरह से इनको लाया जा सकता है । मैं इस बात को मानता हूं हो सकता है कि मूल बजट में जो धन की व्यवस्था की गयी है वह वास्तविक आवश्यकता से कम पड़े ऐसी सूरत में अनुपूरक अनुदान लाना पड़ता है जिससे जो रुपये की कमी हो उसकी व्यवस्था हो सके और वह कमी पूरी हो सके लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि मूल बजट में ऐसा अनुमान लगाया जाय कि उस अनुमान में बहुत अन्तर पड़ जाय ।

(इस समय 1 बजे उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये)

मैं एक आध मिसालें इस सम्बन्ध में आपके सामने रखना चाहूंगा जैसे ऋण कम करना अथवा उसका परिहार इसके अन्तर्गत 112 करोड़ रुपये की मांग की गयी है । इसके सम्बन्ध में नियम यह है कि राज्य सरकार को बैंक में न्यूनतम शेष 85 लाख रुपया रखना पड़ता है । जब यह न्यूनतम शेष कम हो जाता है तो बैंक से अर्थोपाय अग्रिम सरकार को मिल जाता है । इस साल सरकार को कई बार रुपये की कमी पड़ी और यह न्यूनतम अवशेष कम पड़ गया तो बार-बार अर्थोपाय अग्रिम सरकार को मिला और इस प्रकार कुल मिला कर 195 करोड रुपया अर्थोपाय अग्रिम के जरिये सरकार को बैंकों से मिल जायेगा जब कि मूल बजट में केवल 65 करोड रुपये की व्यवस्था थी । इसमें कहते हैं कि 8 करोड़ रुपये का प्रबन्ध बचतों से ही हो जायगा । इसलिये 122 करोड की मांग इस अनुपूरक अनुदान के जरिये सदन के सामने रखी गयी । 65 करोड़ की जगह 122 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग और की जा रही है यह कैसा अनुमान है ?

मैं कहता हूं कि सरकार को जो अधिकार है उसका यह बेजा फायदा उठाया जा रहा है । सरकार समझती है कि उसे अधिकार है तो वह जैसे चाहे उसका इस्तेमाल कर सकती है । सरकार को अधिकार अगर प्राप्त है तो संयम के साथ उसका प्रयोग करना चाहिये । 65 करोड़ के स्थान पर 70 करोड़ हो सकता था, 5 करोड़ बढ़ जाता लेकिन 65 की जगह 195 करोड़ की जरूरत पड़ जाय और हमारे वित्त विभाग ने कोई अन्दाज नहीं लगाया एसा अनुमान लगाया जैसे कि इस सदन के साथ अन्याय हो रहा हो । इससे आप अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं । माननीय मंत्री जी बड़ी उदार प्रकृति के हैं और कहते रहते है कि हम बहुत सुधार कर रहे हैं, सुधार ला रहे हैं, सब कुछ ठीक कर दें । सुधार की बात तो जाने दीजिये, व जिस जगह पर थे वहीं पर कायम नहीं रह रहे हैं पीछे रहते चले जा रहे हैं । बजट के बनाने में लापरवाही की जा रही है । एक मिसाल तो मैंने आपको यह दी ।

दूसरी एक ग्रान्ट है नं0 33, सार्वजनिक निर्माण कार्य जो कि राजस्व से किये जाते है इसमें 11, 19, 43, 100 रुपये की मांग की गई है । मैं कहता हूं कि आखिर मूल बजट किस लिये बनाया गया था और अनुपूरक अनुदानों में इतने रुपयों की जरूरत क्यों पड़ी ? वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जो धनराशि जरूरी है, उसमें कमी पड़ती है तो अनुपूरक अनुदान सदन से स्वीकार करा लिया जाता है किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि जो सड़कें बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई थीं या उनके अनुरक्षण या रख रखाव के लिये अथवा स्पेशल मरम्मत के लिये जो सामान वगैरह की जरूरत पड़ी उन सब के लिये आप

को इतनी बडी धनराशि 11, 19, 43, 100 रु0 की आवश्यकता हुई और उसकी मांग सदन से की गई। आखिर सन् 71 में जो बाढ़ आई थी उसकी क्षतिपूर्ति के लिये और सड़कों को यातायात योग्य बनाने के लिये मूल बजट में क्यों व्यवस्था नहीं की गई और यदि की भी गई तो इतनी कम धनराशि की व्यवस्था क्यों की गई जिससे उसमें इतनी कमी आई ? उस समय इस पर क्यों विचार नहीं हुआ ? यहां पर इतनी बड़ी-बडी रकमों की मांग की जाती है। तो यह बात मुनासिब नहीं है।

इसी तरह से परिवहन में है। इस मद में भी 2,89,96,700 रु0 की अनुपूरक मांग की गई है। आखिर आपने मूल बजट में क्या किया। इस पर क्यों सोचा नहीं गया। यदि विभागों ने गलत अनुमान किया था तो वित्त विभाग ने क्या किया। उसने क्यों नहीं देखा। इस तरह से जो मांग की जाती है उनके विषय में आगे के लिये सरकार ने संयम और नियंत्रण रखने हेतु क्या व्यवस्था की है। ऐसा लगता है कि कहीं कुछ नहीं है। इसी तरह से बहुत से ऐसे काम हैं। इस तरह से एक तरफ तो व्यवस्थित धनराशि में कमी पड़ी, दूसरी ओर अनुपूरक अनुदान लाने का जो तरीका है कि अगर किसी नये काम को शुरू करना जरूरी है तो क्या उस वक्त इस चीज को नहीं सोचा जा सकता है जब मूल बजट तैयार किया जा रहा हो। अनुपूरक अनुदान द्वारा उसके लिये मांग की जाय यह अच्छी बात नहीं है।

मूल बजट के पेश करते समय भी इन चीजों पर विचार किया जा सकता था। जरूरी कामों को रोकना नहीं चाहिय, यह मैं मानता हूं लेकिन ये तो इस तरह के काम हैं जो कि उसी वक्त सोचे जा सकते थे। जैसे इसमें कहा गया है कि 51 जिलों में गांव सभाओं और क्षेत्र समिति में योजनाओं को बनाने और उनमें प्रगति लाने के लिये अभी नये कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। उसकी रकम है 96 हजार रुपया लेकिन वह इसलिये है कि योजनाओं के बनाने में प्रगति लान के लिये अब नये कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी, जब कि साल खतम हो रहा है। एक वर्ष के बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना शुरू हो रही है। उसके पहले योजनायें जल्दी में बन सकें और उसमें कोई देर न हो यह मूल बजट के वक्त सोचने की बात होती है लेकिन अब जब कि साल खतम हो रहा है तब आप कह रहे हैं कि हमें 51 जिलों में कर्मचारियों की जरूरत है जिससे योजनाओं के बनाने में कुछ तेजी लायी जा सके। यह तो उसका दुरुपयोग है। ऐसी चीजें साल के आखिर में नहीं होती हैं और एक महीने के बाद अप्रैल में आप बजट लायेंगे, तो उसमें क्या फर्क था उसी समय इसको लाते। बात यह है कि मूल बजट में आवे तो इस तरह के मामले पर अच्छी तरह से विचार कर सकते हैं। अनुपूरक अनुदान तो एक दिन के लिये लाया जाता है और एक दिन में भी कुल तीन चार घंटे मिलते हैं जिससे इतने कम समय में उस पर अच्छी तरह से विचार नहीं हो सकता है। इसलिये ऐसी चीज पास हो जाया करती है और सदन को उसके बारें में विचार करके अपनी राय देने का पूरा मौका नही मिलता। इसलिये इस तरह से इसको नहीं लाना चाहिये बल्कि मूल बजट में ऐसी चीजों की मांग करनी चाहिये।

इसी तरह से अनुदान संख्या 12 है–ग्राम सभायें और पंचायतें–इसमें 25,73,500 रुपये की मांग की गयी है और उसमें भी नयी गाड़ियों की खरीद में वृद्धि के नाम पर 6 लाख रुपये की मांग की गयी है साल के आखिर में। जितनी गाड़ियों की आपको जरूरत है, अब एकदम से मार्च में क्यों आकर जरूरत पड़ गयी कि सदन 6 लाख रुपया और उसके लिये मंजूर कर दें। शुरू में क्यों नहीं अन्दाजा लगा लिया गया कि इसके लिये इतने रुपये की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से 15 लाख रुपया और रखा गया है। इस तरह से बड़ी-बड़ी रकमें ऐसे कामों के लिये मांगी गयी हैं जिन कार्यों के बारे में मूल बजट में विचार करना चाहिये था और मूल बजट में जिनके बारे में मांग आनी चाहिये थी लेकिन वह नहीं किया गया और यहां पर उसको पेश किया गया है।

इसी तरह से गन्ना क्षेत्रों के अन्तर्ग्राम सड़कों और पुलियों का निर्माण–अन्तर्ग्राम सड़कें गन्ना क्षेत्रों में होनी चाहिये ताकि गन्ना आसानी से मिलों तक पंहुच सकें तथा शहर से खाद

[श्री जयराम वर्मा]

बीज या और सामान गांवों तक आसानी से पंहुच सकें, इसकी भी बड़ी आवश्यकता है । उस वक्त मूल बजट में इसकी मांग करनी चाहिये थी कि इन चीजों की जरूरत है ।

इसमें 2 करोड़ 2 लाख 22 हजार रुपये की जो मांग की गयी है, वित्त विभाग ने या उस विभाग ने जो उससे सम्बन्ध रखता है, उसने उस वक्त मूल बजट के समय क्यों नहीं सोचा कि यह जरूरी है, उसे एकदम से ख्याल आ गया कि गन्ना क्षेत्रों में अन्तर्ग्रामीण सड़कों की जरूरत है ? पहले से ऐसी चीज की जरूरत नहीं थी, नयी बात क्या हो गयी जो 2 करोड 12 लाख रुपये की मांग इस वक्त की गयी है कि गन्ना क्षेत्रों में अन्तर्ग्रामीण सड़कें बनायी जायेंगी । इस तरह से यह अधिकारों का दुरुपयोग है और उसका यह अनुचित लाभ उठाया जा रहा है ।

दूसरा तरीका अनुपूरक अनुदान लाने का यह होता है कि कोई नयी मद हो और जिसका शुरू करना बहुत जरूरी हो, और उसका रोकना ठीक नहीं हो तब उसकी मांग की जाती है । लेकिन इस अधिकार के अन्तर्गत एक बेजा लाभ उठाया गया है और उसका दुरुपयोग किया गया है । तीसरा तरीका टोकिन ग्रांट का माना जाता है । अगर धन उपलब्ध है, लेकिन जिस मद में धन उपलब्ध है उसमें खर्च नहीं हो रहा है और नई मदों के लिये रुपये की जरूरत है और इस अनुमान में उपलब्ध है तो टोकिन ग्रांट के रूप में वह मांग पेश की जाती है और उनको मान लिया जाता है या जो मूल योजना थी उसमें बहुत ही महत्व का परिवर्तन हो गया है जिसे सदन के सामने लाने की जरूरत है तो मांग लाई जाती है सदन के सामने । लेकिन इस तरह की टोकेन ग्रांट की मांग की जाती है, यह प्रतीक मांग है । इसका अर्थ यह नहीं है कि उससे ही यह सब भरी पड़ी हो । एक एक अनुदान के अन्दर इस तरह की बहुत सी मांगे हैं । इसके माने यह हो जाते हैं कि जिस मद में रुपया रखा या और आज कहा जा रहा है कि उसमें वह खर्चा नहीं होगा और दूसरी मद में खर्चा होगा । इसलिये उसे वहां ले जाना चाहते हैं । इसके माने हैं कि उसके बारे में पहले से नहीं सोचा गया । अगर किसी जगह रुपया रखा गया है और खर्चा नहीं हो रहा है तो विभाग ने उस पर अच्छी तरह से विचार नहीं किया । यह बड़ी लापरवाही का द्योतक है कि किसी चीज के लिये रुपये की मांग कर लेना और फिर उसमें उसे खर्च न करना और आखिर साल में यह कहना कि इसको दूसरी मद में खर्च कर लेंगे, इसको स्वीकृति दे दी जायें ।

इस तरह से श्रीमन्, अगर आप देखें तो एक आध ग्रांट ऐसी है उसमें कई कई प्रतीक मांगें ऐसी हैं । जैसे अनुदान संख्या 11, इसमें प्रतीक मांगें भरी पड़ी हैं । जिन मदों के लिये रुपया रखा गया उनमें खर्च नहीं हुआ और नई मदों के लिये कहा जा रहा है कि हम इनमें उन रुपये को खर्च करेंगे । इसी तरह से अनुदान संख्या 18-शिक्षा है । इसमें केवल 1400 रुपये की मांग की गई है जब कि इसमें खर्चा बहुत बड़ी इनवाल्व्ड है । वह रकम एक मद से निकल कर दूसरी मद में जायेगी ।

इसी तरीके से अनुदान संख्या 20 है । इसमें सब प्रतीक मांगें भरी हुई हैं । सहकारिता है, इसमें भी प्रतीक मांग है । अब मैं एक आध मिसाल देना चाहता हूं सहकारिता के अन्तर्गत आपरेशन फ्लड योजना के अन्तर्गत वाराणसी दुग्धशाला स्थापना के लिये सहायता दी जायेगी जिसमें 40 लाख रुपये का ऋण है और 10 लाख रुपये का अनुदान है । इसमें 50 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है । यह धन उपलब्ध है । इस लिये टोकिन ग्रांट की मांग की गई है । आखीर साल में कह रहे हैं कि वाराणसी में दुग्धशाला की स्थापना के लिये 50 लाख की सहायता देना चाहते हैं जिससे यह काम हो सके ।

सवाल यह है कि जो काम रखा गया था वह क्यों नहीं हुआ ? इस विषय में उस विभाग से वित्त विभाग क्या कोई पूंछ तांछ करेगा कि क्यों इतनी बड़ी बड़ी रकमें मंजूर तो

करा ली गई लेकिन वह खर्च नहीं की गई । आज उन रकमों को दूसरी मद में ट्रांसफर करने की बात की जा रही है । इसका प्रभाव यह होता है कि मूल बजट के आंकडों पर कोई विश्वास नहीं रह जाता है । सदन समझता है कि मांग विचार करके की गई है कि रुपया खर्च होगा और वह काम पूरे किये जांयेंगे जिन के लिये वह मांगा गया था लेकिन वह खर्च नहीं हो रहा है और अन्त में अब उस को दूसरे कामों के लिये मांगा जा रहा है तो इससे एक अविश्वास पैदा होता है कि सचमुच यह भी खर्च होगा या नहीं और एक अन्दाज नहीं होता और बात बिलकुल उल्टी हो जाती है ।

इस तरह से जब दुरुपयोग होता है तो सदन का विश्वास समाप्त हो जाता है और यह सोचना पड़ता है कि क्या बजट आया है, उसकी धनराशियों पर भिन्न-भिन्न कार्यों के लिये जो मांग की गई है सचमुच वह काम होंगे भी या नहीं । जब इतनी बडी-बडी रकमें इधर उधर कर दी जाती हैं, सोचा जाता है थोडा सा और कई गुना खर्च करना पडता है साल साल भर में, इससे सन्देह यही होता है कि जो भी रकमें मांगी गई हैं किसी भी ग्रांट में वह विचार कर के नहीं मांगी गयी हैं । लेकिन अगर विभाग ने विचार नहीं किया था तो वित्त विभाग ने उस को क्यों नहीं देखा ? इस तरह से विभाग भी और वित्त विभाग भी दोनों ही इसके जिम्मेदार हैं । मैं जानना चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर नियंत्रण कैसे करेंगे ? कैसे वह सदन को आश्वस्त करेंगे कि उन्होंने जो धनराशियां भिन्न-भिन्न मदों के लिये मांगी हैं वे सचमुच सही हैं और उन्हीं कामों के लिये है, उनके लिये जरूरी है ? इस तरह से इस चीज पर विश्वास ही नही रह जाता है ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अपने बजट भाषण में लम्बी बातें कहीं हैं, बडे हार्ड साउंडिंग शब्दों में उनकी ओर वह जरा ध्यान दें और इस बात पर गौर करें, अभी तक नहीं थीं, वह अब नई पैदा हो रहीं हैं । लम्बी चौडी बातों से तो कुछ नहीं होता, बात थोडी की जाय और उसको पूरा किया जायताकि सदन को विश्ववास हो जाय कि आप जो कहते हैं उसको पूरा भी करते हैं । लम्बी बातों के बाद जब होता कुछ नहीं तो जो स्थिति थी उसमें भी बिगाड़ हो जाता है ।

बजट भाषण को हम कैसे देखें ? अभी फैजाबाद के कुछ हरिजनों का प्रश्न आया। इस बजट भाषण में मंत्री जी ने यह कहा है कि उन्होंने हरिजनों के लिये विशेष ध्यान रखा है, जिला अधिकारियों और पुलिस विभाग के अधिकारियों को आदेश दे रखा है कि वे जब दौरे पर जांय तो हरिजनों का विशेष ध्यान रखें कि उनके साथ कोई अन्याय या जुल्म तो नहीं हो रहा है । यह भी कहा है कि अगर ऐसा होता है तो सामूहिक जुर्माना करेंगे और वहां के लिये विशेष पुलिस की व्यवस्था की जायगी ताकि उनके साथ अन्याय न हो सके । एक बात उसम यह भी कही है कि अगर कोई गर दखलअन्दाजी पुलिस मामले आयें . . . (यह मैं इसलिये कह रहा हूं क्योंकि इसी भाषण के द्वारा इन्होंने यह भी पेश किया है ।) . . . उनमें विशेष अधिकार दे कर जांच की जायगी । माननीय राज्य मंत्री जी बैठे हैं एक मामला हमारा आया था और इसी सदन में वादा किया गया था कि सी० आई० डी० मुकर्रर हो गई है और जांच कर के उस की कार्यवाही होगी । मैंने राज्य मंत्री जी से जानना चाहा उन्होंने कहा कि अभी तक सी० आई० डी० की रिपोर्ट ही नहीं आयी है जब कि मुकदमें आगरे में मुरादाबाद में चल रहे हैं और अपने ही जिले में 13 झूठे मुकदमें, कि सर्विस रोड पर गाडियां ट्रक चल रहीं थी, चल रहे हैं । सरकार ने कुछ नहीं किया कि इन झूठे मुकदमों को वापस करा लें । जब अदालत में कोई अच्छा अधिकारी आ जाता है तो न्याय हो जाता है । चूंकि ये 13 मुकदमें गलत थे, इसलिये उन्हें खारिज कर दिया लेकिन सरकार द्वारा सी० आई० डी० द्वारा जांच कराकर कोई एक्शन नहीं हुआ तो कैसे मंत्री जी जो कहते हैं विश्वास किया जाय कि वे वास्तव में उसे करना चाहते हैं । मैंने एक मिसाल सहकारिता विभाग की दी कि कैसे उसमें बडी रकम की जरूरत पड़ी और उसकी अनुदान के अन्दर जो बचत की रकम है, उससे पूर्ति हो जायगी ।

[श्री जयराम वर्मा]

शिशु आहार निर्माण शाला, मुरादाबाद, के लिये माननीय मंत्री जी मूल बजट में नहीं सोच सकते थे कि यह जरूरी चीज है कि उसमें मशीन बदली जाय । पहले कोई और लेना चाहते थे अब दूसरी लेना चाहते हैं । वर्ष जब बीत गया अब कहते हैं कि मशीन नहीं है । इस आहार शाला के लिये दूसरी मशीन खरीदी जायगी, रूपया तो वहां पर है ही, लेकिन सदन के सामने आये हुये हैं कि इसकी मंजूरी दी जाय ।

जसौं पशु प्रजनन इकाई (रायबरेली) के लिये भी एक बड़ी रकम मांगी गयी है। यह रकम बजट में उपलब्ध है, महज दिखाने के लिये वह रकम मांगी गयी है । सहकारिता विभाग की जिसके आधार पर समझते हैं कि उनके समाजवाद की आधार शिला होगी, उसकी बुनियाद पर समाजवाद कायम होगा, उसकी यह हालत है । जिस सहकारिता विभाग की यह हालत है, कैसे उस पर समाजवाद की स्थापना होगी । तो मेरा कहना है कि इन बातों को देखें और देखकर उनको ठीक करने की कोशिश की जाय तब तो कुछ सुधार होगा, जैसा माननीय मंत्री जी का विचार है वरना, अगर केवल अल्फाजों से ही संतोष चाहते हैं तो आपका संतोष वहीं तक सीमित रह जायगा और सुधार से कोई मतलब नहीं होगा ।

श्रीमानजी, जैसा मैंने कहा इस तरह से तीनों किस्म के जो अनुपूरक अनुदानों की मांग की जाती है, तीनों तरह की अनुदानों की मांगों में अपने अधिकार का दुरुपयोग किया गया है। पहले अनुपूरक अनुदान 64 करोड का था, वह तो स्वीकार हो गया है । इस अनुपूरक अनुदान की रकम खूब बढ़ाकर 190 करोड की गई है । आज तक इस सदन के इतिहास में इतना बडा अनुपूरक अनुदान मैंने कभी नहीं देखा था । इस तरह से दोनों अनुपूरक अनुदानों की रकम 254 करोड 17 लाख 19 हजार 400 रूपये हो जाती है ।

हमारे इस देश के बहुत से ऐसे प्रदेश है जिनका मूल बजट इतने का नहीं होता होगा । माननीय मंत्री जी उतने रुपये अनुपूरक अनुदान द्वारा मांग रहे हैं और उस वक्त मूल बजट पेश करते वक्त उन्होंने विचार नहीं किया कि किन-किन चीजों, किनकिन सेवाओं की, प्रदेश के हित में करना है। कौन सा विभाग कौन काम करेगा, इस पर अच्छी तरह से विचार न करके, अब साल के आखीर में इतने रुपये की मांगे करके सदन के के सामने मंजूरी के लिये आने पर सदन के सामने कोई रास्ता नहीं रह जाता है । जिस रुपये को आकस्मिकता निधि से 10–15 रोज पहले निकाल लिया गया हो, और खर्च भी कर दिया गया हो, 10–15 दिन पहले, उसकी बाद सदन के सामने दूसरा रास्ता नहीं रह जाता है, सिवाय इसके कि उसको मंजूर करें क्योंकि वह रूपये तो खर्च कर चुके हैं, अब तो यह जरूरी है । बात यह हो जाती है कि उसमें अच्छी तरह से विचार नहीं हो पाता है । जो मूल बजट हमारा आये तो उस पर सदन अपनी राय दे सके और माननीय मंत्री जी को उस पर विचार करने का मौका हो, वह नहीं हो पाता है । इतनी बड़ी अनुपूरक मांग को साल के आखिर में पेश कर दिया । थोड़े समय में ये सारी चीजें मंजूर करनी पडती हैं ।

एकआध मिसाल और दे दूं । सिंचाई, निर्माण कार्य पर भी इसी तरह से लम्बी-लम्बी रकमें मांगी गयी हैं । सारदा प्रणाली के अंतिम भाग की जलपूर्ति की सहायक योजना में उस वक्त नहीं मांगा गया, अब कहते हैं 6 करोड चाहिये । 9.18 करोड उचन्त में और चाहिये । शुरू में नहीं कहा । इसी तरह से बडी-बडी परियोजनाओं और नयी योजनाओं के बारे में है । गंडक परियोजना पर कहा गया है कि 2 करोड चाहिये । राम गंगा पर ढ़ाई करोड चाहिये । मेरा निवेदन है कि काम जरूर होना चाहिये । पैसे की वजह से किसी काम में देर हो, सदन इसको ठीक नहीं समझेगा । सदन चाहता है कि काम हो । लेकिन विभाग नहीं चाहता है कि काम हो । वह लापरवाही करता है । मूल बजट इसी वास्ते आता है कि साल भर में कौन-कौन काम करने हैं, किन-किन मदों में

रुपये की जरूरत होगी । उस पर विचार करके उसे लाया जाय तो तेजी से और सुनिश्चित ढंग से काम हो सकता है । उसी चीज को अगर अनुपूरक अनुदानों के द्वारा लायेंगे तो जिस तरह से शुरू से योजना बन सकती है, उस तरह से काम की योजना नहीं बन सकती है । उसमें रुकावटें आयेंगी, कठिनाइयां आयेंगी । इसलिये मैं इस तरह से जो मांग की गयी है, उस तरीके का विशेष विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि जो अधिकार संविधान में उनको अनुपूरक अनुदानों को लाने के लिये प्राप्त हैं, उसका दुरुपयोग संख्या के बल पर न करें । उसका ठीक से प्रयोग करें । जो उसकी मन्सा है कि जब ऐसी जरूरत पड़ जाय तो उसकी मांग जरूर कर लें । बहुत सी चीजों के लिये जरूरत पड़ेगी । ऐसा सदन कभी सोचता नहीं है । सदन तो यही सोचता है कि मूल बजट में जितनी खास-खास बातें है, योजनायें और परियोजनायें हैं, उनके लिये जितनी रकम की जरूरत पड़ेगी, विभाग उसके लिये अच्छी तरह से विचार कर के मांग करेगा और सदन उसको मंजूर करेगा, जिससे वह काम साल भर में ठीक से हो सके ।

इन शब्दों के साथ में जिस तरीके से यह मांग की गयी है, उसका विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी से फिर यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो अधिकार उन्हें प्राप्त है उन अधिकारों का ठीक से सदुपयोग हो सके, इसके लिये अपने विभाग पर और दूसरे विभागों पर प्रभाव डाल सकें, जिससे इस तरह की गलतियां जो बढ़ती जा रही है, वह गलतियां कम से कम हों और जब न चीजों की आवश्यकता हो तो उनकी मांग कर ली जाय जिससे सुविधा के काम में कोई कठनाई न हो और जितने पैसे की जरूरत है जिस काम के लिये, वह मिल सके और वह काम हो सके ताकि प्रदेश की जनता की तखलीफों का निवारण हो सके और प्रदेश तरक्की कर सके । इन शब्दों के साथ जिस तरीके से यह अनुदान लाया गया है मैं उसका विरोध करता हूं ।

*श्री वंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)––

उपाध्यक्ष, जी जैसा अभी भाई वर्मा जी ने कहा, मुझे तो वित्तमंत्री को याद दिलाने के लिये एक बात आ गई और वह यह है कि जब यह सरकार पदारुढ़ हुई थी दल बदलने के बाद तो वित्त मंत्री का पहला जो बजट भाषण हुआ था, वह इस समय मेरे सामने है नहीं आप उसे देख लें, तो उसमें उन्होंने बड़े जोश के साथ कहा था कि हम एक नई प्रणाली बजट की इन्ट्रोडयूस करने जा रहे हैं, जिसे वह बड़े शान से परफोरमेंश बजट कहा करते थे और उस पर फोरमें बजट के द्वारा वह हर महीने या क्वाटरली रिव्यू करते हुये अपनी योजना पर खर्च करने जायेंगे ताकि वह गलती न हों, जिसके लिये उन्होंने पिछली सरकारों पर आप लगाये थे कि मार्च के अन्त में जनवरी से लेकर मार्च तक इन तीन महीनों में, अधिक व्यय हो जिसे जो जाली व्यय या अपव्यय होने का अनुमान रहता है, वह न हो ।

मैं आप से निवेदन करूं कि जब यह सप्लीमेंटरी बजट मैंने देखा तो मैं समझता हूं कि भारत की आधी स्टेस का बजट भी 254 करोड़ नहीं है जैसे मणीपुर है, त्रिपुरा है, मिजाराम है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, आदि ये छोटे-छोटे राज्य हैं और हां 10–12 जिले हैं । मुझे डिटेलस जानने का मौका नहीं मिला और न ही मैंने इसकी आवश्यकता समझी क्योंकि जगलरी आफ फिगर्स में जाने से कोई परपज नहीं है । मैं वित्त मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं ऐसी बहुत से योजना रहती हैं जो साल-छः महीने पहले से उनके विषय में कागजात चलने लगते हैं, जैसे कहीं किसी सड़क का निर्माण हैं, इसमें आपने शारदा पम्प नहर, गंडक योजना है, यह सारीयोजना लांग टर्म योजनाएं हैं, यह मेन बजट में आनी चाहिए ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

मैं आपको बता दूं मान्यवर, इस सप्लीमेंट्री को देखने से यह मालूम होता है कि वित्त मंत्री जी का रंचमात्र भी फाइनेंस डिपार्टमेंट पर कन्ट्रोल नहीं है। यह जो सरकारी मशीनरी है, जब कोई चीज मेन बजट में लाने का साहस नहीं करती, तब वह जल्दबाजी में सप्लीमेंट्री बजट में उन सारे कागजको करवा लेती है जिन कागजों को सीधे रूप में मूल बजट में आना चाहिए।

मान्यवर, एक चीज और देखें। राज्यपाल के विवेकाधीन कोष में 12 हजार रुपये थे। इस वर्ष रेड्डी साहब रहे, फिर श्री एस० के० वर्मा और अब वर्तमान राज्यपाल आ गये। तो 3 हजार रुपये का अधिक खर्च हो गया। उस 3 हजार के बजाय अब 25 हजार रुपये लिख दिये गये। जहां आपको 2 लाख रुपये की जरूरत है वहां आपने 5 लाख कर दिये। आखिर आप सोचते हैं कि इतनी तेजी से इस धन को बढ़ाते जाते हैं तो इसके पीछे राज क्या है। अब जनता को न इनके बजट पर विश्वास रह गया है और न इसके सप्लीमेन्टरी बजट पर। सप्लीमटरी बजट की परिभाषा यह है कि मूल बजट के बीच में कोई एमरजेन्सी आ जाय जिसके कारण मूल बजट के प्रोग्राम में जोड़ने की बात हो। लेकिन इस 254 करोड़ रुपये में दो चार करोड़ की ऐसी बातें हों तो। इन्होंने लिखा है कि डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर दी लिहाजा उनको 25 परसेंट या तीन सौ चार सौ रुपया एलाउन्स देने की बात है। यह भी उचित है या नहीं इस पर अलग से बात होगी। लेकिन मैं ऐसी दो एक बातें मानें लेता हूं।

अब आप देखें मान्यवर गंडक नहर योजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी योजना है। उसमें कभी से काम हो रहा है। उसे सप्लीमेंटरी बजट में आने की क्या जरूरत है, उसे तो साल के बजट में आना चाहिए था। इसी तरह से विद्युत् विभाग की बाबत आप कह रहे हैं। आपने स्वयं पढ़ा होगा। विद्युत् बोर्ड के चेयरमैन ने भाषण दिया है। अखबार में उसे पढ़कर मेरे तो कान खड़े हो गये। रामकृष्ण द्विवेदी, अध्यक्ष, विद्युत् परिषद् का वक्तव्य है कि 4 करोड़ का सामान ऐसा खरीदा गया जिसका कोई उपयोग नहीं है, राटन सामान है। दस लाख का सामान स्टोर से गायब है। तो मान्यवर, यह सप्लीमेंटरी बजट सरकारी कर्मचारियों की दुरभिसंधि और उनके दिमाग में जो गलत भावनाएं होती हैं उनके लिए एक एस्केप मात्र है और आपने जो परफारमेंस बजट की बात कही थी वह सब जलकर खाक हो गया। परफारमेंस बजट में तब मानता जब महीने महीने का बजट आता। अगर ऐसा हुआ होता तो आपका एचीवमेंट भी ज्यादा अच्छा हो सकता था। लेकिन अब आप 254 करोड़ का सप्लीमेंटरी बजट लाये हैं।

इसमें मान्यवर आप देखेंगे कि इन 18 दिनों में ट्रेजरी से इतना पैसा निकलेगा जितना कि नौ दस महीने में भी नहीं खर्च हो सका। अगर परफारमेंस बजट होता तो फिर अनुपूरक बजट की आवश्यकता न होती। अनुपूरक बजट को दूर करने का रास्ता ही परफारमेंस बजट है। लेकिन वह चीज नहीं हुई। जो भाषण आपने 70 में दिया था उससे आपने इस तरह से स्केप किया है। मान्यवर, क्या आप समझते हैं कि इन 254 करोड़ रुपयों से कोई एचीवमेंट हो सकता है। आज देश में इतना बड़ा इंफलेशन है। दिन प्रति दिन महंगाई बढ़ रही है। लोहा, बिजली, खाद, रेलवे भाड़ा सब कुछ बढ़ रहा है। इन सब कीमतों के बढ़ने का कारण है इंफलेशन आफ दि मनी। मैं एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते कह रहा हूं और अगर कोई फारमूला बदल गया हो तो वित मंत्री जी मुझे बीच में रोक कर जवाब दे देंगे।

अब तो सोने चांदी का भी महत्व नहीं है। अब तो बार्टर सिस्टम हो गया है—एक दूसरे के सामान की वेल्यू निकाल कर बदल लेते हैं। 84,000 करोड़ रुपये के नोट छप कर बंट रहे हैं। मैं तो एक दिन हिसाब लगा रहा था कि 254 करोड़ रुपये 10 करोड़ के सप्लीमेंटरी के बराबर नहीं हैं। आप पांचवीं योजना को बड़ा सम्बिशस बना रहे हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आपकी पांचवी योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना के मुकाबिले में फिजिकली एचीवमट्स का जहां तक ताल्लुक है कम रहेगी। उदाहरण लीजिये। सन् 1960–61 में जो एक पुल 1 लाख रुपये में बनता था वह आज 8 लाख रुपये में बनता है। जो प्लान 500 करोड़ का था अब उसका एस्टीमेट 3500 करोड़ हो गया। आप देखें कि करेप्शन भी 5 गुना बढ़ गया है। पर्सेन्टेज आफ करेप्शन भी उसी रेट से बढ़ गया है।

आप एक बात सोचिये कि जो सम्लीमेंन्ट्री बजट आप ले रहे हैं उसमें से 90 प्रतिशत रुपया कर्मचारियों की जेबों में और ठेकेदारों की जेबों में चला जायगा। यह हम और आप अकेले में बैठ कर विचार करते हैं कि Money is flowing like water आज सरकार नोटों को छाप-छाप कर रुपये को पानी में बहा रही है–जला रही है। इतना ही नहीं दो–दो नम्बर के नोट छप गये। इसमें किसी का नुकसान नहीं होता है। टाटा बिड़ला, डालमिया, जुग्गी मल कमलापति या हिन्दुस्तान की 100 फेमिलीज का नुकसान नहीं होता है जिसने कि काले धन को सोने में बदल लिया है या दिवार में जड़ लिया है बल्कि नुकसान होगा किसान का और परिश्रम करने वाले मजदूरों का। मजदूर पहले पारिश्रमिक पाता था 3–4 रुपये रोजाना। आपने पारिश्रमिक में तो बढोत्री की नहीं लेकिन उसके द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों के दाम 4 गुने बढ़ गये। उसका तो आज डेढ़ रुपया भी नहीं रह गया–उसका तो खाली सवा या एक रुपया ही रह गया।

आप पुलिस वालों के क्वार्टर बनवाने की बात करते हैं। मैं पढ़ रहा था कि सन् 1960–61 की प्राइसेज के मुकाबिले में आज 5 गुनी प्राइसेज हो गयी हैं। वित्त मंत्री जी, आज 12 मार्च, है। आप देख लें आज से लेकर 31 मार्च तक ट्रेजरी आफिसेज में भ्रष्ट कर्मचारियों और ठेकेदारों का धावा रहेगा। ट्रेजरी से भिन्न-भिन्न प्रकार से रुपया निकालने की कोशिश की जायेगी। स्वामी प्रसाद जी को लीजिये। मैं तो इनकी तारीफ करता हूं। इन्होंने जगह जगह छापे मारे। वे एक दिन बता रहे थे कि एक जगह नीलाम हो रहा था और वे पहुंच गये। वहां पर पहले 3 लाख रुपये में ठेका उठता था परन्तु उस दिन वही ठेका 26 लाख रुपये में उठा। जहां तक नीति का प्रश्न है उसमें तो हम उनको दोष नहीं दे सकते कि वे प्रोहीबीशन नहीं ला सके, मगर जो कुछ भी स्थिति है उसके अनुसार उन्होंने सरकारी धन में तो वृद्धि की है। आप 1 इंच की नाली से रुपया इकट्ठा करते हैं और आपके कर्मचारी 5 इंच की नाली से उसे ड्रेंड आउट कर देंगे। जब हम दर्जा 4 में पढ़ते थे, तो चक्रवर्ती में एक सवाल था कि अगर एक इंच का नल एक टंकी को भर रहा है और डेढ़ इंच वाला पानी की निकासी कर रहा है तो टंकी कब भरेगी।

अध्यक्ष जी, 1.5" का पाइप पानी निकाल रहा है और 1 इंच का पाइप पानी भर रहा है, तो पूरी टंकी कब भरेगी। मैं आपसे पूछता हूं कि आप कितना ही रुपया रखिये लेकिन इस चूने वाली टंकी से 18 दिन में रुपया खच हो जायेगा जो कि 9 या 10 महीने में भी खर्च नहीं हुआ होगा। आप हिम्मत क्यों नहीं करते। कह दीजिये सप्लीमेंन्ट्री नहीं होगा कर्मचारियों के फिजिकल टारगेट रखिये। 80 प्रतिशत कर्मचारी जो विकास योजनाओं में लगा है वह हैंग किया जाना चाहिये। आपने भाषणों में जनता को आश्वासन दे दिये हैं। सुनकर ताज्जुब होता है। हम लोग सभी किसान के बेटे हैं। क्या 42 का आन्दोलन हमने इसीलिये किया था। आज इस राज्य को जो चलाने वाले कैप्टन है उसके हाथ में स्टीईरिंग नहीं है। आज इस प्रदेश को ब्लड कैंसर हो गया है। वह काट देने

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

से भी ठीक नहीं होगा । आप चाहे अनुपूरक लाइये या परिपूरक लाइय, या मूल बजट जिस पर बहस होगी, उससे कुछ सुधार होने वाला नहीं है ।

मैं कुछ दिन पूर्व इलाहाबाद जिले के बार्डर पर जा रहा था । एक गांव में टेस्ट वर्क चल रहा था । पता लगा कि ब्लाक से ठेकेदार को रुपया नहीं मिल रहा है । मैंने पूछा तो पता लगा कि हाजिरी का काम ब्लाक वालों का है और रुपया राजस्व विभाग से मिलता है । यह बात मुझे ठीक लगी इयोंकि जो लोग हाजिरी लेने वाले हैं उनके हाथ में रुपया बांटने का काम नहीं होना चाहिये और जो रुपया बांटने वाले हैं उनके हाथ में हाजिरी का काम नहीं होना चाहिये । दो तीन ग्राम सेवकों से बात हुई तो पता लगा कि कोई विकास में दिलचस्पी नहीं ले रहा है इयोंकि ब्लाक वालों को तो कुछ मिलता नहीं है । आप सोचिये इस तरह से कैसे काम चलेगा ।

1960–61 से अबतक 4, 5 गूनी कीमतें बढ़ गई हैं। उसी के अनुसार भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। मुझे वित्त मंत्री जी के भाषण पर हंसी आती है । 50 करोड का प्राविजन कर दिया बेकारी दूर करेंगे । मैं आपसे कहता हूं कि इस प्रदेश में कम से कम 80 लाख आदमी बेकारों की संख्या में हैं । इन्जीनियर्स मारे मारे फिर रहे हैं, ओवरसीयर्स मारे मारे फिर रहे हैं। आप इनको नौकरी में लगाकर बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं । मैं आपसे पूछता हूं कि यदि आप बेकारों को नौकरी देकर बेरोजगारी दूर करेंगे, तो आपके सरकारी नौकरों की संख्या क्या होगी । 5 लाख होगी । आप बढ़ा देंगे तो 6 लाख हो जायगी । लेकिन मैं अपने जमाने की कहता हूं कि जब 5 लाख संख्या थी तब भी चीफ सेक्रेटरी कहते थे कि एम्पलाइज की संख्या डेढ़-दो लाख ज्यादा है । आज इस सेक्रेटेरियट में बडे-बडे अफसर अकेले में कहते हैं कि जब कम एम्पलाइज थे तो ज्यादा काम होता था और आज सेक्रेटेरियट में आप जाकर देखें तो सब घास के मैदान में पेंट की जेब में हाथ डाले टहल रहे हैं । यह किसका रुपया है ! यह टैक्स-पेयर के ऊपर बोझा है जिसको कि कार्टून में दिखाया गया है कि उसकी रीढ़ तो टूट गयी है और फिर भी आप उसको फाइलों और टैक्सों से दबाये हुये हैं । वह उठेगा कहां ? टैक्स पर टैक्स बढ़ता जा रहा है । आप न भ्रष्टाचार को रोक पाते हैं और न मनी को टैप करते हैं ।

आपने बजट में कहा है कि हम पुराने बकायों को वापस करने की बात करेंगे । आप कहां वापस कर पाते हैं ! बड़े आदमियों से ! जितना रुपया उनपर बकाया है वह अफसरों से मिलकर उसको क्षमा करवाने की बात करते हैं, रेमीशन करवा लेते हैं और गरीब आदमी के ऊपर एक रुपया रह जाय, बिजली का बकाया रह जाय तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है । मेरे जिले में हजारों किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन काट दिये इसलिये कि उन्होंने 75 फीसदी कटौती से ज्यादा बिजली को इस्तेमाल कर लिया था । अगर कर लिया था तो उसको आप 6 महीने बाद एडजस्ट कर लीजिये, क्या मार्च में ही ऐडजस्ट करना होता था ! लेकिन साहू केमिकल्स, बिरला कनौरिया पर शाहे लाखों रुपया बकाया रहे, उनका कनेक्शन नहीं काट सकते । तो यह अनुपूरक अनुदान मांग किसके लिये ले रहे हैं ? यह तो 18 दिन के भ्रष्टाचार की कहानी होगी कि 18 दिन के अन्दर पी० डब्लू० डी० विभाग के लोग, ठेकेदार, सिंचाई के, वन के जितने रूरल इंजीनियर्स के और अन्य विभागों के लोग हैं वह सारे बेजी से दौडेंगे कि जल्दी से भंजाई करो । इस लिये जितने रुपये की अनुपूरक मांग लो उतना आपकी बचत है । इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आप हिम्मत दिखा सकते हैं तो एक बार इस अनुपूरक मांग को कह दें कि हम पास नहीं करते, देखिये इसका क्या नतीजा होता है ।

आप तो अध्यक्ष हैं श्रीमन्, आप बता सकते हैं कि अगर ये अनुपूरक वापस ले लें तो कौन सा कैआस उत्तर प्रदेश पर आ जायगा । अगर वह हाउस इसको टर्न-डाउन कर दे तो क्या

होगा ! इन नेताओं ने कहा कि हम अंग्रेजों की नौकरशाही के पक्ष में नहीं होंगे, भाषण बड़े लच्छेदार देंगे कि नौकरों की बेईमानियों की परवाह नहीं करता । लेकिन अगर हाउस एक बार इस अनुपूरक अनुदान को टर्न डाउन कर दे तो उत्तर प्रदेश की असेम्बली और जनता के ऊपर कौन सा पहाड़ गिरेगा ! मुमकिन है आप राय देंगे कि नहर में पानी रुक जायगा । लेकिन जिस नहर में पानी ही न हो तो गूल बनाकर क्या करियेगा मड़ियाहुं की नहर को पाटने के लिये आज जनता का प्रस्ताव है 10 वर्ष से । नहर तयार है लेकिन शायद उद्घाटन का पानी भी उसमें होकर नहीं गया। वह 35—40 मील लम्बी नहर है पर जल से खाली है । दामगंज बाजार से होकर जाती है । यह सरकार की हालत है ।

तो इन सारे गरीबी हटाओं के नारे और मंहगाई को बढ़ाने की सारी चीजों के बीच में आज जनता की भावना बदल गयी है सरकार की तरफ से । जैसे एक आदमी ने नारा दिया था एक गांव में कि भेड़िया आया भेडिया आया । गांव के आदमी बाहर आये लेकिन भेड़िया नहीं आया था। चार बार ऐसा ही हुआ पांचवी बार जब भेडिया वास्तव में आया तो गांव के लोग नहीं आये और उसको फाड-चीर डाला । तो पंडित नारायण दत्त जी, जनता बहुत बार धोखा खा चुकी है । बुभक्षितम् किं न करोति पापम् । भूखा कौन सा पाप नहीं करेगा ।

श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

कोरम का अभाव है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह नीति श्लोकों में है। जब देश की जनता भूखी होती है तो पाप करने पर तैयार हो जाती है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब कोरम का प्रश्न उठा दिया है। आप जरा बैठिये।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं कह रहा था कि इस अनुपूरक बजट में जनता के लाभ की कोई बात नहीं है। धीरे-धीरे इस सरकार पर चारों तरफ से इतना प्रेशर होता जायेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के बीच में सारा खर्चा रह जायगा। दुनिया का मान्य प्राप्त सिद्धान्त था कि 5 परसेंट से अधिक ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च नहीं होना चाहिये। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अब भी 5 परसेंट से ज्यादा अगर वसूली पर खर्च होता है तो वह एतराज करते हैं। यह सरकार अपने वादों से रेशम के कीड़े की तरह अपने चारों तरफ खुद धागा बुन रही है और उसी में ककून हो जायेगी। एम्पलाइज इनकी गर्दन थामे हुये हैं। विद्युत अभियन्ता कहते हैं कि अगली बार यह सरकार फेल की जायगी। उनकी चार, पांच नोटिसें मैंने खुद पढ़ीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब जनता आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। गंगदत्त नाम का मेंढक और प्रियदर्शन नाम का सांप, दोनों एक कुयें में पड़ गये थे।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें कौन सांप है और कौन मेंढक ?

श्री बशीधर पांडेय—

यह इंडिकेट की सरकार सांप है और भारत की जनता मेंढक। भारत की जनता अब इनके बलवेज से बाहर जा रही है। अभी बम्बई में जब इनकी हार हो गयी तो इंडिकेट के

[श्री बंशीधर पांडेय]

अध्यक्ष कहते हैं कि वरी करने की कोई बात नहीं है, यह तो समय समय पर हो जाता है। 5–6 साल इस देश की जनता गरीबी हटाओ के अभियान में इनके रास्ते पर चलती रही।

जनता को क्या मालूम कि यहां इतने सारे यह ककरई सांप उसे खा जाने के लिये बैठे हुये हैं।

मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि इस बजट से इस प्रदेश की जनता का कुछ भला होने वाला नहीं है। आज देश की जनता की रीढ़ की हड्डी पिसी चली जा रही है। इस 80 प्रतिशत जनता की जबान में अगर आज गूगापन न होता तो उसने इस सरकार को अब तक उखाड़ कर फेंक दिया होता। इस सरकार ने उस 80 प्रतिशत जनता को गूंगा बना दिया है। आज न नलकूप में पानी है, न नहरों में पानी है, न बिजली मिल रही है, न जरूरत की अन्य चीजें मिल रही हैं। बिजली टु दि फुल आप इस्तेमाल करने के लिये दे नहीं रहे हैं और गरीब किसानों से बिजली का पैसा पूरा चार्ज कर रहे हैं। यह कैसी निकम्मी सरकार है। मैं तो कहता हूं कि इस 80 प्रतिशत जनता को इन्हें पकड़ लेना चाहिये और उखाड़ फेंकना चाहिये। आज खाद ही 25 रुपये से 75 रुपये हो गयी, किसान की हर जरूरत की चीज मंहगी होती जा रही। मगर गेहूं के लिये खाद्य मंत्री जी कहते हैं कि हम 76 रुपये क्वीन्टल से ज्यादा नहीं ले सकते हैं और यह रकम भी किसान को 55 रुपये ही जाकर पड़ती है। किसान को 55 रुपये ही दिया जाता है। यह आपके कानूनगो और पटवारी वगैरह किसान को धमका कर उससे 55 रुपये में ही गेहूं खरीद लेते हैं। कोआपरेटिव में आप देख ही रहे हैं कि कितना किस-किस प्रकार का घपला है और करोड़ों का घाटा उसमें चल रहा है।

मान्यवर, यह बेगम साहिबा जो बैठी हुई हैं, यह समाजवाद का बहुत नारा दिया करती हैं। मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि इस मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य उतने पिछड़े हुये गांव से चुन कर नहीं आया होगा जितना पिछड़ा हुआ मेरा गांव है। मैं तो कहना चाहता हूं कि समाजवादी शब्द ही इन बेगम साहिबा के मुंह में लज्जित हो जाता है। इनके मुंह से समाजवाद की बात निकल कर वैसा ही होता है जैसे बिलार के घर में दूध की थाती। आप बताइये क्या इस तरह से समाजवाद आयेगा? प्रदेश की हालत कैसे सुधरेगी? जिस 80 प्रतिशत किसान के बूते पर यह सरकार आज यहां बैठी है उसी को हलाल करने पर यह सरकार तुली हुई है। इनको दया भी नहीं आती।

आपसे मैं कहना चाहता हूं आप अपने गांवों के किसानों के सामने स्पष्ट कहिये। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप अपने किसानों के बीच में यह बात कर दीजिए कि हम तुमको बिजली महंगी देंगे, खाद और बीज महंगा देंगे, पानी महंगा देंगे, मिट्टी का तेल और चीनी महंगी देंगे, लेकिन तुम्हारे गेहूं की कीमत में एक पैसे की बढ़ोत्तरी नहीं होगी—वह 76 का 76 ही रहेगा। आप नहीं कह सकते, आप में साहस नहीं है। यह तो बेहयाई की हद है कि जनता पिस रही है और उसको अपनी आवाज नहीं उठाने दिया जाता है। जब हम उसकी आवाज को उठाते हैं तो कह दिया जाता है कि तुम रिएक्शनरी हो। प्रधान मंत्री ने सभी अपोजीशन पार्टियों के लिए कह दिया है कि यह लोग कोई कांस्ट्रक्टिव काम नहीं करते हैं, केवल अपोजीशन फार अपोजीशन करते हैं। मुझे याद है यही बात हिटलर ने भी अपने देश में कही थी, जब वह नेता चुना गया तो उसने यह कहा—'जेन्टेलमैन यु गो होम', आपने भी भारत की जनता से ऐसा ही कह दिया है कि तुम घर बैठो हम जो मन में आएगा करेंगे।

मैं उस भारत की जनता से इस सदन के द्वारा और अध्यक्ष जी आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं यह सरकार आप को क्रश किये दे रही है, जीने नहीं देगी। हिन्दुस्तान का

किसान सदियों से गुलाम रहा है और स्वतन्त्रता के पश्चात् इस सरकार के बजट ने, इस सरकार की प्लानिंग ने, उसके एचिवमेंट और परफारमेंस ने उसे उसी स्थिति में बने रहने को मजबूर कर दिया है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन्फ्लेशन के युग में 84 करोड़ का घाटा। इसका क्या परिणाम होगा आपने क्या सोचा है।

आप कहते हैं फिफ्थ प्लान में गांव-गांव में बिजली पहुंचा देंगे। क्या आपका यही तरीका होगा बिजली पहुंचाने का कि आज बिजली आधी है और सबसे ज्यादा बिजली की चोरी का परसेंट है अपने उत्तर प्रदेश में यानी 30 प्रतिशत। एक ओर तो अदूरदर्शिता है जिसकी वजह से विद्युत् परिषद् में घाटा है और दूसरी ओर सरकार का घाटा है। विद्युत परिषद और सरकार दोनों का घाटा है। परिषद के अध्यक्ष और उसके इंजीनियर्स के मध्य आज झगड़ा चल रहा है। यह झगड़ा न चल रहा होता तो शायद यह चीज आपके सामने कभी न आती कि 4 करोड़ रुपये का माल सड़ रहा है, बेकार पड़ा है, किसी काम का नहीं है और 10 करोड़ का माल स्टोरों से गायब है, जितनी चेकिंग हुई है, उसमें यह निकला है और अभी तो यह आगे और बढ़ेगा।

इसी तरह से रोडवेज के सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर में करोड़ों रुपये की मशीनें खरीद कर रखी गई हैं, जो कि बेकार हैं और पुरानी हैं, आउट आफ डेट हैं। वहां ऐसा दो-ढाई सौ रुपये का सामान सड़ रहा है। इस सदन द्वारा बिजली बोर्ड बजट इसीलिए पास किया जाएगा कि आप किसान के साथ अन्याय करें, उसकी खेती बर्बाद करें और उससे निकम्मी मशीनें खरीदें। एक कहावत याद आती है जो कि मशहूर है। एक ठहरने के स्थान पर खटिया में तमाम खटमल पड़े हुए थे, जो यात्रियों को काट लिया करते थे। इससे परेशान होकर जब यात्री कुछ दिन नहीं आए तो खटमलों की एक सभा हुई जिसने यह पास किया कि इस मैनेजमेंट को रोज अनिवार्य रूप से एक आदमी सुलाना ही होगा। जैसे ही नारायणदत्त जी तिवारी भी चाहते हैं कि मनी ड्रेन-आउट हो।

ट्यूबवेलों की सारी मशीनरीज चोरी चली जाती हैं। एक इंक्वायरी कमेटी भी 10 साल पूर्व इसके लिए बैठी थी। मैं भी चेकिंग में था। ट्रांसफारमर के नीचे जो एक पुर्जा होता है, वह काफी चोरी जाता था। 50 ट्यूबवेल में वही सामान बदल रहा है। और स्टोर में दिखला दिया कि नया सामान आया। केवल फर्जी एंट्री, फर्जी डिस्पोजल। वही पुराना सामान इस ट्यूबवेल से उस ट्यूबवेल में चला गया। इस परफार्मेंस के ऊपर आप गरीबी हटाना चाहते हैं। आपका परफार्मेंस निकम्मा है। आपका बजट बिल्कुल गड़बड़ है। आप 80 फीसदी जनता का गला घोंटना चाहते हैं। मजदूरों का गलत तो घोंट ही रहे हैं प्राइसेज को राइज करके। आपके शासन में कालाबाजार वाले लोगों को, ठेकेदारों को, इन सारे लोगों की चांदी चमक रही है। लेकिन इस अनुपूरक बजट के द्वारा इस परफार्मेंस के द्वारा इस प्रदेश का कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं निवेदन करूं कि इस अनुपूरक बजट को आप एकदम फेंक देंगे। अगर यह अनुपूरक बजट न भी पेश होता तो भी ओरिजनल बजट में जो प्राविधान है वह भी खर्च नहीं होगा। वित्त मंत्री जी 9 महीने का खर्चा 18 दिन के अन्दर करवाना चाहते हैं। इसको टर्न डाउट कर दें। मजदूरों और किसानों की गाढ़ी कमाई के रुपये को इन बेईमानों के हाथों में जाने से रोकिए। इसलिए मैं अपील करूंगा कि इस अनुपूरक बजट को बिलकुल टर्न डाउन कर दें।

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है वह प्रदेश की जो साधारण जनता है उससे उसका कुछ भला होने वाला नहीं है। इसका विरोध इसलिए कर रहा हूं कि जिस किसान के नाम पर अरबों रुपये खर्च किये जा रहे हैं, इस अनुपूरक बजट से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामधारी शास्त्री]

किसान का कुछ भला नहीं हुआ, न आगे होने वाला है। एक नयी परम्परा पड़ती जा रही है। 1971–72 का अनुपूरक बजट लगभग डेढ़ अरब रुपये का था। इस साल अनुपूरक बजट ढाई अरब का हो गया। पिछले साल का मुख्य बजट साढ़े पांच, छः अरब का था और डेढ़ करोड़ का अनुपूरक बजट। इस बार अनुपूरक बजट ढाई करोड़ का है। अनुपूरक बजट की परम्परा ह जनतन्त्र में। लेकिन वह इसलिए कि कोई अप्रत्याशित खर्च आ जाय, नयी मदें आ जायं जिनकी स्वीकृति मूल बजट में न ली जा सकी हो यह उसके लिए है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बजट का आधा बराबर अनुपूरक बजट की शक्ल में आ जाय।

इस प्रदेश में अनुपूरक बजट जो इतनी बड़ी राशि का है, यह इस बात का द्योतक है कि इस सरकार की न कोई नीति है न कोई योजना है। साल भर के लिए यह कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं रखती जिससे इतनी बड़ी धनराशि अनुपूरक बजट में खर्च करनी पड़ती है। यह अनुपूरक बजट कई चीजों को लेकर रखा गया है। इस में खास बात कही गयी है कि देहातों में नयी-नयी योजनाएं प्रारम्भ की गयी हैं। एक तरफ योजना प्रारम्भ कर रहे हैं दूसरी तरफ प्रदेश में महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है उस महंगाई से सारी जनता की कमर टूट रही है। अपने को समाजवादी कहने वाली यह सरकार जो अपने को गरीबों का मसीहा कहती है उद्योग से बनने वाली चीजों का दाम बढ़ रहे ह और दूसरी तरफ खेत से किसान जिन चीजों को पैदा करता है उनके दाम रोकना, और जो चीजें बड़े-बड़े उद्योगपतियों के कारखानों में बनती है उनका दाम बढ़ता जा रहा है।

इन्होंने कलकत्ते में एक जलसा किया और उस जलसे में कहा कि कीमतोंको बढ़ने नहीं दिया जायगा लेकिन उसके बाद ही 4 जनवरी, 73 को 40 पैसे प्रति किलो डालडे के दाम बढ़ा दिये। इससे पहले 20 जून को 20 पैसे, अगस्त में 20 पैसे तथा अक्तूबर में 20 पैसे यानी 60, पैसे प्रति किलो के हिसाब से डालडे के दाम बढ़ाये जा चुके थे और 40 पैसे प्रति किलो के हिसाब से कलकत्ता अधिवेशन के बाद 4 जनवरी को डालडे के दाम बढ़ाने की घोषणा हुई और इस प्रकार 20 जून, 72 से जनवरी, 73 तक 1 रुपया प्रतिकिलो डालडे के दाम बढ़े। इसका क्या औचित्य था यह नहीं बताया गया लेकिन दाम बढ़ा दिये गये।

इसी तरह से कारखाने में बनने वाले कपड़े, लोहे तथा सीमेंट के दाम बढ़े। पिछले 5 दिनों में लोहे के दाम 25 रुपये प्रति कुंतल बढ़ गये जिसकी जरूरत प्रत्येक किसान को पड़ती है लेकिन उस पर कोई रोक सरकार की नहीं है। लेकिन किसान जो गन्ना पैदा करता है 1967 में जो दाम गन्ने के थे 12 रुपया 73 पैसे प्रति कुंतल आज भी लगभग वही दाम उसके हैं। प्रदेश के एक हिस्से में 12 रु0 25 पैसे तथा दूसरे हिस्से में 13 रु0 25 पैसे कुंतल गन्ने के दाम इस सरकार ने रखे हैं और गन्ने के दाम इस प्रकार कम ही कर दिये गये हैं।

(व्यवधान)

आज ही रसद मंत्री ने उत्तर देते हुए यह भी बताया कि गेहूं के दाम 76 रुपये प्रति कुइंटल होंगे और उसकी खरीद एफ0 सी0 आई0 के जरिय होगी। 26 रुपय प्रति कुइंटल इन्तजाम के चार्जेज होंगे। सब मिला कर 102 रुपये हो जायंगे और उसके बाद राशन की दूकानों पर यह गेहूं 1 रुपया 3 पैसे के हिसाब से मिलेगा। उपभोक्ताओं को इस प्रकार गेहूं 1 रुपया 2 पैसे अथवा 3 पैसे प्रति किलो मिलेगा जब कि किसान से खरीदा जायगा 68 रुपये से लेकर 76 रुपये प्रति कुइंटल तक और एफ0 सी0 आई0 का इंस्पेक्टर जिस तरह से दाम तय करता है उस पर कोई नियंत्रण नहीं। फसल अगले महीने बाजार में आ जायगी। स्कीम यह बन रही है कैसे इसको रेगुलेट किया जायगा।

मेरे कहने का मतलब यह है कि खेत में पैदा होने वाली जितनी चीजें हैं उनके दाम अपनी जगह पर है लकिन मिलों में जो चीजें पैदा होती हैं उनके दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और यह सरकार

उनको रोकने में असमर्थ सी है। शहर में तो सरकार राशन कार्ड जारी कर देगी। लोगों की लाइन लग जाती ह लेकिन देहातों की क्या हालत है? पूर्वी जिलों में देवरिया तथा गोरखपुर में सूखा पड़ा। इस सरकार ने लिखित वक्तव्य देते हुए मंजूर किया कि इसके लिये सप्लीमेंटरी ग्रांट रखी है। फसल बरबाद हुई, देहात के लोगों ने हाहाकार किया तो सरकार ने घोषणा की कि उसके भंडार में गल्ले की कमी नहीं है, देश तथा प्रदेश की जरूरत पूरा करने की बात तो दूर हम विदेशों को निर्यात कर सकते हैं। प्रदेशीय सरकार के मंत्रियों ने भी यही बात कही लेकिन देवरिया तथा गोरखपुर की जो स्थिति है उसे मंजूर करने की हिम्मत किसी मंत्री में नहीं है। वहां 1 रुपया 60 पैसे किलो तक गेहूं के दाम पहुंच गये है और सब से खराब चावल 1 रुपया 75 पैसे में बिक रहा है। मक्का 1 रुपये 35 अथवा 40 पैसे प्रति किलो बिक रही है। मैं रसद मंत्री को मिला और कहा कि जिलाधीश देवरिया ने तीन-तीन वायरलेस किये। उन्होंने मुझसे कहा कि हम इन्तजाम कर रहे हैं। लेकिन आज तक भी वहां की किसी दुकान पर एक छटांक भी गल्ला नहीं भेजा जा सका। वहां पर लोग एक वक्त का खाना खा रहे हैं। देवरिया, गोरखपुर आदि जिलों में बहुत से गांवों में लोगों को एक वक्त का खाना मुश्किल से मिल रहा है। यह किसानों की मसीहा सरकार वहां पर राशन की व्यवस्था नहीं कर सकती।

मान्यवर, यही नहीं, देवरिया में चावल का काफी स्टाक है और लोगों को दिया जा सकता है, वे अपना गुजर-बसर उससे कर सकते है, लेकिन वहां के जिलाधीश का कहना है कि चावल गांव के लोगों को नहीं दिया जा सकता है, यह तो शहर में रहने वाले लोगों के लिये है औरगांवों के लिये मोटे-मोटे अनाज मक्का आदि का इन्तजाम किया जायेगा। स्टाक में चावल पड़ा हुआ है लेकिन दिया नहीं जाताहै। मैं पूछता हूं कि क्या गांव के लोग चावल नहीं खा सकते है शहरों वाले ही खा सकते हैं? क्या वे इस लायक नहीं हैं? यह है इस समाजवादी सरकार का हाल, जिसको कि किसानों के नाम पर आज लाखों रुपये की ग्रांट दी जा रही है। इन्हें क्या हक है? (व्यवधान) मान्यवर, माननीय खद्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं और उन्हें चुनौती देता हूं कि वे मुझे बता दें कि देवरिया जिले में देहातों को आज तक उन्होंने कितने मन गल्ला भेजा है। अगर आप इस्तीफा देने के लिये तैयार हों। 5 तारीख तक वहां पर एक छटांक भी अनाज नहीं था। अगर मंत्री जी पर हिम्मत है तो वे कहें?

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)---

होली में आपके साथ चलकर वहां देखकर बता दूंगा।

श्री रामधारी शास्त्री---

आज भी आपने कोई इन्तजाम नहीं किया है आप भी वहां बैठे हुये थे जब आपके अधिकारी ने कहा कि देहातों में चावल नहीं भेजा जा सकता है, वहां के लिये मोटे अनाज का इन्तजाम किया जायेगा और वह भी नहीं हो पाया।

श्री यादवेन्द्र सिंह---

आप ही ने तो कहा कि मोटा अनाज दिया जाय।

श्री रामधारी शास्त्री---

जिलाधीश ने कहा कि हमारे पास चावल तो है लेकिन सरकारी आदेश हमारे पास देहातों में बांटन के लिये नहीं हैं। जब तक आदेश नहीं आ जाता, वहां से क्लियरेन्स नहीं आ जाता है तब तक हम उसे नहीं दे सकते हैं। आदेश आ जाय तब वे उस चावल को गांवों में बांट सकेंगे।

[श्री रामधारी शास्त्री]

मैंने माननीय मंत्री जी के सामने सचिव से कहा और उन्होंने कहा कि मोटा अनाज ही देहातों में दिया जायेगा और अगर इन्तजाम नहीं कर सकेंगे तो चावल दिया जायेगा। तो मान्यवर, यह स्थिति है। अतः मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन चीजों को देखने की जरूरत है। यह बड़ी लज्जा का विषय है। उन्हीं लोगों को खाना मिल सके जिनके वोट पर आप यहां चुन कर आते हैं और फिर दलीलें दी जाती हैं।

जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है, यहां पर रोज सवाल उठाये जाते हैं और कहा जाता है कि जांच करवाई जायेगी, वह भी ठीक तरह से नहीं हो पाती। शायद ही कोई दिन ऐसा हो जिस दिन की डकैती न पड़ती हो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर यहां के मंत्रिमंडल को बुरा लगता है तो दिल्ली से आप लड़िये। वहां की रिपोर्ट है कि यदि सारे में अपराध बढ़े हैं तो वे उत्तर प्रदेश में हैं। यहां पर अपराधों की संख्या बढ़ी है। अपराध बढ़ाने में उत्तर प्रदेश का सब से पहला नम्बर है उसको रोकने में नहीं। यह स्थिति सुरक्षा की इस प्रदेश की है।

बिजली की हालत देखिये। बड़ी संकटपूर्ण स्थिति हो गई है। बिड़ला को तो यह सरकार 2 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दे और एक गरीब किसान जो कि देश की उन्नति की रीढ़ है, उसको 22 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती है। पहाड़ों में जो हिल विकास बोर्ड बना है उसमें स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज और रिसर्च के नाम पर एक नया संस्थान बिड़ला ने खोल दिया है और हिल बोर्ड के चेयरमैन ने विरोध स्वरूप इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि उनको पता ही नहीं चला और इस प्रदेश की सरकार ने बिड़ला की कुछ फर्मों से हिल एरिया में 4-5 कारखाने लगाने के लिये समझौता कर लिया है और उनको उसी दर पर बिजली देने की बातचीत चल रही है, जिस दर पर हिन्डालको को बिजली दी थी। यह एक नयी साजिश चल रही है। उस बोर्ड में सारे लोग तो इन्हीं सत्तारूढ़ कांग्रेस के हैं, चेयरमन और डाइरेक्टर्स। उसके चेयरमैन ने तो इस्तीफा दे दिया है, पता नहीं इनके कारनामों से खुश होकर या नाखुश होकर।

प्रश्नोत्तर काल में आज ही कहा गया कि सरकार किसानों को बिजली देगी। यह कहा जाता है कि कारखानों को बिजली कम देने का कारण यह है कि हम किसानों को बिजली दे रहे हैं लेकिन जिनको व्यावहारिक अनुभव है वे जानते हैं कि रबी की फसल के लिये सिंचाई की क्या व्यवस्था की गयी है। किसानों के नाम पर कारखानों को बिजली देना बन्द किया गया है लेकिन कभी किसी दिन लगातार 5 घंटे तक किसानों को ट्यूबवेल के लिये बिजली नहीं दी गयी। ट्यूबवेल के लिये रात में बिजली दी गयी और जब कहीं बड़ा हल्ला हुआ तो किसी समय दिन में बिजली दे दी लेकिन जब चाहा उसे बन्द कर दिया। अगर इस तरह से किसानों को रात में बिजली दी गयी तो उससे किसानों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर सरकार सचमुच में किसानों का भला करना चाहती है तो जब गेहूं की फसल तैयार है, उसको थ्रेसिंग के लिये सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक बिजली निश्चित रूप से देने की व्यवस्था करनी चाहिये तब जाकर काम चलेगा वरना किसान का भला नहीं होगा और वह चला जायेगा।

इसी तरह से मान्यवर, कर्मचारियों की बात है। वेतन आयोग की रिपोर्ट आ गयी, सारी बातें हुईं, मगर आप की कोई नीति नहीं है जिसकी वजह से रोज हड़तालें होती हैं। जितनी हड़तालें पिछले एक साल में हुई हैं शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतनी हड़तालें कभी नहीं हुई होंगी। इसका कारण यह है कि आप की कोई नीति नहीं है। इस तरह का उदाहरण आप को और कहीं नहीं मिलेगा कि ढाई ढाई और तीन तीन हजार पाने वाले इंजीनियर्स, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ने हड़ताल की। मैं उस केस में नहीं जाता कि उनकी हड़ताल जायज थी या नाजायज थी क्योंकि विधान सभा में इस पर काफी बहस हो

चुकी है लेकिन यह सही है कि जो जनतंत्र की बड़ी डींग मारते हैं, हड़ताल के समय इन एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के बच्चों से काम करने के लिये कहा गया और यह चीज बनारस, लखनऊ तथा सूबे के और स्थानों पर भी हुई और जिन बच्चों ने मना किया उनको घर के बाहर निकाल कर फेंक दिया गया। यह आपका जनतंत्र है।

इसी तरह से शिक्षा विभाग की हालत भी आप सभी जानते हैं। एक निदेशक की जगह पर तीन चार निदेशक बना दिये गये मगर शिक्षा की पद्धति वही है। एक वर्ष बीत गया आपको प्रारम्भिक शिक्षा को अपने हाथ में लिये हुए लेकिन वहां की हालत वहीं पहले जैसी ही है। आज भी कोई आदमी पसन्द नहीं करता कि वह अपने बच्चों को सरकार द्वारा चलाये जा रहे पुराने स्कूलों में भेजे। सभी अपने बच्चों को पढ़ने के लिये फैन्सी स्कूलों में ही भेजना चाहते हैं। वे कहते हैं कि चाहे मुसीबत उठा कर कुछ पैसा भी खर्च करना पड़े लेकिन पढ़ाई के ख्याल से फैन्सी स्कूलों में ही भेजना ठीक है। आप एक तरफ शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात सोच रहे हैं, दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षा में हड़ताल की बात चल रही है। बजाय इसके कि उसके लिये आप कोई रास्ता निकालें, चाहते हैं कि किसी तरह से उस समस्या को टाल दिया जाय। मेरा निवेदन है कि हड़ताल को रोकने के लिये कोई बन्दिश नहीं है। अगर आप हड़ताल को रोकना चाहते हैं तो उसके लिये कोई विधायिनी विधि निकालें जिससे उसका समन हो सके।

आपने जो कैटेगरीज बना रखी है, श्रेणी बना रखी है उनकी बजह से आपस में प्रतियोगिता होती है और हड़तालें होती हैं। आपने पे कमीशन बनाया है और मैंने देखा कि बड़ा हल्ला हुआ कि किसी की तनख्वाह अब 165 रुपये से कम नहीं होगी। लेकिन आज भी चौकीदार को दस रुपये मिलते हैं। आपका गवर्नर 5 हजार पायेगा और राष्ट्रपति दस हजार पायेगा लेकिन गरीब चौकीदार दस रुपये ही पायेगा। इस तरह से आपका समाजवाद आ जायेगा। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि नीच के लोगों की किस्मत सुधरे तो चौकीदार की तनख्वाह उस स्तर पर लानी चाहिये जिस पर आप कहते हैं कि छोटे कमचारी होंगे। इन शब्दों के साथ इस अनुपूरक अनुदान का विरोध करता हूं।

*श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे अनुपूरक अनुदानों पर बोलने का अवसर प्रदान किया। 254 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान इस सदन से मांगा गया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस भारतवर्ष में पंजाब, हरियाना और अन्य ऐसे प्रदेश हैं जिनका इतना बड़ा बजट नहीं होगा। यह ढाई अरब रुपये का अनुदान सदन से लेना चाहते हैं जब कि अब केवल 19 दिन बाकी रह गये हैं और इनमें भी 3।4 दिन की छुट्टी निकल जायेगी तो यह खर्च होने वाला नहीं है। काफी रुपया यह खर्च कर चुके हैं और लोगों का पेमेन्ट करना है लिहाजा यह रुपया मांग रहे हैं। जो बजट इस समय रखा गया है उसमें कहीं 900 हो सकता है, कहीं 5 हजार हो सकता है, लेकिन जहां 27 लाख या 40 लाख रुपया मांगा गया है तो इसका मतलब यह है कि जिस समय बजट बनाया गया तो बजट बनाने वालों को यह अंदाजा नहीं रहा कि आगे कितना खर्च हो सकता है।

जब बजट सामने आता है तो वित्त मंत्री कहते हैं कि इस साल 40/50 करोड़ रुपये का घाटा होगा। लेकिन इसमें अगर यह ढाई अरब रुपया मिला दिया जाये तो घाटा तीन अरब रुपये का होगा। बजट बनाते समय खर्चे का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा खर्चा जरूर बढ़ सकता है। अगर इस तरह से बजट बनाया जायगा तो वह चीज सामने नहीं आयेगी और हमें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आप देखें कि खाद्य विभाग ने 15 लाख रुपये का बजट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ खन्ना]

मांगा है और अपने प्रदेश में खाद्य समस्या की क्या हालत है चाहे वह कर्मचारी हो, अफसर हो, गरीब हो या साधारण आदमी हो, वह सुबह से लेकर शाम तक 3/4 बार राशन की दकान पर जाता है और वहां बोर्ड पर लिखा होता है कि स्टाक में माल नहीं है। जैसा कि शास्त्री जी कह रहे थे कि देहात में राशन नहीं दिये हैं लेकिन यहां हालत यह है कि जब लोग दूकान पर जाते हैं तो माल नहीं मिलता है। इस सरकार को रहने का कोई हक नहीं है जो राशन कार्ड तो देती है लेकिन माल नहीं दे पाती है और लोगों को बाजर से माल लेना पड़ता है। यह सरकार राशन देने को तो कहती है लेकिन दे नहीं पाती है। तो यह सरकार, रहने के काबिल नहीं है, इसे रिजाइन करना चाहिए।

यह हालत तो उस वक्त है इनकी जबकि अभी व्यापार व्यापारियों के हाथ में है लेकिन जब पूरा व्यापार इनके हाथ में आ जायगा तो भगवान जानें क्या हालत होगी। अभी गंजे को नाखून नहीं मिले हैं वह मिल जायेंगे तो न मालूम क्या होगा, मैं नहीं समझता कि यह उसको चला भी पायेंगे या नहीं। मैं फूड कमेटी में हूं वहां एक बात आई कि देहात में भी राशन कार्ड बनाये जायं। वहां यह समस्या आई तो कहा गया कि दस पैसे फी राशन कार्ड बनाने पर खर्च होते हैं लेकिन इनकी तरफ से यह बात आई कि दस पैसे सरकार कैसे खर्च करे। यह दस पैसे एक राशन कार्ड बनाने का खर्च नहीं उठा सकते लेकिन यह पूरा व्यापार लेने जा रहे हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता है शायद वह भी मिलना मुश्किल हो जायगा लेकिन इनको क्या इन को सरकार बनी रहे।

दूसरी हालत यह है कि जब लोगों को कोई चीज नहीं मिलती तो जनतन्त्र में जनता का अपना रोष प्रकट करने का एक तरीका होता है कि विपक्षी दलों के लोग या जनता जलसे करती है सरकार के खिलाफ अपनी मांग को लेकर या जलूस निकालती है। मैं अभी परसों की बात बता दूं कि सहारनपुर में हमने इनके एस0 डी0 एम0 से कहा कि हम एक जलसा करना चाहते हैं उसको इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा कि आजकल दफा 144 लगी हुई है, कोतवाली से इसके मुताल्लिक रिपोर्ट मंगाई जायेगी। शाम को पता चला कि जलसे की अनुमति तो दी गई है लेकिन जलसे का एलान नहीं किया जा सकता। यह हालत है इस सरकार की, इनके जो अधिकारी बैठे हैं उनकी यह नीति है कि अपनी जायज मांग के लिये न कोई जलसे कर सकता है और न कोई माइक लगा कर एलान कर सकता है। जब जलसे का एलान नहीं होगा तो फिर जनता को उसका पता ही कैसे होगा और कौन सुनने आयेगा। हमने सी0 एम0 से कहा कि एलान की इजाजत दे दें, उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है, पढ़ाई के दिन हैं, इजाजत नहीं दी जा सकती। हमने उनसे यहां तक कहा कि केवल 1 घंटे के लिये ही इजाजत दें एलान करने की और हम रात को जलसा कर लेंगे। लेकिन इजाजत नहीं दी गई। यह हालत हो रही है कि यह राशन भी किसी को नहीं देते और जनतन्त्र में जो एक फंडामेंटल राइट जलसा करने का है और रोष प्रकट करने का जो एक तरीका है उस पर भी अंकुश लगाया जाता है कि हम लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते। मैं सरकार को जानकारी में लाना चाहता हूं कि वह इस तरफ ध्यान दे और हमें किसी तरह का आन्दोलन खड़ा करने पर मजबूर न करें। हम दफा 144 तोड़ भी सकते हैं और उसके खिलाफ भी जा सकते हैं लेकिन हम इस समय ऐसा अभी चाहते नहीं हैं।

इन्होंने कहा कि हम गेहूं के व्यापार को हाथ में लेंगे। अभी तक जो गेहूं का व्यापार चलता था उसमें व्यापारी अपना पैसा लगाता था लेकिन आज इनके सामने इस खर्च की समस्या है कि कहां से इतना धन आयेगा। केन्द्रीय सरकार से अनुदान मिलेगा और यह व्यापार करेंगे यह भी देखने की बात है। पता नहीं कि इतनी बड़ी धनराशि कहां से आयेगी। हमें

शुभा है कि यह इस काम में सफल हो सकेंगे। मैंने फूड कमेटी में पूछा था कि आपके पास कृषि विभाग की रिपोर्ट है, कितने लाख मन गेहूं पैदा होगा ? अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश में 80 लाख टन गेहूं की उपज होने का अनुमान है। मैंने दूसरा प्रश्न वहां यह भी किया था कि आपके यहां इतने गेहूं के लिये स्टोरिंग कैपेसिटी है ? कहा गया कि केवल 18 लाख टन की गोदाम में भरने की जगह है। मैंने उनसे कहा कि अगर ज्यादा माल आ गया तो आप 20–25 लाख टन किसी तरह से रख लेंगे लेकिन बाकी यह 55–60 टन कहां जायगा ? उसे आप सड़ायेंगे या बरसात में मैदान में डाले रखेंगे ? आप इस पर विचार करें, पूरा राशनिंग यह चाहते नहीं, पूरी जिम्मेदारी यह लेते नहीं और व्यापार गेहूं का यह पूरा लेने जा रहे हैं, बाजार में गेहूं मिलेगा नहीं, राशन की दूकानों पर अगर माल नहीं मिला तो जनता कहां जायगी ?

ऐसी हालत में मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि वे इस पर विचार करें। रही यह बात जो मांगें इतनी बड़ी रखी गयी हैं, मैं इसलिये उनका विरोध करता हूं कि 2 1/2 अरब रुपये का अनुदान मांग लेना बहुत गलत बात है। इससे अधिकारियों को प्रोत्साहन मिलता है, जिसका इस सरकार को पता नहीं होता है और आखिर में कहते हैं कि मजबूर हैं, न करें तो कैसे काम चलेगा। तो इस मजबूरी में सरकार को यह बजट लाना पड़ता है सदन को मांगें माननी पड़ती हैं।

इसके साथ ही साथ एक और बात खाद्य समस्या के बारे में रखना चाहता हूं। आज खाद्य मंत्री जी भी मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिलाधीशों का कहना है कि जनवरी से मार्च तक उन्होंने जितनी मांग की है, उसका 25 प्रतिशत कोटा ही उनको मिल रहा है। अगर आप 25 प्रतिशत ही उन्हें देते हैं जैसे यदि वे 100 मन मांगते हैं और उन्हें केवल 25 मन गल्ला ही मिलता है तो आपका घेराव होगा, अधिकारियों और दूकानदारों का घेराव हो सकता है, यहां तक कि लूटपाट तक की नौबत आ सकती है। तो इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

इन सुझावों के साथ जो 2 1/2 अरब की मांगें अनुपूरक अनुदानों के रूप में रखी गयी हैं मैं इनका विरोध करता हूं।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्रीमन्, जैसा वर्मा जी ने कहा कि सचमुच भले ही संविधान में व्यवस्था हो लेकिन व्यवस्था रहते हुए यह बड़ा आपत्तिजनक है कि अभी 2 महीने नहीं हुए दिसम्बर में इस सरकार ने 64 करोड़ 17 लाख 88 हजार 3 सौ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया था। मुश्किल से 2 महीने ही गुजरे होंगे कि यह करीब करीब 190 करोड़, तिगुने के करीब, यह अनुपूरक बजट इस सदन के सामने आ रहा है। मैं समझता हूं कि यह सरकार भी जनता को समझाने में अपने को बिल्कुल असमर्थ पायेगी कि क्या कारण रहा कि दिसम्बर तक आपको 64 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग करनी पड़ी और 2 महीने भी नहीं बीलते होंगे कि 190 करोड़ रुपये आप फिर मांग रहे हैं। जो मांग आप इस समय कर रहे हैं क्या इसका सदुपयोग इस मार्च के ही महीने में जो कि इस वर्ष का अंतिम मास है, हो जायगा। आप ठंडे दिल से सोचें, हर आदमी कहेगा कि नहीं होगा। इन दोनों अनुपूरक बजटों को मिलाकर अनुपूरक बजट की रकम 254 करोड़ रुपया हो जाती है, यह बड़े शर्म की बात है कि इतनी बड़ी रकम अनुपूरक बजट के रूप में मांगी जा रही है। जिस सरकार को अपने मूल बजट के अतिरिक्त 254 करोड़ रुपये का पूरक बजट पेश करना पड़े, उसके लिये यही काफी है कि वह तुरन्त यहां से हट जाय, इस्तीफा दे दें इससे यह साबित होता है कि सरकार के लोग असक्षम हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

मूल रूप से जो पूरक बजट पेश होते हैं, उसके 3 कारण हैं, एक तो यह कि जो मूल बजट में व्यय होता है, किन्हीं कारणों से उसमें कुछ थोड़ा-सा अधिक व्यय हो जाय, दूसरा कारण यह होता है कि कोई आकस्मिक आपदा या विपत्ति आ जाय, जिसके बारे में मूल बजट में व्यवस्था न हो और सरकार को अचानक व्यय करना पड़े और तीसरा कारण यह होता है कि धन तो उपलब्ध रहता है लेकिन नयी मदों में सरकार खर्च करती है।

श्रीमन्, हम लोग आशा यह करते थे कि बजट बड़ा संतुलित होगा। सरकार ने जो अनुदान के रूप में विभिन्न विभाग के लिये पेश किया है, उनकी मांग आवश्यक नहीं हैं, वे जनहित के लिये नहीं हैं। ऐसी नहीं हैं कि अविलम्बनीय खर्च करने की जरूरत हो। अनुदान संख्या 4 है बिक्री-कर का। उसमें ये 4 लाख 28 हजार रुपये की अनुपूरक मांग प्रस्तुत की गई है। बिक्री-कर विभाग के कार्यकलापों में वृद्धि के कारण चालू वित्तीय वर्ष में कई नये कार्यालय स्थापित किये गये हैं जिनके लिये अतिरिक्त कर्मचारियों नियुक्तियां की गई ह। 32 करोड़ की एक बड़ी धनराशि इस समय बिक्री-कर की बकाया है, जिसको ये भ्रष्टाचारी कर्मचारी बिक्री-कर विभाग के वसूल करने में सक्षम नहीं हैं। फिर नये कार्यालय की क्या इतनी जरूरत थी जिसके लिये पूरक मांग की गयी।

अब श्रीमन्, अनुदान संख्या 8 है। यह प्रस्ताव विधान मंडल के लिये है। उसमें यह कहा गया है कि हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अधिकतर कार से ही यात्रा करते हैं और जिसक कारण उनके प्रयोगार्थ सरकारी कारों के रख-रखाव आदि पर अधिक खर्च होता है। 15 हजार और 10 हजार रुपये की मांग की गयी है इन कारों के रख-रखाव के लिये, जो उपर्युक्त नहीं है।

अब अनुदान संख्या 10 को लें। उसमें यह कहा गया है कि भारत सरकार के (गवर्नर्स एलाउन्सेज ऐंड प्रिविलेजेज) आर्डर, 1950 के अनुसार गवर्नर 1,600 रु0 का सज्जा भत्ता पाने के हकदार हैं, जिसके लिये नये सिरे से मांग की है। इसको मैं समझने में असमर्थ पा रहा हूं। इस 1,600 रु0 की मांग पहले कोई राज्यपाल नहीं करते थे। क्या कारण थे कि इस मांग को किसी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने अब तक नहीं किया। अगर नहीं किया तो मैं सरकार से पूंछना चाहता हूं कि क्यों इस मांग को सरकार को पेश करना पड़ा। हमें ऐसा लगता है कि कोई राज्यपाल इसके पूर्व इस तरह की मांग नहीं करता था। इसके लिये आप राज्यपाल से निवेदन कर देते कि चूंकि अब तक परम्परा नहीं रही, इसलिये हम 73–74 में इसका प्राविधान करेंगे। इसमें यह जरूरी नहीं था कि इसको तुरन्त कर दिया जाय। उसी में भूमि-व्यवस्था आयुक्त के अधिष्ठान के लिये अतिरिक्त धनराशि की मांग प्रस्तुत की गयी है जो 2 लाख 8 हजार है। इस अधिष्ठान की सार्थकता मेरी समझ में नहीं आती। उसमें आगे राज्यपाल के विवेकानुदान की धनराशि में वृद्धि की गयी है। उसमें कहा गया है कि इस मद में 3 हजार रुपये अतिरिक्त खर्च हो गया है। यह आपत्तिजनक है। एक सीमा है उनकी यह धनराशि खर्च करने की। अगर नियमित नहीं होगी, तो यह रोग फैलेगा। हम देखते हैं कि मंत्रियों के विवेकाधीन कोष में यह खर्च बढ़ता चला गया। राज्यपाल से शुरू हुआ। वित्त मंत्री कह देंगे कि हमी क्यों पीछे रहें।

श्रीमन्, ऐसा दिखाई देता है कि वित्त मंत्री जी का पेट भरने वाला नहीं है। अखबारों ने यहां तक कह दिया है कि चुनाव आने वाला है, इसलिये ऐसा किया जा रहा है।

मान्यवर, 51 जिलों में जिला योजना में प्रगति लाने के लिये एक बड़ी धनराशि की मांग की जा रही है और यह मांग लगभग 9 लाख 76 हजार रु0 की है। मैं पूछना चाहता हूं क्या प्रगति हुई ? प्रगति तो मंत्री जी की फाइल मे होगी। जिला योजना

इकाई है और विधायक उसके मेम्बर हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि बलिया में एक भी बैठक नहीं हुई। इस तरह के प्रश्न कई माननीय सदस्यों ने मुख्य मंत्री जी से भी किये कि हमारे यहां बैठकें नहीं हो रही हैं। अगर बैठकें नहीं होतीं हैं और लाखों रुपये आप खर्च करके गतिशील बनाने की बात कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह रुपया कहां खर्च हो रहा है, यह जनता को मालूम नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से आप रोजगारों और बेरोजगारों का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण करा रहे हैं। मान्यवर, मैंने सन् 69 से 72 तक इस संबंध में कई प्रश्न किये कि कितने डिप्लोमा होल्डर्स, तकनीकी आदमी बेकार हैं, कहां कहां और बकारी है, तो जो उत्तर दिये जाते थे, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सर्वेक्षण के आधार पर दिये जाते थे अथवा बिना सर्वेक्षण के, अगर सर्वेक्षण के आधार पर दिये जाते थे तो अब क्या आवश्यकता है कि सर्वेक्षण कराया जाय और अगर इतना ही जरूरी था तो क्यों नहीं 1973–74 से आप करा रहे। पब्लिक की इतनी गाढ़ी कमाई क्यों बरबाद की जा रही है।

इसी प्रकार अनुदान संख्या 15 पुलिस की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरी समझ में नहीं आया कि पुलिस में रेडियो स्टेशन की स्थापना हरिद्वार में क्यों हो रही है? मालूम होता है कि पाकिस्तान का आर्डर है और इसीलिये बहुत जरूरी था। मैं पूछना चाहता हूं कि जब बजट में प्राविधान नहीं था तो कौन सी ऐसी जरूरी घटना हो गई कि यह अनुदान लाया गया। अभी पिछले 8 तारीख को राज्यपाल महोदय बलिया गये तो एक दुर्घटना हो गई और करीब 2–3 वर्ष हुए एक जीप से छात्र कुचल गया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जहां पुलिस का रहना आवश्यक था वहां तो आज तक कोई प्रबन्ध नहीं है और 2–3 वर्ष में 3–4 दुर्घटनायें हो गईं, लेकिन हरिद्वार में पुलिस के रेडियो स्टेशन की स्थापना हो रही है जब कि प्राविधान न था।

इसी प्रकार अनुदान संख्या 18–शिक्षा। शिक्षा मंडप लगाने के लिये 2–4–10 हजार रुपये की आवश्यकता नहीं है, बल्कि 50 हजार रुपये की आवश्यकता है। मान्यवर, प्रदर्शनी के नाम पर इतनी लूट-खसोट, भ्रष्टाचार मचा हुआ है कि कुछ कहने नहीं। सादगी तो है ही नहीं। हम सादगी के नाम पर गांधी जी की दुहाई देते हैं, लेकिन शिक्षा मंडप पर 50 हजार रुपये की आवश्यकता है। हम कहेंगे कि स्वतंत्रता की जयंती पर आजादी के नाम पर कुर्बानी करने वाले लोगों की प्रदर्शनी लगाई होती, लेकिन ऐसी कोई प्रदर्शनी नहीं लगाई गई। मैं पूछना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग के लिये इतनी बड़ी राशि क्यों दी गई है क्या यह जरूरी थी?

(इस समय 3 बजे अधिष्ठाता, श्री राम सिंह पीठासीन हुए।)

इसी प्रकार श्रीमन्, अनुदान संख्या 21 है। इसमें है कृषि संबंधी विकास। इसमें खर्च किया जा रहा है 87 हजार रुपया। गन्ना निरीक्षकों के लिये जीप गाड़ियों का खरीदना जरूरी है। गांधी जी ने कहा था स्वराज्य की परिभाषा करते हुए कि स्वराज्य तब समझा जायेगा जबकि राह में चलते हुए लोगों की बात सुनी जाय। आपका गन्ना निरीक्षक पैदल नहीं चल सकता, साइकिल पर नहीं चल सकता। इस प्रदेश की गाढ़ी कमाई जीपों पर खर्च करने के लिये आपने अनुपूरक बजट में मांगी है।

श्रीमन्, अब मैं अनुदान संख्या 25 की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो उद्योग से संबंधित है। यह है ग्रामीण औद्योगीकरण प्रायोजना। यह नौ जिलों में संचालित है। इसमें कहा गया है कि पांचवीं पंचवर्षीय आयोजनाकाल के लिये भारत सरकार ने इस प्रदेश के लिए तीन अतिरिक्त प्रायोजनायें आवंटित की हैं जिन्हें मुरादाबाद, देवरिया एवं उन्नाव जिलों में चलाने का विचार है, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गयी है। इसमें 1,49,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। नौ जिलों में यह योजना पहले से ही चल रही है। अगर प्रगति देखी जाय तो नहीं के बराबर है। अब तीन जिलों में भारत सरकार ने

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

और स्वीकृति दी है। अभी केंद्रीय सरकार ने केवल आश्वासन ही दिया है और हम जानते हैं कि भारत सरकार बहुत से आश्वासन देती है और फिर मुकर जाती है। अभी योजना जमीन पर आयी भी नहीं और माननीय मंत्री जी ने अनुपूरक बजट में उसको पेश कर दिया।

अनुदान संख्या 26 को देखें। यह नियोजन और समन्वय से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि एक योजना केंद्र की है। भारत सरकार न जिला बलिया के बांसडीह और रेवती खंड क्षेत्रों में यह योजना चलायी है। 72.3 में 2.5 लाख रुपये व्यय हो गये हैं। मैं बलिया का रहने वाला हूं। अगर माननीय मंत्री नियोजन के हों तो मैं उनसे कहूंगा कि वह आंकड़े मंगा लें कि 2.5 लाख रुपया कहां व्यय हुआ। मैंने बलिया की धरती पर कुछ देखा नहीं कि कौन सा काम हुआ। अगले वर्ष के लिये 10 लाख रुपया ले रहे हैं। गत वर्ष जो केंद्र से रुपया मिला वह खर्च ही नहीं हुआ। अगर खर्च भी हुआ होगा तो उसका सदुपयोग नहीं हुआ। 80 प्रतिशत तो इनके भ्रष्टाचारी अधिकारी खा जाते हैं। उनके खाने-कमाने, लूट-खसूट के रहते हुए भी मैं कहता हूं कि खर्च हुआ ही नहीं। जब वह धनराशि बची हुई है तो फिर आप और रुपये की मांग क्यों कर रहे हैं।

अनुदान संख्या 37 परिवहन विभाग की है। यह तो बड़ा ही आपत्तिजनक है। हालत यह है कि जो रुपया मांगा जा रहा है वह सन् 1972-73 के बजट का खर्चा नहीं बल्कि वह सन् 1971-72 का है। परिवहन में 10,000 रु० आकस्मिक निधि से निकाले गये। साल भर बीत गया परन्तु सरकार को पता ही नहीं चला कि कितना रुपया खर्च हो गया है। अब यह पता चलता है कि परिवहन विभाग में सन् 1971-72 में वह धन खत्म हो गया था। ये हैं आपके कारनामे।

अब, मान्यवर, अनुदान संख्या 38 को देखें जिसमें जांच कार्य और सहायता के नाम पर एक बड़ी धनराशि मांगी जा रही है। इसमें कोई विभाग हैं जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग इत्यादि। बताया यह गया है कि सूखा पड़ा था इसलिये वह टेस्ट वर्क के लिये अत्यन्त आवश्यक है। बलिया में भी टेस्ट वर्क चला। आप टेस्ट वर्क की क्या मजदूरी दे रहे हैं? क्या उसको न्यूनतम मजदूरी आंका जाय। अगर न्यूनतम मजदूरी उसको आंका जाय तो आपको मालूम होगा कि सरकार खुद ही नियम भंगी है और इसलिये सरकार को कन्डम करना पड़ेगा। आप मजदूर से कड़ाके की धूप में मिट्टी डलवाते हैं और उनको उचित मजदूरी नहीं दे रहे हैं। हम समझते हैं कि बलिया में प्रगति 1/3 भी नहीं हुई है। इसकी आप जांच करवा दीजिये। सारा रुपया पूरक बजट के रूप में दे रहे हैं। आपके अधिकारी खा जायेंगे। वे सीमेंट, ईंटा, बोरे खरीद लेंगे। 31 मार्च के आते-आते सारा सामान ले लेंगे। इतनी कम मजदूरी पर मजदूर तो मिलते नहीं हैं। और अब तो कटिया शुरू हो गयी है। इन दो-तीन महीने में कौन आपका काम करेगा। अब इन महीनों में टेस्ट वर्क का काम नहीं हो सकेगा। जिलों से अधिकारियों की रुपया मांगने के बारे में रिपोर्ट आयी होगी। जिस अधिकारी ने जितना अधिक रुपया मांगा है वह उतना ही बड़ा खाऊ होगा। यह निश्चित है कि इस रुपये का दुरुपयोग होगा। इस रुपये की कोई जरूरत नही थी। आप इस काम को अप्रैल के बाद करवा सकते थे। अप्रैल तक तो कटाई भी समाप्त हो जाती है। अधिकारियों ने इसीलिये मांगा है क्योंकि मार्च में लूट-खसोट का मौका मिलेगा। धरती पर तो कोई काम होगा नहीं। टेस्ट वर्क की सारी ही योजना असफल हो जायगी।

अब मैं आता हूं अनुदान संख्या 40 पर। क्या राजनीतिक पेंशन के मंत्री बैठे हैं?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राज बिहारी सिंह)—

जी हां, बैठा हूं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी––

इस मद के आधार पर एक सेना तैयार कर रहे हैं जो कभी जेल नहीं गये । मैं कहता हूं आप इसकी जांच करवा लीजिये बलिया जिले में जो कभी जेल नहीं गये हैं उनको पेन्शनें दी गई हैं । आप इसकी जांच करा लीजिये ।

श्री राज बिहारी सिंह––

आप इस संबंध में कोई उदाहरण दीजिये ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी––

पेन्शन के बारे में कोई आधार नहीं रक्खा है । पहले सर्टीफिकेट की जरूरत होती थी अब उसको भी नहीं रक्खा है । दो विधायक लिखकर दे दें तो पेन्शन मिल जायेगी । विधायक जो कभी जेल नहीं गये हैं उनकी सिफारिस पर पेन्शनें दी गई हैं । वह लोग खुद कभी आन्दोलन में नहीं रहे हैं ।

श्री राज बिहारी सिंह––

लाखों नाबालिग जेल गये हैं, आपको पता नहीं है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी––

आपसे अधिक पता है ।

श्री अधिष्ठाता––

अगर आपकी जानकारी में ऐसा केस हो कि जेल नहीं गया है और पेंशन मिली है तो बतला दें ।

श्री शम्भनाथ चौधरी––

वह तो लिखकर दिया है ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)––

जो राजनैतिक आन्दोलन में जेल नहीं गया है उसके बारे में कोई प्रमाण हो तो बतला दें ।

श्री अधिष्ठाता––

मंत्री जी भी यही कह रहे थे । आपके पास कोई केस हो तो बतला दीजिये ।

श्री शम्भनाथ चौधरी––

वह तो मैं दे दूंगा लेकिन मैं कह रहा था कि यह जो व्यवस्था की है कि प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, इसका दुरुपयोग हो रहा है । मेरे जिले में ऐसा हुआ है और मैं समझता हूं कि अन्य जिलों में भी ऐसा हुआ होगा ।

श्री राज बिहारी सिंह––

मैं इसका विरोध करता हूं । बिना जांच किये कुछ कहना ठीक नहीं है यह उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति गद्दारी है जो कि 30-31 में 12-13 या 14 वर्ष के थे और जेल गये थे ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी––

स्वतंत्रता सेनानियों में मैंने भी काम किया है ।

श्री अधिष्ठाता—

यह विषय ऐसा है जिस पर सेंटीमेंट्स की बात हो सकती है इसलिये आप इसको जनरलाइज न करें । यदि आपको जानकारी है तो निश्चित रूप से कह दें लेकिन विषय को जनरलाइज न करें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं लिखकर दे दूंगा अगर मुझे लिस्ट मिल जावेगी ।

नदी परियोजना पर 4.5 करोड़ रुपया रक्खा गया है । दो योजनायें हैं (1) गंडक और (2) रामगंगा की । आपने इनको दिसम्बर में भी रखा था । दो महीने में 4.5 करोड़ रुपये व्यय होगें । विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन इन दोनों योजनाओं पर बार बार पूरा करने की अवधि बढ़ाई गई है ।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

कितने मिनट बोलने का समय प्रत्येक सदस्य को दिया गया है ?

श्री अधिष्ठाता—

अब तक तो इस तरफ से कोई माननीय सदस्य खड़ा नहीं हुआ था ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैंने इसलिए समय लिया कि उधर से लोग खड़े ही नहीं होते थे। अब हमको मालूम हो गया कि आप लोग बोलना चाहते हैं । तो मैं खत्म कर दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—

आपस में कृपया बात न करें, आप अपनी बात कहें ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मेरा ख्याल है कि इन योजनाओं पर जो रुपया रखा जाता है, मूल बजट में ही उसका खर्चा नहीं हो पाता लेकिन अधिकारी लोग इस आशा में रख देते हैं कि और सरकार मांग कर लेती है और इस मांग से अधिक जो रुपया होता है उसका सिंचाई कार्यों में और परियोजना पर उसका सदुपयोग नहीं हो पाता । मैं समझता हूं कि यह एसा काम नहीं था, मैं यह सिंचाई वाला जो अनुदान 48 है उसको ले रहा हूं कि इस पर 20–25 करोड़ की मांग की जाती, और इतनी बड़ी रकम को दो महीने में, जनवरी-फरवरी में आप कैसे खर्च कर पायेंगे ? मुझे बड़ा भारी सन्देह है और डर है कि इसका सदुपयोग नहीं होगा, केवल इसका दुरुपयोग होगा । तो मेरा तो ख्याल है कि यह 190 करोड़ रुपया जो मांग रहे हैं इसका सदुपयोग तो होगा नहीं, दुरुपयोग ही होगा । इन शब्दों के साथ में इसका विरोध करता हूं ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मांगों के रुपये-पैसे के सही या गलत इस्तेमाल के बारे में तो हमारे दोस्त शम्भूनाथ चौधरी ने काफी तफसील के साथ कह दिया, उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक मूल प्रश्न है जिसके सिलसिले में चूंकि वित्त मंत्री जी मौजूद हैं, उनका ध्यान इस तरफ दिलाने की कोशिश करूंगा ।

श्रीमन्, हर साल सप्लीमेंटरी बजट की शक्ल में इस सदन के अन्दर एक बार नहीं, 2–2, 3–3 बार बजट पेश होते हैं और पास होते हैं, लेकिन आज तक सदन के अन्दर बार बार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मांग रही और चाहा गया कि मूल बजट के अन्दर जो रुपया पैसा दिया जाय उसके बाद अगर और पैसे की जरूरत विभिन्न विभागों के अधिकारी महसूस करें तो उनकी रिपोर्ट एस्टीमेट की जो भी बन कर आये वह इस सदन की एस्टीमेट्स कमेटी के सामने जरूर होकर आना चाहिए। यह देखा गया है कि डिपार्टमेंट्स के विभागाध्यक्ष अपनी जरूरत के मुताबिक चाहे सही या गलत जो भी रुपये की मांग करके भेज देते हैं, वित्त विभाग उसको उसी तरीके से, उसी रूप में इस माननीय सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर देता है। यह अन्दाजा नहीं हो पाता कि आया जो रुपया उसके मूल बजट में उस मांग के लिए दिया गया था, उसका इस्तेमाल सही हुआ या उसका एस्टीमेट ज्यादा या कम था, उनकी मांग सही है या गलत है, इस पर कभी विचार नहीं हो पाया। इसलिए इस बात की बराबर कोशिश की गयी कि जो सप्लीमेंटरी ग्रांट या मूल बजट में कोई नयी मद रखी जाय और नये रुपये के देने की बात हो तो इस सदन की एस्टीमेट्स कमेटी जो कि पहले की फाइनेंस कमेटी को रिप्लेस करके बनायी गयी है उसके सामने होकर उस पर मंजूरी और विचार करके वह सप्लीमेंटरी बजट की सकल में इस सदन के सामने आनी चाहिये।

एक मिसाल के जरिये से कहना चाहूंगा कि एस्टीमेट्स किस तरीके से मूल बजट के अन्दर बनते हैं, अधिकारी बनाते हैं और किस तरीके से उसका दुरुपयोग और बरबादी होती है। मेरे क्षेत्र में एक सड़क बन रही है गलपतपुर-अलीगंज रूट की 42 किलोमीटर और 36 लाख रुपये का एस्टीमेट है। 6 किलोमीटर में पहले ही अर्थ-वर्क हुआ। टेंडर मांगा गया और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एस्टीमेट बनाकर टेंडर लिया। 1 से लेकर 6 तक सबसे ऊंचे टेंडर जो थे 16–16 हजार रुपये के 3 किलोमीटर पर थे और बाकी के 12–12 हजार रुपये के थे 5 किलोमीटर पर। ठेकेदारों ने काम कराने के बाद उन किलोमीटर्स को, जिनका 12 हजार रुपया अर्नेस्ट मनी जमा किया था, उसको फाइनल कर दिया कुल 8 हजार रुपये में। उस 8 हजार के अन्दर ठेकेदार को भी पैसा बच गया और अर्नेस्ट मनी वगैरह सारा जमा है। वहां के एक असिस्टेंट इंजीनियर ने जब यह देखा कि इन ठेकेदारों से कोई पैसा उनको कमीशन की शक्ल में नहीं मिला तो उन्होंने 1 किलोमीटर नं0 5 जिसका 16 हजार रुपये का एस्टीमेट था उसको यह कह कर कि ठेकदार ने सही वक्त पर आकर दस्तखत नहीं किया उसको कैंसिल कर दिया और उसको पी0 डब्लू0 डी0 ने अपने से काम कराया जो मस्टर रोल पर होता है। उसका नतीजा यह हुआ कि वह काम 18 हजार में पूरा हुआ। 16 हजार खर्च हुआ और 2 हजार रुपये और मांग लिये चूंकि वह मस्टर रोल से काम हुआ।

मेरे कहने का मतलब यह है कि वह 42 किलोमीटर की रोड जिसका 32 लाख रुपये का एस्टीमेट है अगर जांच की जाय तो शायद 26 या 27 लाख रुपये में तैयार हो जायगी। लेकिन चूंकि अधिकारी उसको अपने से बनायेंगे एस्टीमेट्स कमेटी के सामने वह नहीं आयगा। तो मुझको अन्देशा है कि 36 लाख के बजाय शायद 40 लाख रुपये में वह तैयार होगी। इसलिए यह जरूरी है कि सप्लीमेंटरी ग्रांट्स और नयी मदें एस्टीमेट्स कमेटी के सामने आनी चाहिए।

मैं अपने इस तर्क के लिये हरियाणा और पंजाब की मिसाल देना चाहता हूं। वहां सरकार सप्लीमेंटरी बजट की शक्ल में दोबारा रुपया लेने की बात करती है तो वहां की एस्टीमेट्स कमेटी में उसकी स्कुटिनी होती है। नतीजा यह है कि आज समूचे देश में जहां तरक्की की मिसाल देने की बात होती है तो हरियाणा और पंजाब की ही मिसाल कोट की जाती है। अगर हरियाणा और पंजाब उस प्रथा को इस्तेमाल करके विकास के कामों में आगे बढ़ सकते हैं तो कोई वजह नहीं है कि उत्तर प्रदेश भी उस प्रथा को इस्तेमाल करके रुपये की बरबादी को न बचाये।

बहुत से अधिकारी कहते हैं कि अगर हम एस्टीमेट कमेटी के सामने भेज दें तो लीकेज हो जायगा। क्या लीकेज हो जायगा? सप्लीमेंटरी ग्रांट्स में आपने पैसा मांगा है ज्यादा

[श्री रियासत हुसैन]

खर्च करने के लिये। उसमें कोई फ्रैस टैक्सशन नहीं है जिसमें पालिसी का लीकज हो जाय। एस्टीमट्स कमेटी तो इस माननीय सदन की कमेटी है और मिनियेचर हाउस कहलाती है। और जितने माननीय सदस्य यहां बठे हैं सबने श्रोथ ली है सीक्रेसी मेन्टेन करने की और कांस्टीट्यूशन के मुताबिक सब कुछ करन की। तो एक तरफ अगर माननीय सदस्यों को इस आशंका से दखा जाय कि उनसे लीकेज हो जायगा तो मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हमें भी यह अधिकार है कहने का कि अधिकारियों के सामने अगर यह चीजें रखी जायंगी तो उनका लीकेज हो सकता है।

आज तक पार्लियामेंट में जो भी बजट के लीकेज हुये हैं और लीकेज होने की जो जांच हुई है उससे यही पता चला है कि लीकेज अधिकारियों की गलती से हुये हैं न कि पार्लियामेंट के किसी मेम्बर की गलती से। आज पूरे देश में विकास के निर्माण का कार्य चल रहा है, हमको रिसोर्सेज की जरूरत है वह चाहे कहीं से भी आये, जो भी हमारी आय है उसका 92 प्रतिशत प्लानिंग पर खर्च हो रहा है, ऐसी स्थिति में कोई वजह नहीं है कि जो कुछ भी हम खर्च कर रहे हैं उसकी अच्छी तरह से स्क्रूटनी न हो। माननीय एस्टीमेट्स कमेटी सदन की ही बनायी हुई एक कमेटी है। इसलिय जो भी सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स आती हैं वे उस कमेटी द्वारा स्क्रूटनी होने के बाद उसकी रिपोर्ट के साथ ही आनी चाहिय।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे इस पर गम्भीरता के साथ विचार करें और भविष्य में एसी प्रथा कायम करें कि जो भी यहां सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स आये वे एस्टीमेट्स कमेटी से स्क्रूटनी होने के बाद आयें। अगर सरकार यह समझती है कि एस्टीमेट्स कमेटी आदि म जाने की जरूरत नहीं है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि फिर इन कमेटियों की जरूरत ही क्या है। आपने भिन्न समितियां जो बनायी हैं यदि उनकी सिफारिशों पर सरकार अमल नहीं करती, उन पर विश्वास नहीं करती, तो उन कमेटियों को बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। आखिर वे कमेटियां इस सदन की ही तो नुमाइन्दगी कमेटियां होती हैं। उन कमेटियों के जो भी प्रतिवेदन आत ह यदि उन पर यहां विचार करना सम्भव नहीं है, तो कम से कम उनकी सिफारिशों को तो अमल में लाना चाहिये। जब हम ऐसा करेंगे तभी ब्योरोक्रेसी से हम छुटकारा पा सकेंगे और डेमोक्रेसी की सफलता का जो हमने सपना देखा था और यह सोचा था कि एक गरीब आदमी को भी अपनी बात कहने का अधिकार होगा, वह सपना सही तरह से सच्चा हो सकेगा। वरना हमारी सारी आशायें चकनाचूर हो जायेंगी। इसलिये मैं फिर यह निवेदन करूंगा कि भविष्य में जो भी सप्लीमेंटरी ग्रांट्स आयें वे एस्टीमेट्स कमेटी से स्क्रूटनी होने के बाद ही आया करें। इन शब्दों के साथ मैं इन ग्रांटस का समर्थन करता हूं।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण और उस पर विवाद में 4 साल से बराबर सुनता आ रहा हूं। हम लोग करीब 85 प्रतिशत विधायक गांव से ही चुनकर आते हैं। हर वर्ष आलोचना और प्रत्यालोचना होती है। मजाक भी होती है। मगर वास्तव में क्या हुआ है यह वहां जाकर देखने से ही पता चलता है। सही चित्र गांव का वहां जाकर देखने से पता चलता है।

मान्यवर, मैं कोई भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं कोई बजट की आलोचना करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं केवल अपने दर्द को रोने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूं। हमारे देश की जनता प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टि से सभी प्रकार से पिसती चली जा रही है, इस पर हमें सबसे ज्यादा दुःख होता है। यदि हम शहरों से ही चुनकर आए होते और फिर उनके साथ अन्याय होता तो हमें कुछ न कहना होता और कह देते कि हमारे गांव का प्रतिनिधित्व यहां नहीं है। लेकिन हम लोग गांव से ही चुन कर आए हैं, यहां पर उपस्थिति 85 प्रतिशत

सदस्य गांव से चुनकर आते हैं और वहां पर ग्रामीण जनता का आश्वासन दे कर आते हैं किन्तु, यहां उनके दुःख-दर्द दूर करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। हम वहां से आते है, वहां की चाल-ढाल रहन-सहन और खान-पान को धारण करते हैं, किन्तु उनकी कठिनाइयों को सही रूप से यहां रख नहीं पाते हैं। तो मैं जानना चहता हूं, क्या हम उनके साथ मजाक करने यहां आते हैं यह सोचकर हमें निहायत दुःख होता है। मैं यहां पर सिर्फ उनकी कठिनाई को पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यदि मिट्टी के तेल पर टैक्स बढ़ेगा तो किसान पिसेगा, किसान मिट्टी का तेल इस्तेमाल करता है, बिजली नहीं। हम मार्कीन इस्तेमाल करते हैं, टेरीलीन नहीं इस्तेमाल करते हैं और मार्कीन पर टैक्स बढ़ता है तो गांव के लोग पिसते हैं।

आप कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ाते चले जाते हैं। मैं आपको नहीं रोकता हूं किन्तु यह तो देख लीजिए कि हम कहां तक उसे सहन कर सकते हैं, जनता पर कहां तक टैक्स का बोझ डाला जा सकता है। इसका कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। यदि रोडवेज की बसों का किराया बढ़ेगा, मिट्टी का तेल और मार्कीन का दाम बढ़ेगा, पानी का दाम बढ़ेगा, सरकार खाद का दाम बढ़ायेगी तो देखने की चीज यह है कि उसको सहन करने वाला कौन है गांव का उपभोक्ता ही तो उस कर बोझ को सहने वाला है। इस पर हमने कभी विचार नहीं किया सारे डेवलपमेंट्स, सारी सुविधाएं, सारे साधन और शक्ति आप शहरों को ही देते रहते हैं। इस सबको देखकर मालूम पड़ता है कि आप देश में एक क्राइसेज खड़ा कर रहे हैं। शहर बनामें गांव का।

अब गांव की ग्रामीण जनता सोचने लगी है कि हमारे साथ सतत अन्याय हो रहा है, हमको दबाया जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है और हमारी सुनने वाला कोई नही है। यह सोचता है कि हमारे पास सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है, हमारा गेंहूं लागत से सस्ते में खरीदा जाता है, हमको नागरिक संरक्षण नहीं मिलता है। हमारे घरों में डकैती पड़ती है तो हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाडी है, बिना 10–10 रुपये रिश्वत दिये और उसकी भी कोई जांच पड़ताल नहीं होती है। इसीलिए वह बठ जाए और कोई वाकया हो जाये उसकी रिपोर्ट लिखाए तो भी उसके ऊपर 200–400 रुपया दण्ड पड़ता है कि तुमने क्यों नहीं रिपोर्ट लिखाई।

हमारे गांवों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इतना टैक्सेसन हो गया है कि मेरे ख्याल से किसी अन्य वर्ग पर उतना नहीं होगा। उन पर 100, 150 और 200 प्रतिशत टैक्स है। इतना बड़ा दुनियां में कहीं टैक्स नहीं देखा गया। हमारा मक्का 54 रुपये क्वींटल खरीदा गया। हम मेहनत से उसे पैदा करते हैं और हम उसे रोक नहीं पाते, मजबूरन उसे हमें सस्ते में बेचना पड़ता है। किन्तु जब दो महीने बाद हमें जरूरत पड़ती है तो हम 90 रुपये क्वीन्टल खरीद कर खाते हैं। हमारे जंगली क्षेत्र में कोई भी अस्पताल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई भी सड़क नहीं है। वह खतौनी की नकल लेने जाता है तो 8 आने की फीस के बजाय उसे 40–50 रुपये रिश्वत देने पड़ते हैं। गांव के विकास और सुविधा के लिए, उनके संरक्षण के लिए न हमारे विधायक ध्यान देते हैं न सरकार कोई ध्यान देती है।

सरकार ढिंढोरा गांव की जनता के नाम का पीटती है, लेकिन वह सारे कार्य शहरों के लिए करती है। यह बात दुख के साथ कहनी पड़ रही है। बजट बनता रहता है, कार्यान्वित होता रहता है। लेकिन उसका कितना हिस्सा 85 फीसदी को मिलता है कितना 15 फीसदी को मिलता है? हमारा गन्ना 12 रुपये क्वींटल बिकता है, हमको शकर पांच रुपये में मिलती है और शहरों में दो रुपये किलो में बेची जाती है। गांव में नाम मात्र को शकर बांटने की व्यवस्था है। वह शकर कोटा होल्डरों के पास ब्लैक हो जाती है। हम बोल नहीं पाते हैं।

दूसरी बात, मान्यवर, अगर हम अपनी कोई फरियाद लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं, तो सूट बूट वाले आकर फौरन बैठ जाते हैं, उनकी बातें सुन ली जाती हैं, लेकिन हम घंटों मैले कुचैले कपड़े पहने हुए बैठे रहते हैं। कोई सुनवाई नहीं होती। जब राशन की दूकानों का

[श्री पारसनाथ सिंह]

ढिंढोरा पीटा जाता है तो कहा जाता है कि आप को गल्ला मिलेगा। लेकिन मैंने नहीं देखा कि किसी गांव वाले को राशन मिला हो। मैंने नियम 301 में सूचना दी है, बहराइच में 3 बार आग लग चुकी है। नानपारा तहसील मेंरेकार्ड आपरेशन हुआ, जब रेकार्ड दाखिल हो गया तो सारा रिकार्ड फेंक दिया गया। नतीजा यह हुआ कि वहां के गांवों को कठिनाई उत्पन्न हो गयी। लाठियां चलने लगीं, अराजकता फैल गयी। दोबारा जब फिर रेकार्ड आपरेशन हुआ तो फिर आग लगी। तीसरी आग 9 तारीख को हमारी बहराइच में लगी। अधिकारी कहते हैं कि यह ऐक्सीडेंटल आग लगी है। लेकिन यह ऐक्सीडेंटल नहीं है।

(इस समय 3 बजकर 38 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

सुनियोजित आग लगी है। इसमें अराजक तत्वों का हाथ है। अब चाहे कोई भी जबरदस्त आदमी किसी गरीब ही जमीन को हज्म कर सकता है। वहां के लेखपालों के पास जो कागजात हैं उनको तुरन्त सील कर देना चाहिए था वह भी सील नहीं किये गये। ट्रेजरी आफिसर उसी कम्पाउण्ड में रहता है, डेढ़ घंटे के बाद जब खजाने में आग लगी तो खजाने में व्यवस्था कराने के लिए आये। ऐसा मालूम पड़ता है कि कलेक्टरी बिल्कुल बम्बार्ड की गयी है।

मैं निश्चित रूप कहता हूं कि इसमें बामपंथियों का हाथ है। हम को तबाह किया जा रहा है। जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। सी0 बी0 आई0 से जांच करायी जाय और सख्त से सख्त सजा दी जाय। वह नैपाल से सटा हुआ इलाका है। वहां पर नक्सल-पंथियों की गतिविधियां फैली हुई हैं, अराजकता उत्पन्न करने के लिए लेकिन जिला अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं कोई लिखा पढ़ा विद्वान् नहीं। इसमें बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। बड़े बड़े आई0 ए0 एस0 अधिकारी बैठे हुए हैं जो बजट बनाते रहते हैं। लेकिन बजट वर्ष में तीन चार बार पेश हो, कितने रुपये का अनुमान था और कितना खर्च किया जा रहा है, यह खर्चा क्यों बढ़ गया, इसका कोई समाधान नहीं रखा जाता है, यह बजट की कमजोरियों को स्वयं सिद्ध करता है।

एक अनुमान लगा कर बजट बनाया जाता है उसका तात्पर्य क्या है? वह एक तमाशा है। इसकी कोई एनालीसस सामने नहीं रखी जाती है कि किसी मद में जितना रुपया खर्चा किया गया था उससे अधिक क्यों खर्च हुआ? जब हाल हमारा यह है कि बिना टैक्स लगाये हुए, बिना कर्जा लिये हुए और बिना गरीब जनता की हड्डी चूसे हुए जब हम कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते तब एक वर्ष में तीन बार अनुपूरक बजट लाना कहां तक उचित है? क्या हम जनता को धोखा देने के लिये बजट बनाते ह कि मूल बजट में 41 करोड़ रुपया घाटा रख दिया और उसके बाद कई बार अनुपूरक बजट लाकर उसे 148 करोड़ कर दिया। इस प्रकार से जनता को बेवकूफ बनाया जाता है या यह अधिकारियों का निकम्मापन है। जैसा कि रियासत हुसेन साहब ने कहा हमको इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और यह चाहूंगा कि सरकार मेरे दिये हुए सुझावों पर विचार करे।

*श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक न कह कर समय की कमी के कारण केवल मोटी मोटी बातों की ओर इस सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा ताकि इस प्रदेश में जो एक अस्वस्थ परम्परा पड़ती जा रही है उसमें सुधार हो सके। मान्यवर, बजट के बाद जिस प्रकार से अनुपूरक अनुदानों को पेश करने की परम्परा इस प्रदेश में पड़ती जा रही है उसे हम अस्वस्थ परम्परा कहते हैं और अस्वस्थ परम्परा इसलिये उसे कहा जाता है कि अगर यही क्रम चलता रहेगा, अनुपूरक अनुदानों के द्वारा उन सारे कामों को छिपाने की चेष्टा की जायगी तो निश्चित रूप से बजट का जो मौलिक उद्देश्य है वह समाप्त हो जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसी भी सरकार का बजट उसके भावी स्वरूप, उनकी नीतियों एवं कार्यक्रमों का दिग्दर्शन कराता है। बजट के माध्यम से ही उस प्रदेश और देश की जनता अपनी धारणा बनाती है और बिगाड़ती है। अगर बजट में बराबर अस्थिरता रहेगी, स्थिरता नहीं रहेगी और पूरक तथा अनुपूरक मांगों के जरिये बजट को बराबर बढ़ाते घटाते रहेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा वातावरण पदा हो जायगा जिससे कालान्तर में सरकारों पर से निष्ठा समाप्त हो जायगी। इसलिये मैं इस सरकार से सबसे पहले यह आग्रह करना चाहता हूं कि इन 25 वर्षों में चाहे जो कुछ भी हुआ हो—जो भी सरकार रही हों वे मजबूरी में, विवशता में प्रशासन के तंत्र में जकड़े होने के कारण इन सारी बातों को नहीं रोक सकीं और उनको अनुपूरक मांगों को स्वीकार करना पड़ता रहा हो लेकिन आज आप ऐसी परम्परा डालने का साहस तथा हिम्मत करे जिससे इस प्रकार की अनुपूरक मांगें पेश न की जायं और पूरी छानबीन के बाद पूरे एक साल के लिये बजट एस्टिमेट्स का प्राविधान किया जाया करे और उन्हीं के अनुसार कार्य हो ताकि अनुपूरक मांगों की अस्वस्थ परम्परा इस प्रदेश से समाप्त हो जाय। माननीय मंत्री जी इस संबंध में अपने विचार स्पष्ट करेंगे कब तक वह समय आयेगा या क्या उनकी विवशतायें तथा मजबूरियां हैं जिनके कारण वह इस अस्वस्थ परम्परा को इस प्रदेश से समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस पर माननीय मंत्री जी प्रकाश डालें।

जहां तक मांगों को स्वीकार करने की बात है, ढाई अरब रुपये की मांग इस अनुपूरक बजट के जरिये मे की जा रही है और यह ढाई अरब रुपया 18 दिन के अन्दर होना है। आप हिसाब लगायें, अर्थशास्त्र सिद्धान्त के आधार पर कि 18 दिनों में कैसे यह ढाई अरब रुपया खर्च हो पायेगा। बाहर जनता में आम धारणा है कि मार्च का महीना है और ट्रेजरी वालों के लिये सौभाग्य का महीना है तथा बेईमान और भ्रष्ट कर्मचारियों तथा ठेके पर काम करन वाले लोगों के लिये यह महीना बड़े सौभाग्य का है। जिस प्रकार से लाटरी के टिकट बिकते हैं और एक रुपये का टिकट लेकर लाखों रुपये कोई व्यक्ति जीत लेता है उसी तरह से यह ढाई अरब रुपये 18 दिन में बड़े भाग्य वाले लोगों को मिल जायेंगे। इस तरह ऐसे ढंग से अनपूरक मांगों की स्वीकृति यह सदन आज देने जा रहा है जो कि बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जिस परिस्थिति में हम हैं उन्हें बिना देखे हम कैसे स्वीकृति दे सकते हैं।

किसानों की हिमायत करने वाली यह सरकार, किसानों की शुभचिन्तक यह सरकार, इन अनुपूरक अनुदानों में उनके लिये क्या काम करने जा रही है। उनके हित के लिये इस सरकार ने क्या मांग की है। मैं पूछता हूं कि गांवों में रहने वाली जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिये इस सरकार ने कौन सी नई योजना चलाई है? आपने कह दिया कि बेरोजगारी दूर करने के लिये आपने वहां पर नये कार्यक्रम शुरू किये हैं, सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये आपने टेस्ट वर्क शुरू किये हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इनसे किसानों को आपने क्या लाभ पहुंचाया है? उसके लिये क्या योजना बनाई है? इस तरफ आपका ध्यान नहीं गया है। हमको ध्यान है जब हम शहर में किसी राशन की दुकान का आज दर्शन करते हैं तो वहां पर इतनी भीड़ लगी होती है जैसे कि खैरात बांटी जा रही हो। आज स्थिति और संकटमय होती जा रही है और वह उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है।

आप अनुपूरक मांगें मांगते हैं लेकिन उसके उपलक्ष में लोगों को क्या मिलता है—परेशानी संकट, मजबूरी। आज लोग परेशान हैं उनके निवारण के लिये आपने कोई उपाय नहीं किया। जब आपने इसका कोई उपचार नहीं किया तो पैसा किस बात का? क्या इसके लिये पैसा दिया जाय कि असुरक्षा बढ़े? क्या पैसा इसलिये दिया है कि लोग भूखों मरेंगे, क्या पैसा इसलिये दिया जाय कि लोग अपने भाग्य के सहारे बैठे रहें? इन सब चीजों में आपकी निगाह आनी चाहिये। यदि आप प्रदेश में फैली अराजकता को नहीं रोक सकते हैं तो आपको 18 दिन के लिये ढाई अरब रुपये की अनुपूरक अनुदान मांगने का कोई अधिकार नहीं। अतः मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इस पर विचार

[श्री रामकुमार दीक्षित]

करें और एक स्वस्थ परम्परा डालने की घोषणा यहां पर करें अन्यथा वे कारण बतायें कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन शब्दों के साथ में इस अनुपूरक अनुदान का विरोध करता हूं।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, दो मिनट का समय मुझे भी दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

समय नहीं है। आपके दल को मैंने समय दे दिया है। सभी दलों को समय दे दिया गया है। आगे काम चलने दिया जाय।

*वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैं सम्मानित नेता विरोधी दल, अन्य नेताओं तथा सम्मानित सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने बड़े विस्तार के साथ अनुपूरक बजट की विभिन्न मदों पर और उसकी उपादेयता पर अपने विचार व्यक्त किये। नेता विरोधी दल ने स्वयं ही इस बात को स्वीकार किया है जो परिपाटी हमारे संविधान के अन्तर्गत बनी हुई है उसमें अनुपूरक बजट का आना मान्य है।

यह आज ही नहीं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष, दस वर्षों से यह परिपाटी यहां चली आयी है कि वर्ष में दो अनुपूरक बजट हमारे सदन में आवें और यह परिपाटी किसी भी प्रगतिशील प्रदेश के लिये अनिवार्य भी है। यह सदन कभी यह स्वीकार नहीं कर सकता कि 12 महीने में हम केवल एक बार यह सोचें कि वर्ष भर में हम क्या करेंगे और हम यह कल्पना कर लें कि वर्ष भर में एक महीने में यह तय कर लें कि कोई नया खर्च न होगा, अतिरिक्त खर्च न होगा या कोई नयी योजना सामने न आयेगी। कोई भी प्रगतिशील सदन यह कल्पना नहीं कर सकता है। जब कभी कहीं नयी विभीषिका उपस्थित होती है तो उनका सामना करना पड़ता है और इसलिये नयी योजना बनानी पड़ती है, नये प्रश्नों का सृजन होता है और नये प्रश्नों के लिये धन की व्यवस्था करनी होती है। इसीलिये जब हमारा संविधान बना तो हमारे निर्माताओं ने संविधान के आर्टिकिल 255 में सप्लीमेंटरी बजट के लिये निम्न प्राविधान किया है कि किन परिस्थितियों में सप्लीमेन्टरी बजट आता है और उसका उन्होंने उल्लेख किया है।

"किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उस वर्ष के लिये अधिकृत व्यय से अधिक व्यय के सम्बन्ध में जो भुगतान करने पड़ते हैं उनके लिये विधान मंडल के सामने अनुपूरक मांगें पेश करने की आवश्यकता होती है। व्यय की ऐसी नई मदों के सम्बन्ध में भी अनुपूरक मांगें पेश करनी पड़ती हैं जिनके लिये मूल आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं रहती। अनुपूरक मांगों की उस समय भी आवश्यकता होती है जब कि सम्बन्धित व्यय के लिये धन उपलब्ध हो पर व्यय नई मदों के लिये ही हो या मूल योजना में इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया हो कि उसे विधान मन्डल के सामने स्वीकृति के लिये पेश करना आवश्यक हो।"

श्रीमन्, ये चार परिस्थितियां हैं जिनके अन्तर्गत कोई अनुपूरक बजट लाने की आवश्यकता होती है। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अनुपूरक बजट प्रस्तुत करने की इन्हीं चार परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न अधिक, न कम, यह अनुपूरक बजट लाया गया है। नेता विरोधी दल ने एक उदाहरण दिया, यह ठीक है कि लगभग 190 करोड़ रुपये का यह अनुपूरक बजट है लेकिन इसको आप देखेंगे कि इसका मुख्य आइटम जो है वह एक है जिसमें 122 करोड़ रुपये का प्राविधान है और जिसके बारे में सर्वप्रथम माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नेता विरोधी दल ने उल्लेख किया। यहां मैं बतला दूं कि दो प्रकार की मदें होती हैं। एक तो सदन के वोट के लिये होता है और दूसरे के बारे में हम बहस कर सकते हैं लेकिन वह चार्ज्ड होता है। जैसे फ्लोटिंग डेट का प्रश्न है, यह 122 करोड़ है। जो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर होता है उसको हम रिजर्व बैंक से निकालते हैं। फ्लोटिंग डेट एक तरह से अल्पकालीन ऋण है। वह दो दिन के लिये भी मांग जाता है। 10 करोड़ रुपया रिसीट आया, एकदम से 10 करोड़ काट दिया। फ्लोटिंग डेट का कोई निश्चित समय नहीं होता है। कभी 10 करोड़, कभी 11 करोड़, कभी 20 करोड़ रिजर्व बैंक से लेते रहते हैं और रिसीट आने पर वह तुरन्त कट जाता है।

जैसे सूखा पड़ा और उसके लिये इतनी बड़ी विशाल योजना चली और रिजर्व बैंक से बार-बार रुपया ड्रा करना पड़ा तो उसकी पूर्ति होती चली जाती है। फ्लोटिंग डेट के लिये पहले हमारी योजना 65 करोड़ रुपये की थी लेकिन आज लगभग 60–70 करोड़ रुपया अतिरिक्त उसमें लग गया जिसका अन्दाजा पहले से नहीं था। तकाबी देनी पड़ी है, अल्पकालीन ऋण देना पड़ा है। सारा रुपया रिजर्व बैंक से लिया जाता है और फिर रिसीट होती है वह रुपया समाप्त होता जाता है। शुरू में केवल 65 करोड़ रुपये का अन्दाजा था, इसके पहले वर्ष केवल 45 करोड़ का ही प्राविधान था और 45 करोड़ को बढ़ा कर 65 करोड़ रखा गया। हमने रिजर्व बैंक से और अधिक फ्लोट किया।

श्री जयराम वर्मा—

195 करोड़ के एगेन्स्ट 65 करोड़ का ही प्राविधान था ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं निवेदन करूं कि 122 करोड़ अतिरिक्त हुआ। इसके लिये कोई कर नहीं लगाना पड़ा। इसके लिये आप देखेंगे कि जो बजट है उसके स्मृति-पत्र में लिखा है। एक तरफ रिसीट है और दूसरी तरफ खर्चा है। यह फ्लोटिंग डेट का आइटम है। इसमें कोई खास बात नहीं है। सूखा के लिये इतना अधिक व्यय करना पड़ा। इस के लिये भारत सरकार से ऋण लिया गया।

श्री जयराम वर्मा—

इतना असंयम बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह सदन की इच्छा के अनुकूल है। यह कोई ऐसा नहीं है कि हमने सोच लिया कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। नई मदों के लिये नये खर्चे की मांग होती है और उसके लिये प्राविधान करना पड़ता है। आप देखेंगे कि नई मदें कितनी हैं, जिनके लिये सदन की मांग थी उनका प्राविधान किया गया है। जैसा कि सार्वजनिक विभाग की सड़कों के बारे में कहा गया। एक तरफ तो यह शिकायत रहती थी कि पी0 डब्लू0 डी0 विभाग खर्चा नहीं करता है, उसका रुपया लैप्स हो जाता है तो यह कितनी प्रसन्नता की बात है कि पी0 डब्लू0 डी0 विभाग अब ज्यादा खर्च कर रहा है। 9 करोड़ रुपया सड़कों की मरम्मत के लिये मांगा है। सड़कों के बनाने में रुपया लैप्स होता था और आपको मालूम होगा कि सूखा और बाढ़ से हमारे यहां कितना नुक्सान हुआ। बाढ़ से बहुत सी हमारी सड़कें टूट फूट गईं। उनकी सबकी मरम्मत के लिये भवन का प्राविधान किया गया। आज 9 करोड़ 29 लाख रुपये की मांग इसीलिये सदन के सामने आई है कि यह धन सड़कों के ऊपर व्यय हुआ। यह अच्छा हुआ और बड़ा शुभ हुआ कि टूटी-फूटी सड़कों का निर्माण हुआ।

इसी प्रकार से जिला योजनाओं का उल्लेख हुआ। हमारे सम्मानित नेता विरोधी दल ने कहा कि जिला योजनाओं के लिये इस समय खर्चा करने की क्या जरूरत है।

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा था कि उनका ख्याल पहले ही होना चाहिये था मूल बजट के अन्दर और आज रुपया मांगा जा रहा है। यह तो आपको पहले से ही मालूम होना चाहिये था।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आपका जब व्यय बढ़ गया तो लिखा है कि पहले प्लानिंग कमीशन ने इस वर्ष के मध्य तक यह कहा कि जो राज्य अपनी मशीनरी जिलों में संगठित करेंगे उनका 2/3 खर्चा प्लानिंग कमीशन देगा। पहले यह नियम था इसके लिये प्लानिंग कमीशन खर्चा नहीं बर्दाश्त करता था। लेकिन जब उन्होंने यह कहा कि हम 2/3 खर्चा बर्दाश्त करेंगे तो हमने इसका निश्चय लिया ताकि हम प्लानिंग कमीशन की सहायता से लाभ उठा सकें। संख्या अधिकारी या ड्राफ्टसमन, जो योजनायें बनाते हैं और इन योजनाओं को बनाने के लिये टेक्नीकल आदमी चाहिये और प्लानिंग कमीशन रुपया हमको दे रहा था और यह सूचना बाद में आई इसलिये इसका प्राविधान किया गया है ताकि योजनायें अच्छी तरह से बन सकें।

इसी तरह से आप देखेंगे कि इस बजट में 2 लाख 34 हजार रुपया प्राइमरी अध्यापकों के बीमा के बारे में है। यह हमारे देश में पहली चीज होने जा रही है और इसमें हमारे देश ने पहल ली है। इस माननीय सदन के सामने यह भी प्रश्न आया था और सदन में इसकी चर्चा भी हुई थी। यह जनता क और प्राइमरी अध्यापकों के हित में था इसलिये इसका समावेश किया गया है।

इसी तरह से आप देखेंगे कि प्रति व्यक्ति दवा के लिए अस्पताल में बहुत कम अनुदान दिया जाता था। इस माननीय सदन की भी यह मांग थी कि इस अनुदान को बढ़ाया जाये। भोजन म, खुराक में और साज सज्जा में बहुत कम खर्च होता था, इसकी बड़ी भारी शिकायत थी। पिछले साल एक रुपये का प्राविधान किया गया था, फिर उसे बढ़ाकर 1·70 रुपया किया गया और इस अनुपूरक बजट के द्वारा सदन की जो उत्तरोत्तर मांग चली आती थी उसकी पूर्ति हेतु, सदन को जानकार प्रसन्नता होगी कि इस की नई मद में जो देश में केरल में प्रति रोगी सबसे अधिक 5·21 रुपया होता है उसी के अनुसार हमने भी अपने यहां 5·21 रुपया प्रति रोगी का प्राविधान किया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रश्नों में, और तरह-तरह से सदन में यह चर्चा होती थी और जनता की यह मांग चली आती थी उस को पूरा किया गया है। यह एक प्रगतिशील बजट है, कितने साधन उपलब्ध होते हैं उनके अनुसार यह तो एक डायनेमिक इन्सटूमेन्ट है, यह एक द्रवणशील अस्त्र है जिसके द्वारा प्रगतिशील नीतियां कार्यान्वित होती हैं, यह हमारी एक प्रज्वलनशील अस्त्र है और उसका प्रयोग हम सामर्थ्य के अनुसार करते हैं।

इसमें डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करने के संबंध में उन को नान-प्रेक्टिसिंग अलाउन्स देने के लिये भी अनुदान मांगा गया है। इस मांग को पूरा करने के लिये जो कि बहुत दिन से चली आती थी जनता की ओर से, नई मद के रूप में प्राविधान किया गया है। इस सदन के बहुताधिक सदस्यों की मांग थी कि जो 187 ब्लाक खत्म किये गये थे उनको पुनर्जीवित किया जाय, बार बार सदन के माननीय सदस्य यह मांग करते थे और कहते थे कि देहात्री के क्षेत्र के साथ उनके बन्द करने से न्याय नहीं हो रहा है। इसलिये देहात की जनता की आवाज को देखकर इन 187 ब्लाकों को पुनर्जीवित करने के लिये एक नई मद अनुपूरक बजट में रखी गई है। यह एक प्रगतिशील कदम है। इसी प्रकार अधिक टेस्ट वर्क्स में डेढ़ करोड़ रुपया अधिक व्यय किया गया। यह भी सदन की मांग थी और उसे रेगुलराईज किया गया है।

मलिन बस्तियों के उत्थान के सम्बन्ध में भी मांग चली आती थी और उसके लिये इस बजट में कानपुर के लिये डेढ़ करोड़ का और लखनऊ के लिये 1 करोड़ का प्राविधान किया गया है। जब तक भारत सरकार से इस की सैद्धांतिक स्वीकृति नहीं आ जाती तब तक हम इस सम्बन्ध

में कदम नहीं उठा सकते थे और बजट में शामिल नहीं कर सकते थे, अब वह स्वीकृति भारत सरकार से आ गई है और इसीलिये इन दोनों महापालिकाओं के स्लम्स इम्प्रूवमेन्ट के लिये यह प्राविधान किया गया है।

इसी तरह से गंडक, रामगंगा और शारदा सहायक नहरों के लिये भी प्राविधान किया गया है, प्रदेश में पानी की कमी है और सूखे की दशा में यह मांग चली आती थी कि जो हमारी मुख्य प्रोजेक्ट्स हैं उनको जल्द पूरा किया जाय, विधान नगर कार्यक्रम में यह मांग हुई थी, अगर किसी का लक्ष्य 4 साल बाद बनाने का था तो 2 साल पहले बना लें ताकि जनता को पानी का लाभ मिल सके। हमने ओबरा थर्मल परियोजना को भी लक्ष्य से पहले पूरा करने का इरादा किया है। अनुपूरक बजट में भारत सरकार से मिले धन की सहायता से 6 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है ताकि सन् 74 तक मध्य और पूर्व के अंचलों में 3 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सके। माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि 2 दिन के अखबारों में, पायनियर में टेंडर छप रहे हैं। साढ़े 4 करोड़ अतिरिक्त रुपया दिया गया है और इस तरह से हमने जान-बूझकर प्रगतिशील नीतियों को अपनाया है।

गाजीपुर के क्षेत्र की आवाज थी और बराबर मांग थी कि गंगा का पुल बनाया जाय। उसके लिये इस बजट में 3 करोड़ 83 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है जिसकी सदन से स्वीकृति ली गई है। उसका पहले सर्वे नहीं हुआ था, यह नयी मद थी। किसानों को अतिरिक्त तकावी देने की आवश्यकता थी, उसके लिये इसमें 2 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। यह इसी सदन की मांग थी। इसके अतिरिक्त यमुना हाइडिल स्कीम, ओबरा हाइडिल स्कीम में बिजली की कमी है। जनरेशन में अगर कमी रहते हैं, आज से बिजली का जेनरेशन नहीं बढ़ाते हैं तो 5–7 साल बाद क्या स्थिति होगी। इसलिये विद्युत बोर्ड को 22 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है केवल ओबरा की मशीनों के लिये।

श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)—

आपकी इन योजनाओं में बिजली का भी, जिसके आप मन्त्री भी हैं, कोई स्थान है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

तभी तो यह ऋण दिया गया है ताकि ओबरा के लिये मशीनों के लिये आर्डर दिया जा सके।

इसी प्रकार से किसानों से ऋण जो मिलता है विद्युतीकरण के लिये इसके लिए बोर्ड प्रायोरिटी चार्जेज विद्युत बोर्ड लेता है। बैंक ज्यादा ब्याज पर रुपया देता है। उससे किसानों से प्रायरिटी चार्ज लिया जाता है। जो किसान बैंकों से ऋण लेकर ट्यूबवेल लगाते हैं, उनको रकम 10 सालों में किश्तों में देनी पड़े इसके लिये 2 करोड़ रुपये का प्राविधान इस पूरक बजट में किया गया है। इससे 2 फायदे होंगे, एक तरफ तो बैंकों के डिपोजिट का इस्तेमाल होगा क्योंकि बैंक रुपया देने को तैयार हैं, और अगर हम इस कार्य के लिये तैयार नहीं होते तो हम पिछड़ते हैं, और दूसरी ओर किसानों को पैसा मिलता है।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रगतिशील बजट से बिजली की पैदावार घटी है या बढ़ी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह बड़ा लम्बा सवाल है।

इसी प्रकार से प्रदेश के औद्योगीकरण के लिये एक नया निगम बनाया गया है, इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन। महाराष्ट्र में एक पिक अप नाम की संस्था बन गयी है, उसे ज्यादा कारगर बनाना अच्छा होगा ताकि प्रदेश में छोटे-छोटे उद्योग बढ़ें। सदन में मांग रही है कि हमें

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

रोजगार केवल सरकार कर्मचारी रख कर नहीं देना चाहिये बल्कि निजी रोजगार के जरिये हमें बेरोजगारी दूर करनी चाहिये। इसके लिये 2 करोड़ का ऋण मिला है और इसके लिये 50 लाख की रकम इसमें लिखी गयी है। इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें कई प्रगतिशील बातें हैं।

गन्ना क्षेत्र में सड़क निर्माण के बारे में माननीय नेता विरोधी दल ने विशेषरूप से इसका जिक्र किया है। यह योजना पहले विचाराधीन नहीं थी। यह योजना नहीं है। इसमें यह हुआ है कि गन्ना कौंसिल जितनी सड़क बनाने के लिये स्वयं रुपया एकत्र करे, उतना ही रुपया सरकार देगी। माननीय नेता विरोधी दल को खुशी होनी चाहिये, वे इस विभाग के मन्त्री भी रहे हैं, कि 7 करोड़ रुपये का गन्ना एरियाज में सड़कों के प्रस्ताव चालू हो चुके हैं। अकेले मेरठ में 1 करोड़ रुपया वहां की गन्ना विकास परिषद् ने तय किया है और उसमें 50 लाख रुपया सरकार देगी। अब एक कम्पटिशन हो रहा है। जहां पर गन्ना विकास परिषद् रुपया देगी, सरकार उसका आधा देगी।

श्री सजीवन लाल—

और जिलों में भी होनी चाहिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जहां पर भी केन डेवलपमेन्ट कौंसिल सड़कों के लिये रुपया देगी, उसमें सरकार आधा योगदान करेगी। मेरठ जिले में और मुजफ्फरनगर जिले में करोड़ों रुपये की सड़कें बन रही हैं। इस योजना की इस प्रकार शुरुआत हुई।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

औराई क्षेत्र में हमारे यहां गन्ने का उत्पादन हो रहा है, लेकिन वहां सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है। क्या ये सड़कें वहीं बन रही हैं, जहां मन्त्री लोग रहते हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आपका क्षेत्र तो काफी प्रगति कर रहा है।

श्री पारस नाथ सिंह—

इस तरह की सड़कों के निर्माण पर आपने एक/डेढ़ करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। क्या अगले बजट में भी ऐसा प्राविधान होगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अगले बजट में भी किया जायगा। हर बजट में किया जायगा यदि आपका सहयोग रहा। उसमें यह निश्चित कर दिया गया है कि गन्ना विकास कौंसिल जितनी सड़कें बनाना चाहे बना दे। आधा रुपया सरकार देगी। यह आगे भी, यदि आप का सहयोग रहा, तो किया जायगा।

हमारी एग्रो इण्डस्ट्री सबसे महत्वपूर्ण इण्डस्ट्री है। इसमें 15 सहकारी चीनी मिलों का है और श्रीमन्, हमारी यह चेष्टा है कि अधिक से अधिक कोआपरेटिव फैक्ट्रीज खुलें। पांचवीं योजना में सबसे पहले ही कार्यवाही कर लेना है, पूंजी और भूमि की व्यवस्था कर लेना है, ताकि दूसरे प्रदेश लाइसेन्स न ले सकें। हम 15 शुगर मिलों से और भी अधिक फैक्ट्रीज लगा सकें।

तो आप कृपया इस अनुपूरक बजट को पारित करने की कृपा करें। यह आपकी आकांक्षाओं का प्रतीक है, इस सदन की आकांक्षाओं का प्रतीक है, यह आपका हथियार है, आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये। जितने साधन हम जुटा सकते हैं, केन्द्र से ले सकते हैं, उनका यह

प्रतिनिधित्व करता है । तो उसका आप कृपया स्वागत करें । हमारे पांडेय जी ने परफारमेंस बजट के बारे में कहा । उसको समाप्त नहीं किया है । एक हमारे मुरादाबाद के साथी ने एस्टीमेट्स कमेटी के बारे में उल्लेख किया । मैं पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी का पूरा आदर करता हूं । वे हमारी सर्वोच्च समितियां हैं । एस्टीमेट का जो ढांचा हाउस आफ कामन्स, इग्लैण्ड में है, हमारे यहां उसका ढांचा वैसा नहीं हो पाया । मैं उससे सहमत हूं । इस पर विचार हो रहा है कि किसी प्रकार एस्टीमेट्स कमेटी को और अधिक गठित किया जाय । एस्टीमेट्स कमेटी में अनुपूरक बजट में जो मदें हैं, उनको समय से पूरा कराये जाने का प्रयास किया जायगा । इसका प्रमाण यह है कि जैसाकि मैंने बजट भाषण में कहा, पहली बार हमारे यहां ओवर-ड्राफ्ट हुआ । लैप्स का सवाल नहीं है । 26 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट हुआ । इसका मतलब यह हुआ कि खर्च ज्यादा हुआ बजट से । 26 करोड़ का ज्यादा खर्च हुआ । निर्माण-कार्यों में खर्च हुआ । हममें भारत सरकार से मांग की है कि इसको दीर्घकालीन ऋण में बदल दिया जाय । पी0 डब्लू0 डी0 में खर्च हुआ । निर्माण-कार्यों में खर्च हुआ । जितना बजट है, उससे ज्यादा खर्च हुआ । हमको सदन का आशीर्वाद चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि यह अनुपूरक बजट को पारित किया जाय···

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

तिवारी जी के अनुसार ही दिशा बदलती दिखाई दे रही है ।

1972–73 के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 4—बिक्रीकर

वित्त उप-मन्त्री (डाक्टर सियाराम गंगवार)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4—बिक्री-कर के अन्तर्गत 4,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लि स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4—बिक्री कर के अन्तर्गत 4,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग बित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 10—सामान्य प्रशासन

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत 27,04,700 रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत 27,04,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 11--आयुक्त और जिला प्रशासन

गृह राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11-आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत 900 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11--आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत 900 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 12--गांव सभायें और पंचायतें

सामुदायिक विकास उपमन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12-गांव सभायें और पंचायतें के अन्तर्गत 40,61,600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12--गांव सभायें और पंचायतों के अन्तर्गत 40,61,600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 13--न्याय प्रशासन

न्याय मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत 5,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत 5,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 14--कारागार

कारागार उप-मन्त्री (श्री रामपूजन पटेल)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14--कारागार के अन्तर्गत 20,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14--कारागार के अन्तर्गत 20,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 15—पुलिस

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 15—पुलिस, के अन्तर्गत 90,55,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15—पुलिस के अन्तर्गत 90,55,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 16—खाद्य तथा रसद और अन्य संगठन

खाद्य तथा रसद राज्य मन्त्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 16—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत 12,71,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 16—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत 12,71,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 18—शिक्षा

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18—शिक्षा के अन्तर्गत 1,400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18—शिक्षा के अन्तर्गत 1,400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 19—चिकित्सा

चिकित्सा राज्य मन्त्री (श्री प्रेमचन्द्र शर्मा)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19—चिकित्सा के अन्तर्गत 3,50,600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19—चिकित्सा के अन्तर्गत 3,50,600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 20—सार्वजनिक स्वास्थ्य

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 21—कृषि सम्बन्धी विकास

कृषि मन्त्री (श्री राम लखन)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हुं कि अनुदान संख्या 21—कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत 2,12,22,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21—कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत 2,12,22,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 22—उपनिवेशन

श्री रामलखन—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22—उपनिवेशन के अन्तर्गत 4,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22—उपनिवेशन के अन्तर्गत 4,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 23—पशुपालन तथा मत्स्य पालन

श्री रामलखन—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23—पशुपालन तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत 4,05,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23—पशुपालन तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत 4,05,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 24—सहकारिता

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24—सहकारिता के अन्तर्गत 700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24—सहकारिता के अन्तर्गत 700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 25—उद्योग

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25—उद्योग के अन्तर्गत 36,72,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25—उद्योग के अन्तर्गत 36,72,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 26—नियोजन और समन्वय

श्री ओम प्रकाश सिंह—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26—नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत 32,04,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26—नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत 32,04,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 29—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 30—समाज कल्याण

समाज कल्याण राज्य मन्त्री (बेगम हमीदा हबीबुल्ला)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 30—समाज कल्याण के अन्तर्गत 1,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972—73 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 30—समाज कल्याण के अन्तर्गत 1,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972—73 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 32—सिंचाई अधिष्ठान

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राजबिहारी सिंह)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972—73 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972—73 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं

सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं के अन्तर्गत 11,19,43,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972—73 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं के अन्तर्गत 11,19,43,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972—73 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 37—परिवहन

परिवहन राज्य मंत्री (श्री देवकीनन्दन विभव)—

मान्यवर, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37—परिवहन के अन्तगत 2,89,96,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972—73 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37—परिवहन के अन्तर्गत 2,89,96,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 38—दुर्भिक्ष सहायता

अभाव तथा सहायता राज्य मंत्री (श्री नगीना सिंह)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत 1,50,00,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिए स्वीकार की जाये।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत 1,50,00,100 रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिए स्वीकार की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 39—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें

डाक्टर सिया राम गंगवार—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत 15,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत 15,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 40—राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते

[डाक्टर सियाराम गंगवार—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40—राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते के अन्तर्गत 31,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40—राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते के अन्तर्गत 31,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।]

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 41—लेखन सामग्री और मुद्रण

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41—लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत 9,19,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41—लेखन-सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत 9,19,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 42—वन

वन मंत्री (श्री अजित प्रताप सिंह)—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42—वन के अन्तर्गत 25,70,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42—वन के अन्तर्गत 25,70,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 43—प्रकीर्ण व्यय

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43—प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत 800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43—प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत 800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 44—नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन

बेगम हमीदा हबीबुल्ला—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 44—नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत 53,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है अनुदान संख्या 44—नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत 53,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 46—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि कि अनुदान संख्या 46—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 1,16,92,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 1,16,92,100 रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 47—बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

श्री राजबिहारी सिंह—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनदान संख्या 47—बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 4,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47—बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 4,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिय स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 48—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री राजबिहारी सिंह—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 15,18,00,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 15,18,00,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 49—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री वीरबहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 2,800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 2,800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 50—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

श्री देवकीनन्दन विभव—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 32,41,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 32,41,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 53—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

डाक्टर सियाराम गंगवार—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 53—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 24,97,09,600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 24,97,09,600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1972–73 का अनुपूरक) विधेयक, 1973

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1972–73 का अनुपूरक) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1972–73 का अनुपूरक) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(विधेयक की प्रतियां सदन में वितरित की गयीं।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1972–73 का अनुपूरक) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ समय बाद)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1972–73 का अनुपूरक) विधेयक, 1973 पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव ही नहीं किया विचार करने के लिए और आपने पेश कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो यह अंग बन जायं इसके बाद वह रखेंगे मंजूरी के लिये।

श्री बंशीधर पांडेय—

पहले उन्होंने विचार के लिए पेश ही नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3, खड 2, खंड 1, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बनें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1972–73 का अनुपूरक) विधेयक, 1973 पारित किया जाय।

श्री बंशीधर पांडेय—

एक इनीशियल गलती बता रहा हूं। जब पुरःस्थापित कर दिया तो उसके बाद ही आपने टेक-अप कर लिया कि इस पर विचार किया जाय जब कि मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विचार किया जाय। पहले इनको कहना चाहिये था तब आप खंड आदि रखते।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो कहा था न ?

श्री बंशीधर पांडेय—

कहां कहा था ?

(व्यवधान)

वित्त मंत्री ने पुरःस्थापन के बाद यह प्रस्ताव ही नहीं किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अगर आप कहें तो मैं फिर से कह देता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1972–73 का अनुपूरक) विधेयक, 1973 पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1972–73 का अनुपूरक) विधेयक, 1973 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, 3, 1 'अनुसूची' प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1972-73 का अनुपूरक) विधेयक, 1973

31 मार्च, 1973 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1972–73 का अनुपूरक) अधिनियम, 1973 कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए जो 31 मार्च, 1973 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध म देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 1,90,01,31,100 रु0 (केवल एक अरब नब्बे करोड़ एक लाख इकतीस हजार एक सौ रुपये) होता है, अधिक न हो। — उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष 1972-73 के लिए 1,90,01,31,100 रुपयों का दिया जाना

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1973 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं। — विनियोग

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखिये)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
3	राज्य आबकारी ..	..	3,200	3,200
4	बिक्री-कर ..	4,28,000	..	4,28,000
8	राज्य विधान मण्डल ..	..	25,000	25,000
10	सामान्य प्रशासन ..	27,04,700	5,30,400	32,35,100
11	आयुक्त और जिला प्रशासन	900	11,200	12,100
12	गांव सभायें और पंचायतें ..	40,61,600	2,600	40,64,200
13	न्याय प्रशासन ..	5,000	..	5,000
14	कारागार ..	20,30,000	..	20,30,000
15	पुलिस ..	90,55,300	20,000	90,75,300
16	खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन	12,71,300	..	12,71,300
18	शिक्षा ..	1,400	..	1,400
19	चिकित्सा ..	3,50,600	..	3,50,600
20	सार्वजनिक स्वास्थ्य ..	400	..	400

अनुसूची—(समाप्त)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
21	कृषि सम्बन्धी विकास ..	2,12,22,500	..	2,12,22,500
22	उपनिवेशन ..	4,700	..	4,700
23	पशुपालन तथा मत्स्य पालन	4,05,700	13,200	4,18,900
24	सहकारिता ..	700	..	700
25	उद्योग ..	36,72,700	..	36,72,700
26	नियोजन और समन्वय ..	32,04,500	..	32,04,500
29	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां	100	..	100
30	समाज कल्याण ..	1,72,000	..	1,72,000
32	सिंचाई अधिष्ठान ..	100	..	100
33	सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं ..	11,19,43,100	..	11,19,43,100
35	सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान ..	..	3,700	3,700
37	परिवहन ..	2,89,96,700	..	2,89,96,700
38	दुर्भिक्ष सहायता ..	1,50,00,100	..	1,50,00,100
39	अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें ..	15,00,000	..	15,00,000
40	राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते	31,59,000	..	31,59,000
41	लेखन-सामग्री और मुद्रण	9,19,000	..	9,19,000
42	वन	25,70,700	..	25,70,700
43	प्रकीर्ण व्यय ..	800	..	800
44	नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन ..	53,93,000	..	53,93,000
	ऋण कम करना अथवा उसका परिहार* ..	..	1,22,00,00,000	1,22,00,00,000
45	कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	..	1,300	1,300
46	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय ..	1,16,92,100	..	1,16,92,100
47	बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	4,50,00,000	..	4,50,00,000
48	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	15,18,00,100	..	15,18,00,100
49	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	2,800	..	2,800
50	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	32,41,300	..	32,41,300
53	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम	24,97,09,600	..	24,97,09,600
	योग ..	67,95,20,500	1,22,06,10,600	1,90,01,31,100

*भारित विनियोग।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 3, खंड 2, खंड 1, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1972-73 का अनुपूरक) विधेयक, 1973 पारित किया जाय।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, यह अनुपूरक बजट इस माननीय सदन ने पास किया। जिन चीजों की आवश्यकता थी उसके लिये जितना इन्होंने रुपया मांगा इस सदन ने दिया। अब हमें एक बात की बड़ी शंका है कि हम निरन्तर इस सरकार को, या यों कहें कि उस सरकार को जो पिछले 25 वर्षों से शासन करती चली आ रही है उसको जब-जब उसने धन मांगा, देते रहे। बीच में कुछ ब्रेक हुआ था। परन्तु उस धन का सदुपयोग नहीं हुआ। आज यह उसका उपयोग करने के लिये ही सदन के सामने आये हैं। एप्रोप्रियेशन बिल है कि वह रुपया इनको मिले और उसका प्रयोग करने के लिये इनको अधिकार दिया जाय। पिछले 25 वर्ष में यह अधिकार प्राप्त करके यह दशा इन्होंने प्रदेश की कर दी है कि आज सारे प्रदेश में भुखमरी और बेकारी व्याप्त हो रही है। नित्यप्रति बढ़ती हुई महंगाई के पाटों में जनता को ला कर इन्होंने खड़ा कर दिया है।

आज एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कुंठित हो गया है इनकी गलत नीतियों के कारण। आज लॉ ऐंड आर्डर सिचुएशन बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो गयी है। किसी को अपने मान, सम्मान और सम्पत्ति की रक्षा सरकार के द्वारा होगी, इसमें भरोसा नहीं रह गया है। आज तक इन्होंने उस धन का दुरुपयोग किया है। मैं आशा करता हूं कि यह सरकार इस बार अपने पिछले 25 वर्षों की करनी को नहीं दोहरायेगी। गरीब जनता ने इस संकट के समय में अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा सरकार को दिया है। हम प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया है कि ठीक है, इस रुपये का सदुपयोग आप करें। मगर पिछले वर्षों की इनकी बातों को आप देखेंगे तो सही चित्र आपके सामने आ जायेगा।

इसके मुख्य तीन विभाग हैं---कृषि, सहकारिता और पावर जिनमें करोड़ों का दुरुपयोग हुआ है। जनरल बजट के समय उसके ऊपर कहूंगा। मगर इन विभागों में जो जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग हुआ है उससे सारी अर्थ-व्यवस्था ही चूर चूर हो गयी है। कहने के लिये तो हमारे कोआपरेटिव मिनिस्टर ने बयान दिया था कि 6 माह के अन्दर ही हम विभाग के सारे भ्रष्टाचार को दूर कर देंगे। पता नहीं वे डिपार्टमेंट को ही साफ करना चाहते थे या भ्रष्टाचार को साफ करना चाहते थे। ये दूसरे नन्दा बन गये उनको भी यह आभास होने लगा कि ऐसी परिस्थितियों में यह कोआपरेटिव विभाग फंस गया है। एक बार इस विभाग के 'मिनिस्टर डे' ने कहा था कि हिन्दुस्तान की सारी अर्थ व्यवस्था की बैकबोन यह कोआपरेटिव विभाग होने जा रहा है। मगर आज हम देखते हैं कि करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग इस विभाग में हो रहा है।

कृषि विभाग में भी जो पैसा खर्च के लिये हम देते हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है। आपकी हरी क्रान्ति का कोई लाभ गरीब किसान को नहीं पहुंच रहा है। आज के युग में अगर जनता की गाढ़ी कमाई के एक पैसे का भी दुरुपयोग होता है तो यह सब से बड़ा पाप है। यह मामूली प्रश्न नहीं है। यह एप्रोप्रियेशन बिल तो पास हो ही जायगा, मगर आपको देखना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिये कि जो रुपया गत वर्षों में आपने खर्च किया उसमें आपकी करनी क्या रही है? कोई भी मामला आता है यह सरकार जांच करने के लिये ढकेल देती है। जिन कामों के लिये रुपया दिया जाता है उन कामों पर कभी खर्च नहीं होता। चाहे सिंचाई विभाग को ले लें, चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग को ले लें, चाहे सहकारिता को ले लें, चाहें पावर को ले लें, करोड़ों रुपयों का गड़बड़ घोटाला मिलेगा। यह गवर्नमेन्ट बन गयी, यह सारे प्रांत की गवर्नमेन्ट है। इसलिये मैं सदैव यह कहा करता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री जी, हमारी प्रधान मन्त्री जी, हमारी सरकार। मगर विरोध पक्ष को ये ऐसा नहीं समझते।

आज देश और प्रदेश को जिस स्टेज पर लाकर इन्होंने खड़ा कर दिया है उसके कारण एसी स्थिति आ गयी है। इस पर गंभीरता के साथ विचार करने की जरूरत है। कहीं ऐसा न हो कि मनुष्य यह समझने लगे कि अब प्रजातंत्र में हमारा विश्वास नहीं है। पहले भी संविद की सरकार 4 माह एक और 5 माह एक रही थी, मगर इतना व्यापक भ्रष्टाचार कभी नहीं था। आज तो केन्द्र में भी वही सरकार है, यहां भी वही सरकार है, आज आप मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से कर सकते हैं। मुश्किल डिसीजन भी आप आसानी से ले सकते हैं। आपने इतनी बड़ी मेजारिटी पायी है कि आपको कोई रोक नहीं सकता है। फिर क्या कारण है कि आज इतने बुरे दिन देखने को मिल रहे हैं? आज जो 500 रुपये माहवार पाता है वह भी रोता है। वह भी कहता है उसको दोनों वक्त ठीक तरह भोजन नहीं मिलता। दूसरी तरफ मन्त्री जी स्वयं कहते हैं कि 6 करोड़ आदमी ऐसे हैं जो हमारे यहां दोनों वक्त भोजन नहीं कर पाते। हमने उनकी गाढ़ी कमाई के पैसे को आपको दिया है, उस रुपये को आपके हाथों में दिया है।

विद्युत विभाग में जो हड़ताल हुई, उसकी वजह से प्रदेश की अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई। साथ ही करोड़ों रुपये की हानि प्रदेश को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट की हड़ताल से हुई है। आप उसी निर्णय पर आते हैं, लेकिन जनता के हित और प्रदेश के धन का हनन करने के बाद। समय पर आप निर्णय नहीं लेते हैं। आपमें शक्ति नहीं है। आपके मन्त्रिमण्डल में परस्पर एकता नहीं है जिसके वजह से आप समय पर और अनुकूल निर्णय नहीं ले पाते हैं। हर आदमी कहता है कि 4 महीने की संविद सरकार से जनता का क्या भला हो पाता, किन्तु जो इतने लम्बे समय से इतनी मेजारिटी से सरकार चल रही है उससे वह अवश्य अपने कल्याण की आशा करती है। किन्तु अब उससे उसे निराशा हो चली है।

मैं एक बार एक रिक्शे पर आ रहा था, रिक्शे वाले से यों ही पूछा आपको अब तो बड़ा चैन होगा, अब तो कांग्रेस की सरकार है और वह गरीबी दूर कर रही है। तो उसने बड़ी दर्द-नाक कथा सुनाई, उसने कहा क्या बताऊं दो समय भोजन मिलना दुश्वार है, भोजन है तो कपड़ा नहीं और कपड़ा है तो भोजन नहीं। मैंने कहा अब तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिये, कांग्रेस ने बड़ा काम किया है, बड़े से कीफाइज किये हैं, हम तुम्हारी बात नहीं मानते। तो उसने कहा अब इस गवर्नमेन्ट से काम बनने वाला नहीं है, अब तो फौजी शासन से ही काम चलेगा। इस डेमोक्रेसी से लोगों को जो घृणा हो गई है उसका कारण यही है कि कांग्रेस पार्टी ने शासन का दुरुपयोग किया है, प्रजातंत्र का मखौल उड़ाया है। इसलिये आप से निवेदन है कि आप उस सेक्रेड ट्रस्ट का ठीक से इस्तेमाल करें।

*श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, 31 मार्च तक के लिये करीब करीब 2 अरब रुपया इन 18 दिनों में खर्च करने के लिये सरकार ने मांगा है, जिसका उसने बजट पेश किया है। इससे अच्छा है कि यह धन बेकारों और गरीबों पर खर्च किया जाए, इतनी बेकारी और गरीबी के युग में इतनी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बांकेलाल]

बड़ी राशि इस तरह से जल्दी में खर्च करना मैं समझता हूं कि धन की बर्बादी है। यदि उन पर खर्च कर दिया गया होता तो इस प्रदेश का कल्याण हो जाता। सारा रुपया 18 दिन के अन्दर भ्रष्टाचार में जाएगा, रिश्वतखोरी में जाएगा, और अफसरों की अइयाशी में जाएगा। बहुत खूबसूरती के साथ वित्त मन्त्री ने इसे पेश किया है, लेकिन इसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है—

सीरत अगर बुरी है तो, बेकार हुस्न है,
नजरों पर क्या चढ़ेगा, दिल से जो उतर गया।

ये कांग्रेसी लोग भी जनता की नजरों से गिर चुके हैं। किसानों की तकलीफ की तरफ यह सरकार ध्यान नहीं देती है। मैं आज सबेरे ही अपने इलाके से लौटकर आया हूं, बड़ी ही बुरी हालत वहां की मैंने देखी है। वहां गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है, पैरला कीड़ा खा गया है, गन्ने को भी पैरल्ला कीड़ा खाये जा रहा है। लेकिन रामलखन जी का कृषि विभाग चुप बैठा है। एक दम चुप बैठा है। देवरिया में अकाल की छाया मंडरा रही है। 95 प्रतिशत फसल चौपट हो गई है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि—हर शाख पर उल्लू बैठे हैं अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। यह सदन जाने या सरकार जाने।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं सम्मानित नेता, जनसंघ का दिल से आभारी हूं, मैं तो उनकी सलाह मानता ही रहता हूं। उन्होंने नैतिक सलाह दी है कि धन सावधानी से खर्च होना चाहिये। मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सावधानी से ही खर्च होगा। जितनी दूसरी सलाहें हैं उन पर भी चलने का प्रयत्न करूंगा। मैं तो उनका इसलिये भी आभारी हूं कि उन्होंने 25 साल में अपने शासन के समय को भी जोड़ दिया है। हमारा उनसे कोई विशेष फर्क नहीं है।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि सरकार में एकता नहीं है। जितने एकात्मक वह स्वयं हैं, उतनी ही एकात्मकता इस सरकार में है, हम अपने मुख्य मन्त्री जी के नेतृत्व में फौलाद की तरह एक हैं, कहीं कोई फर्क नहीं है। उनको इसका विश्वास होना चाहिये।

जहां एक हमारे मित्र ने 18 दिन में खर्च होने की बात कही। आप देखेंगे कि दो तिहाई मदें ऐसी हैं जो आकस्मिकता निधि से धन लेकर खर्च हो रहा है। इसी लिये सदन ने 30 करोड़ की आकस्मिकता निधि दे रखी है कि सूखा, टेस्ट वर्क जैसी योजनाओं पर खर्च किया जा सके। तो खर्च किया जा रहा है। आकस्मिकता निधि से दो तिहाई मदों में रुपया लिया जा चुका है, दोबारा निधि को रुपया वापस किया जा रहा है। कई महीनों से खर्च चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1972-73 का अनुपूरक) विधेयक, 1973 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत आज सात सूचनायें मिली थीं। एक माननीय श्री कृष्ण बाजपेई और माननीय मनोहरलाल की है। 23-2-72 को मन्धना चौकी, कल्यानपुर, जिला कानपुर में श्री चन्द्रिका प्रसाद की मृत्यु के सम्बन्ध में पुलिस की कार्यवाही से सम्बन्धित है। इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

बहराइच जिले में भयंकर आग लगने की दो सूचनायें हैं । इसके लिये पर्याप्त अवसर मिलेगा, बजट पर चर्चा कर लेंगे ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

इसमें भी स्टेटमेंट करवा दीजिये । एक नैनीताल में हुई थी अब बहराइच में हुई । इसके पीछे कोई विशेष हाथ है । इसलिये आवश्यक है । स्टेटमेंट दिलवा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

कल से भाषण शुरू होंगे । उसमें अगर संतुष्टि नहीं होगी तो आखिर में आप दे दीजियेगा । स्वीकार कर लिया जायगा । माननीय रूपनाथ सिंह ने भी यही दिया है ।

माननीय शम्भू नाथ चौधरी ने श्री रमेश चन्द्र दीक्षित, सीमा प्रभारी अधिकारी के जीप से बलिया के एक छात्र की मृत्यु से सम्बन्धित है। यह न्यायालय के विचार के अधीन है। इसलिये इसको स्वीकार नहीं किया है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

यह भी अभी 8 की घटना है। न्यायालय के विचाराधीन कहां है। अभी पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की अधिकारी की ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो आपने लिखा है उसी पर है । वह दुर्घटना का विषय है अल्पसूचित प्रश्न कर लें । पुलिस और न्यायालय में हस्तक्षेप हो जायगा इसलिये नहीं स्वीकार किया गया है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैंने लिखा है कि पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जानकारी के लिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर सकते हैं । माननीय मोहनलाल कपूर तथा शंकर प्रसाद जायसवाल बिजली और मंहगाई के अनुदानों पर कटौती का प्रस्ताव रख सकते हैं ।

इसलिए एक स्वीकार है शेष अस्वीकार हैं । अब हम उठते हैं । कल ग्यारह बजे फिर बैठेगें ।

(इसके बाद सदन 5 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
12 मार्च, 1973 ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 331 पर)

बहराइच के ऐसे न्याय पंचायतों की सूची जहां के चीनी के कोटेदार उन न्याय पंचायतों के निवासी नहीं हैं जिनके लिये दुकान स्वीकृत है :

1—परसोहमा, 2—मनोहरा पुर, 3—रामपुर देवमना, 4—शाहपुर बरगदवा, 5—बैरागी जोत, 6—मछरेहवा, 7—शिवगढ़ बाबा, 8—रामगढ़ी, 9—राजापुर रानी, 10—बालापुर, 11—कोलाभार मंझगवां, 12—खचंदीरान 13—बतमेरा, 14—कल्यानपुर, 15—छीरपुर मंशाराम, 16—नरायनदेव जोत, 17—टढ़वा महन्त, 18—हसवा पारा, 19—त्रिकोलिया 20—पटना, 21—खुटेहन, 22—कल्यानपुर, 23—परेवपुर, 24—रतनापुर, 25—सुक्खा 26—रायपुर बिलौला, 27—धरमनपुर, 28—जौहरा, 29—सोहरबाचक, 30—कलपी पारा 31—हरदत्तनगर ग्रिन्ट, 32—देटरा, 33—रामपुर, 34—लालबोझा दरवेश गांव 35—राजापुर पुरैना, 36—धूमहोली 37—बैजनाथपुर, 38—बलहा, 39—जगन्नाथ पूरेबेचई, 40—चन्दनपुर, 41—पसरहिया, 42—सुधट्टा, 43—बिसवारा 44— बल्दपुरवा 45—असवा मोहम्मदपुर, 46—छैलामछन, 47—रामपुर धोबिहार, 48—कारी कोट, 49—अम्बा, 50—सेमरी घटही, 51—गौपिया, 52—चीओडविलास, 53—विश्वनाथगांव, 54—जैतापुर शिवरामपुर, 55—कल्यानपुर, 56—बभदान, 57—अमवा मौलवी, 58—महेरथा, 59—संकरपुर, 60—भगतपुर, 61—लक्ष्मनपुर शंकरपुर, 62—जमुनहा, 63—रायपुर कबुला, 64—कटका मरोड़ा, 65—अठ्ठैसा, 66—इनद्रापुर, 67—चकपिहानी, 68—सरदपारा, 69—सराय अली, 70—बभियारी, 71—दहौरा, 72—माधौपुर, 73—टन्डा महन्त, 74—चन्दनपुर सिकड़िया, 75—रमपुरवा, 76—तारापुर खुर्द, 77—मन्सारी, 78—मासाडीह, 79—मकला गोपालपुर, 80—नौतला, 81—बछैना, 82—बसपुरवा, 83—देमनपुर 84—बिराडिकपुर बिल्हौरा, 85—करमुल्लापुर ।

बहराइच जिले के ऐसे न्याय पंचायतों की सूची जहां के खाद्यान्न के कोटेदार उस न्याय पंचायत क्षेत्र के निवासी नहीं हैं :

1—मछरिहवा, 2—लालपुर खदरा, 3—बालापुर 4—कोलाभार मंझगवां, 5—अर्धवीरान 6—चंद्रावां, 7—बसनेरा, 8—नारायनजोत, 9—ठेड़वा महन्त, 10—हंसुवापारा, 11—हंसुवापारा, 12—लालपुर 13—सोहरियांवां, 14—त्रिलोकिया, 15—रतनापुर, 16—सुचरवा, 17—परेवपुर 18—रायपुर बिलौला, 19—परमनपुर, 20—सिसवारा 21—बेलामकन 22—बल्दूपुरवा 23—चलहा 24—बलदूपुरवा 25—सोहबतिया 26—रायपुर धोबिहार 27—सोहबतिया 28—असवा मोहम्मदपुर, 29—बहादुर पुरवा, 30—चन्दनपुर, 31—लालबोझदश्लेशगांव, 32—बैजनाथपुर, 33—मगरीकोट, 34—उर्रा बाजार 35—विश्वनाथ गांव, 36—असवा मौलवी, 37—महरथा 38—शंकरपुर 39—भगतापुर 40—पंडरीतारा, 41—रायपुर कबुला, 42—तपेसियाह, 43—कटका मरौठा, 44—गढ़ैया नं0 2 45—अटठेसा, 46—अट्ठैसा, 47—इन्छापुर, 48—टढ़वामहन्त, 49—नंदवल, 50—चन्दनपुर सिकड़ियां, 51—तारापुर खुर्द, 52—मकला गोपालपुर, 53—गदवापुर, 54—व 55—विराहिमपुर बिल्हौरा, 56— व 57—नरौंदा, 58—हुसेनपुर ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 333 पर)

तालिका

मांग	वस्तुस्थिति
1—जिला परिषद् नगर महापालिकाओं के अध्यापकों के समकक्ष वेतन में नवीनीकरण अगस्त, 1968, जनवरी, 1969 से किया जाय तथा बढ़ोत्तरी वेतन शीघ्रातिशीघ्र भुगतान किया जाय ।	हरिजन सहायक विभाग द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को स्थानीय निकायों के अध्यापकों के समकक्ष वेतन-मान तथा महंगाई भत्ते की दरें जुलाई, 1968 से तथा तदर्थ वृद्धि जनवरी, 1969 से स्वीकृत कर दी गई है । बढ़ोत्तरी वेतन आदि के भुगतान करने के लिये वित्तीय वर्ष 1971-72 में 2,84,000 रु0 की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है ।
2—तीन वर्ष से अधिक जो योग्य अध्यापक एवं अध्यापिकायें हरिजन विद्यालय में काम कर रहे हैं उन्हें सरकार द्वारा सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाय ।	शासन के विचाराधीन है ।
3—प्राविडेन्ट फंड, बोनस, जीवनबीमा, पेंशन आदि की व्यवस्था की जाय ।	
4—उत्तर प्रदेश के समस्त हरिजन विद्यालयों के अध्यापक, अध्यापिकाओं को राजकीय कर्मचारी घोषित किया जाय ।	यह मांग स्वीकार करना सम्भव नहीं है ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 335 पर)

उत्तर

बिजनौर के 132/37.5/11

विद्युत् अनुरक्षण खंड/ के0 बी0 सं–स्टेशन पर धोगरपुर (नहलेर) पर 7 फीडर 37.5 के0बी0 के तथा 6 फीडर 11 के0बी0 के हैं । जिनका विवरण निम्नलिखित है:—

37.5 के0बी0 फीडर

1—ओ0 सी0 बी0 नं0		1—नरपा
2—ओ0 सी0 बी0 नं0		2—हल्दौर प्रथम (बिजनौर)
3—ओ0 सी0 बी0 नं0		3—हल्दौर द्वितीय (चांदपुर)
4—ओ0 सी0 बी0 नं0		4—अकबरबाद
5—ओ0 सी0 बी0 नं0	..	6—नगीना (नजीबाबाद कोटवार)
6—ओ0 सी0 बी0 नं0	..	7—कालागढ़ प्रथम
7—ओ0 सी0 बी0 नं0	..	8–कालागढ़ द्वितीय (धामपुर, स्योहारा) ।

11 के0बी0 फीडर

1—गहटोरटाउन फीडर
2—सद्दरुद्दीन नगर फीडर
3—बिलासपुर फीडर
4—नारायण खेडी फीडर
5—अकबरपुर फीडर
6—लाडनपुर फीडर

उपरोक्त फीडरों पर 15 अक्तूबर से 15 नवम्बर, 1972 तक निम्नलिखित घंटों के लिये विद्युत् उपलब्ध रही है:—

37.5 के0 बी0 फीडर

1—ओ0 सी0 बी0 नं0		1–409 घंटे 35 मिनट
2—ओ0 सी0 बी0 नं0	..	2—668 घंटे 30 मिनट
3—ओ0 सी0 बी0 नं0	..	3—435 घंटे 30 मिनट
4—ओ0 सी0 बी0 नं0	..	4—445 घंटे 11 मिनट
5—ओ0 सी0 बी0 नं0	..	6—542 घंटे 04 मिनट
6—ओ0 सी0 बी0 नं0	..	7—727 घंटे 27 मिनट
7—ओ0 सी0 बी0 नं0	..	8—536 घंटे 47 मिनट ।

11 के0 बी0 फीडर

1—नहटौर टाउन फीडर	..	648 घंटे 38 मिनट
2—सद्दरुद्दीन नगर फीडर	..	387 घंटे 51 मिनट
3—बिलासपुर फीडर	..	409 घंटे 58 मिनट
4—नारायण खेड़ी फीडर	..	409 घंटे 58 मिनट
5—अकबरपुर फीडर	..	410 घंटे 27 मिनट
6—लाडनपुर फीडर	..	410 घंटे 53 मिनट ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 336 पर)

संलग्नक

मेरठ क्षेत्र में वर्ष 1970 से 25 नवम्बर, 1972 तक की अवधि में की गयी नियुक्तियों का वर्गवार विवरण

क्रम-सं0	वर्ग का नाम		कुल नियुक्तियों की संख्या	हरिजन व पिछडी जाति के अभ्यर्थियों की संख्या जिनकी नियुक्ति के आदेश जारी हुये	हरिजन व पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने कार्यभार ग्रहण किया
1	2		3	4	5
1	हाट निरीक्षक	..	489	70	54
2	लेखाकार	..	292	10	10
3	ज्येष्ठ लेखा लिपिक	..	233	35	31
4	आशुलिपिक	..	1	..	..
5	लिपिक	..	549	93	71
6	कनिष्ठ लेखा लिपिक	..	58	15	8
7	कामदार	..	772	125	51
8	चपरासी	..	178	69	69
9	चौकीदार	..	213	30	24
10	सफाई मजदूर	..	1	1	1
	कुल योग	..	2786	448	319

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 33 का उत्तर पीछे पृष्ट 339 पर)

मेरठ जिले में ईंट भट्ठा संघों के नाम तथा उनमें से प्रत्येक संघ की सदस्य संख्या और उन्हें दिये गये कोयले की मात्रा का विवरण:—

क्रम संख्या	भट्ठा संघ का नाम		उनके द्वारा घोषित सदस्य संख्या	दिये गये कोयले की मात्रा माह जुलाई, 71 से जून, 1972 तक बाक्स फोर व्हीलर	
1	मेरठ तहसील भट्ठा संघ	..	42	46	11
2	ग्रामीण भट्ठा संघ	..	165	154	80
3	जिला ब्रिक क्लिन ओनर्स एसोसियेशन ।	..	17	33	6
4	हापुड़ तहसील भट्ठा संघ	..	37	35	6
5	गाजियाबाद ब्रिक क्लिन ओनर्स एन्ड कोल कं0 एसोसियेशन	..	17	17	..
6	गाजियाबाद भट्ठा संघ	..	27	104	25
7	लोनी भट्ठा संघ	..	15	4	5

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 340 पर)

जिला मेरठ में माह फरवरी, 1972 में हाईडिल विभाग के लिये आये रेक में से जिन जिन भट्ठेवालों को कोयला मिला उनका विवरण:—

क्रम संख्या	नाम भट्ठे वाला	कोयले की मात्रा	जिस संघ का सदस्य है उसका—नाम
1	मेसर्स राजेन्द्र प्रसाद, बड़ौत ..	1 बोक्स	ग्रामीण भट्ठा उद्योग संघ, मेरठ
2	,, जैन ब्रिक फील्ड, नेथला ..	1 ,,	,,
3	,, देवी सहाय गुप्ता, किठौर ..	1 ,,	,,
4	,, मित्थल ब्रिक फील्ड, भूड़ बराल	1 ,,	,,
5	,, गेन्दामल ओम प्रकाश, बड़ौत ..	1 ,,	,,
6	,, बनवारी लाल भारती, सादुल्लापुर भड़ौली।	1 ,,	,,
7	,, कान्ती प्रसाद नरेन्द्र कुमार, बहादुरगढ़।	1 ,,	,,
8	,, कुमार ब्रदर्स, फतेहपुर ..	1 ,,	,,
9	,, जय भारत ब्रिक फील्ड, कैली ..	1 ,,	,,
10	,, नरेन्द्र कुमार ..	1 ,,	,,
11	,, नन्द किशोर गुप्ता ..	1 ,,	,,
12	,, ब्रम्हसिंह, ढिंगर ..	1 ,,	,,
13	,, राजेन्द्र कुमार श्रीकृष्ण, सुराना	1 ,,	,,
14	,, एस0 एस0 एन्ड कम्पनी, निस्तौली	1 ,,	,,
15	,, शिव संत एन्ड को, निस्तौली	1 ,,	,,
16	,, श्याम सिंह बदाम सिंह, अबुपुर ..	1 ,,	,,
17	,, बलजीत सिंह, सरूरपुर ..	1 ,,	,,
18	,, राम निवास, बड़ौली ..	1 ,,	,,

(ह0) अस्पष्ट,
जिला पूर्ति अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी,
मेरठ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिला मेरठ में माह फरवरी, 1972 में हाईडिल विभाग के लिये आये रेक में से जिन जिन भट्ठेवालों को कोयला मिला उनका विवरण:—

क्रम संख्या	नाम भट्ठेवाला	कोयले की मात्रा	जिस संघ का सदस्य है उसका नाम
1	मेसर्स सुनील एन्ड को0, अब्दुल्लापुर	1 बोक्स	जिला मेरठ ब्रिक बिलन ओनर्स एसोसिएशन (रजिस्टर्ड) मेरठ
2	,, करतार सिंह वेद प्रकाश, मेरठ	1 ,,	,,
3	,, बिशम्बर सहाय प्रयागदास, मेरठ	1 ,,	,,
4	,, राधेलाल ब्रिक फील्ड, पिलखवा	1 ,,	,,
5	,, अशोक ब्रिक फैक्ट्री, पिलखवा ..	1 ,,	,,
6	,, कृष्ण ब्रिक फील्ड, बागपत ..	1 ,,	,,
7	,, सहदेव सिंह, कुराली ..	1 ,,	,,
8	,, भगवान एन्ड कम्पनी, मेरठ	1 ,,	,,
9	,, ब्रजकिशोर सत्यप्रकाश, गाजियाबाद ।	1 ,,	,,
10	,, नन्द किशोर सुरेशचन्द्र, गाजियाबाद ।	1 ,,	,,
11	,, सुरेन्द्र ब्रिक फील्ड, अब्दुल्लापुर	1 ,,	,,
12	,, ओम प्रकाश ब्रिक फील्ड, मेरठ	1 ,,	,,
13	,, प्रताप ब्रिक फील्ड, मेरठ ..	1 ,,	,,
14	,, भगवत प्रसाद ओम प्रकाश, जहाजपुर मेरठ ।	1 ,,	,,
15	,, पिलोखढ़ी ब्रिक फील्ड, मेरठ ..	1 ,,	,,
16	,, बेगरामसिंह, बिजवाड़ा ..	1 ,,	,,
17	,, विक्रम सिंह, परतापुर, (परतापुर ब्रिक फील्ड)	1 ,,	,,

(ह0) अस्पष्ट,
जिला पूर्ति अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी,
मेरठ ।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 51 का उत्तर पीछे पृष्ठ 344 पर)

	औसत थोक भाव दिसम्बर, 1972 (रु0 प्रति कुन्तल)	सरकारी खरीद भाव (रु0 प्रति कुन्तल)
गोरखपुर क्षेत्र	135.60	92.00
कानपुर क्षेत्र (झांसी, जालौन व हमीरपुर) ..	129.00	92.00
शेष कानपुर क्षेत्र	134.50	92.00
मेरठ क्षेत्र	139.27	92.00
लखनऊ क्षेत्र	126.35	92.00

केन्द्रवार भाव संलग्न हैं ।

चावल तृतीय श्रेणी (एफ0 ए0 क्यू0) के थोक प्रति कुन्तल भाव दिनांक 31-12-1972

क्षेत्र का नाम	बाजार	थोक भाव
मेरठ ..	1—देहरादून	130.00
	2—सहारनपुर	140.00
	3—हरद्वार	140.00
	4—मुजफ्फरनगर	140.00
	5—मेरठ	145.00
	6—हापुड़	135.00
	7—बुलन्दशहर	130.00
	8—खुर्जा	142.00
	9—अलीगढ़	135.00
	10—हाथरस	145.00
	11—आगरा	150.00
	12—मथुरा	145.00
	13—एटा	130.00
	14—कासगंज	140.00
	15—मनपुरी	142.00
लखनऊ ..	16—कोटद्वारा	136.00
	17—बिजनौर	132.00
	18—मुरादाबाद	135.00
	19—चन्दौसी	130.00
	20—बरेली	130.00
	21—शाहजहांपुर	132.00
	22—पीलीभीत	133.00
	23—काशीपुर	139.05

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2 बाजार	3
	24—रुद्रपुर	132.00
	25—सीतापुर	130.00
	26—रायबरेली	130.00
	27—फजाबाद	145.00
कानपुर ..	28—इटावा	140.00
	29—औरैया	145.00
	30—भरथना	145.00
	31—फरुखाबाद	120.00
	32—कानपुर	120.00
	33—फतेहपुर	146.00
	34—बिन्दकी	145.00
	35—इलाहाबाद	130.00
	36—झांसी	135.00
	37—ललितपुर	135.00
	38—उरई	124.00
	39—कालपी	130.00
	40—कोंच	125.00
	41—महोबा	125.00
	42—बांदा	125.00
	43—अतर्रा	130.00
गोरखपुर ..	44—मिर्जापुर	130.00
	45—वाराणसी	130.00
	46—जौनपुर	142.00
	47—मऊ	140.00
	48—गाजीपुर	155.00
	49—बलिया	154.00
	50—देवरिया	140.00
	51—गोरखपुर	142.00
	52—बस्ती	130.00
	53—नौगढ़	120.00
	54—शौहरतगढ़	122.00
	55—गोंडा	136.00
	56—बलरामपुर	140.00
	57—बहराइच	135.00

अमर उजाला विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 349 पर)

सम्बन्धित सूचना

प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ योजना काल में विद्युत् उत्पादन योजनाओं के अन्तर्गत निम्नानुसार व्यय किया गया:—

	(लाख रुपये)
प्रथम योजना	2331.00
द्वितीय योजना	5675.00
तृतीय योजना	9758.00
चतुर्थ योजना—(1969—70 से 1971—72 तक तीन वर्ष) ..	12680.00

उत्पादित विद्युत् के निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि निम्न प्रकार रही—

	लक्ष्य	उपलब्धि (मैगावाट में)
प्रथम योजना	136.00	109.00
द्वितीय योजना	395.00	82.00
तृतीय योजना	763.00	540.00
चतुर्थ योजना	1,170.00	797.00

वित्तीय कठिनाइयों संयंत्रों, उपकरणों और इस्पात आदि सामान की अनुपलब्धता के कारण लक्ष्य के समक्ष पूर्ण उपलब्धि न हो सकी ।

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 350 पर)

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा इस समय विद्युत् उत्पादन इस प्रकार है:—

(दिनांक 27-12-72 की स्थिति)

हाईडिल	470 मैगावाट
थर्मल	580 ,,
कुल	1050 मगावाट

इस समय हिन्डालको को 25 प्रतिशत कटौती करन के बाद लगभग 45 मैगावाट विद्युत् दी जा रही है ।

अनुमानित तौर पर इस समय कुल विद्युत् मांग लगभग 1450 मैगावाट है, अतः लगभग 400 मैगावाट की कमी है । विद्युत् की सप्लाई निम्न प्रकार है:—

1—हिन्डालको	45 मेगावाट
2—अन्य उद्योग (जिसमें लाइसेंसी, रेलवे ट्रैक्शन वाटर वर्क्स आदि शामिल है)	615 ,,
3—सिंचाई	270 ,,
4—लाइट एन्ड फैन	120 ,,
योग	1050 मेगावाट

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 353 पर)

केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग की परिभाषानुसार 31 मार्च, 1972 तक जिलेवार गावों के विद्युतीकरण की संख्या ।

खंड का नाम		कुल गावों की संख्या	विद्युतीकृत गावों की संख्या		
			31-3-71 तक	31-3-1972 तक	31-3-72 तक का प्रतिशत
मेरठ					
1—देहरादून	..	761	109	109	14.3
2—सहारनपुर	..	1668	594	722	43.3
3—मेरठ	..	1480	780	829	56.0
4—मुजफ्फरनगर	..	928	463	523	56.4
5—बुलन्दशहर	..	1539	688	748	48.6
		6376	2634	2931	46.0
आगरा					
1—अलीगढ़	..	1714	645	665	38.8
2—मथुरा	..	861	174	204	23.7
3—आगरा	..	1188	319	423	35.6
4—मैनपुरी	..	1385	343	372	26.9
5—एटा	..	1531	390	455	29.7
		6679	1871	2119	31.7
बरेली					
1—बरेली	..	1924	361	383	19.9
2—बिजनौर	..	2108	760	805	38.2
3—बदायूं	..	1818	417	476	26.2
4—मुरादाबाद	..	2449	879	1047	42.8
5—रामपुर	..	1101	341	381	34.6
6—शाहजहांपुर	..	2048	351	387	18.9
7—पीलीभीत	..	1093	230	247	22.6
		12541	3339	3726	29.7

अनुपूरक प्रश्न

1		2	3	4	5
इलाहाबाद					
1—फर्रुखाबाद	..	1636	345	423	25.9
2—इटावा	..	1479	214	273	18.5
3—कानपुर	..	1893	255	309	16.3
4—फतेहपुर	..	1382	245	326	23.6
5—इलाहाबाद	..	3526	724	859	24.4
		9916	1783	2190	22.1
झांसी					
1—झांसी	..	1461	109	109	7.5
2—जालौन	..	942	90	96	10.2
3—हमीरपुर	..	917	61	64	7.0
4—बांदा	..	1194	170	178	14.9
		4514	430	447	9.9
वाराणसी					
1—वाराणसी	..	3624	756	869	24.0
2—मिर्जापुर	..	2930	316	349	11.9
3—जौनपुर	..	3214	713	784	24.4
4—गाजीपुर	..	2502	612	692	27.7
5—बलिया	..	1900	276	307	16.2
		14170	2673	3001	21.2
गोरखपुर					
1—गोरखपुर	..	4086	644	742	18.2
2—देवरिया	..	3552	661	734	20.7
3—बस्ती	..	6966	1061	1141	16.4
4—आजमगढ़	..	4916	1660	1742	35.4
		19520	4026	4359	22.3

1		2	3	4	5
लखनऊ					
1—लखनऊ	..	907	169	205	22.6
2—रायबरेली	..	1748	231	375	21.5
3—उन्नाव	..	1696	89	130	7.7
4—सीतापुर	..	2330	161	286	12.3
5—हरदोई	..	1886	176	201	10.7
6—खीरी	..	1635	437	477	29.2
		10202	1263	1674	16.4
फैजाबाद					
1—फैजाबाद	..	2758	661	759	27.5
2—गोन्डा	..	2835	430	532	18.8
3—बहराइच	..	1873	206	258	13.8
4—सुल्तानपुर	..	2492	434	528	21.2
5—प्रतापगढ़	..	2195	238	313	14.3
6—बाराबंकी	..	2054	325	340	16.6
		14207	2294	2730	19.2
कुमाऊं					
1—ननीताल	..	1729	285	351	20.3
2—आल्मोड़ा	..	3877	19	68	1.8
3—पिथौरागढ़	..	1668	2	17	1.0
		7274	306	436	6.0
गढ़वाल					
1—उत्तरकाशी	..	662	9	9	1.4
2—चमोली	..	1415	54	68	4.8
3—गढ़वाल	..	3208	19	39	1.2
4—टेहरी गढ़वाल	..	1940	18	26	1.3
		7225	100	142	2.0
	कुल योग	1,12,624	20,719	23,755	21.1

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 6 एल0 ए0—1973—835